

ECONOMICS

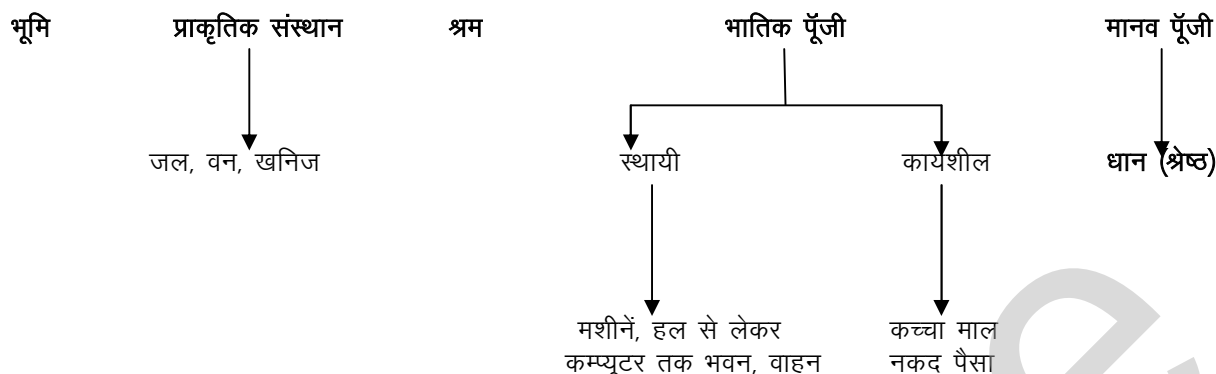
1. बैंकिंग प्रणाली का विकास
2. वित्त बाजार
3. शेयर बाजार
4. कर संरचना
5. चौदहवां वित्त आयोग
6. भुगतान संतुलन (BOP)
7. विदेशी निवेश – FDI, FTI
8. आयोजन एवं प्रकार
9. पंचवर्षीय योजनाएं

मनरेगा :

10. बेरोजगारी
11. गरीबी
12. अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान – IMF, AIIB, ADB, BRICS BAN WORLD BANK, WTO

राष्ट्रीय आय और उत्पादन

उत्पादन के लिए आवश्यक चीज



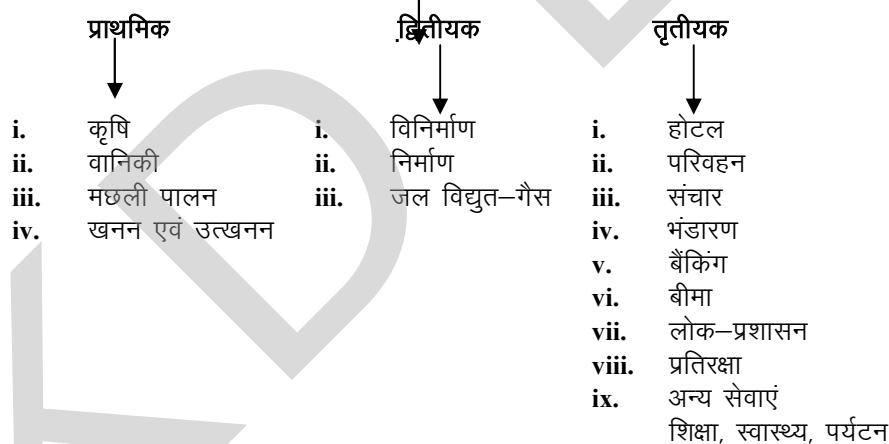
Production Factor

इन्हें उत्पादन के कारक कहा जाता है।

- **गैर कृषि क्रियाएं** — लघु विनिर्माण, परिवहन, दुकानदारी आदि।
- जब शिक्षा, प्रशिक्षण और चिकित्सा सेवाओं में निवेश किया जाता है तो वह भी मानव पूँजी में बदल जाती है। यह भी देश की उत्पादन शक्ति में वृद्धि करता है।

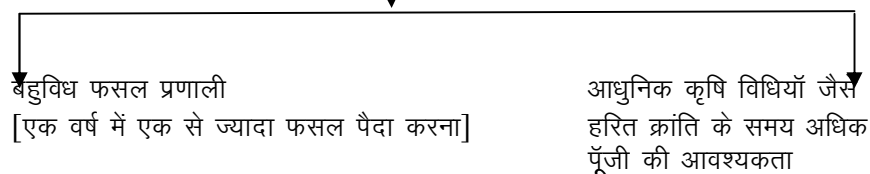
आभूषण वित्तीय पूँजी है।

उत्पादन क्षेत्र



- ये सब आर्थिक क्रियाएं हैं और इनसे देश में राष्ट्रीय आय बढ़ती है।

जमीन से उत्पादन बढ़ाने का तरीका



प्राथमिक, द्वितीयक क्षेत्र में जितना अधिक विकास होना सेवाओं की माँग इतनी ही बढ़ेगी।

राष्ट्रीय आय और उत्पाद की कुछ मुख्य अवधारणाएं :-

1. सकल घरेलू उत्पाद (GDP) – CSO निकालता है (1995)

- एक वर्ष के दौरान
- घरेलू सीमा के अंदर
- निवासियों द्वारा
- अंतिम वस्तु एवं सेवाओं के बाजार मूल्यों का समग्र योग
- इसमें देश के घरेलू + विदेशी निवासी शामिल हैं।

Eg:- 1 Kg गेहूँ → 1 Kg. आय

↓
1 Kg. ब्रेड

तो 1 Kg ब्रेड को Count करती है।

2. सकल राष्ट्रीय उत्पाद (GNP) –

↓
GDP + विदेशों में रहने वाले भारतीयों की आय – (Minus)
भारत में रहने वाले विदेशियों की आय

3. विशुद्ध/निवल/शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद (NNP) –

↓
GNP – मशीनों की घिसावट/मूल्य ह्रास, कर व्यय (Depreciation)

4. शुद्ध राष्ट्रीय आय (NNI) –

↓
बाजार कीमत पर NNP_{MP} – अप्रत्यक्ष कर + सब्सिडी

- राष्ट्रीय आय का मूल्यांकन स्थिर कीमत पर (आधार वर्ष 2011–12 (2004–05 के स्थान पर) वास्तविक हो जाएगी।
- निगम कर को राष्ट्रीय आय से घटाना होगा, क्योंकि यह परिवारों को नहीं मिलता।
- उल्लेखनीय है कि CSO द्वारा वर्ष 2015 में जारी निर्देश के अनुसार, स्थिर बाजार मूल्य पर व्यक्त GDP जो कि अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों के बेसिक मूल्य पर व्यक्त सकल मूल्य संवर्धन (GVA) का योग होगा, राष्ट्रीय आय को प्रदर्शित करेगा।
- GDP को उच्च कल्याण का सूचकांक नहीं माना जा सकता, क्योंकि किसी की आय बढ़ जाती है तो किसी की कम हो जाती है।

जैसे कम्पनी लगाने से GDP बढ़ेगा, लेकिन कम्पनी के प्रदूषण से गरीब आदमी के मछली पालन, कृषि आदि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

5. प्रति व्यक्ति आय (PCI) –

- किसी भी देश में आर्थिक कल्याण का ठीक से पता लगाने के लिए PCI एक सर्वश्रेष्ठ मापदंड हाती है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि सभी लोग आर्थिक कल्याण के अच्छे स्तर पर हों।

“Largest economies are not the richest” – [World Bank]

6. मौद्रिक राष्ट्रीय आय –

- चालू की मूल्यों का प्रयोग किया जाता है।
- इसे प्रचलित मूल्यों पर राष्ट्रीय आय भी कहते हैं।

चालू मूल्य पर जीडीपी तथा स्थिर मूल्य पर व्यक्त जीडीपी

- जब जीडीपी की गणना बाजार में प्रचलित मूल्य या चालू मूल्य पर की जाती है तो इसे चालू मूल्य पर व्यक्त जीडीपी या मौद्रिक (Nominal GDP) जीडीपी कहते हैं।
- इसके विपरीत जब जीडीपी की गणना में स्फीति के प्रभाव को दूर करने के लिए जीडीपी को किसी पिछले वर्ष (आधार-वर्ष) के मूल्य के आधार पर व्यक्त करते हैं तो इसे स्थिर मूल्य पर जीडीपी या वास्तविक जीडीपी (Real GDP) कहा जाता है।
- सीएसओ द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना के लिए आधार वर्ष की नई श्रृंखला 2011-12 अपनाई गई है। इसके पूर्व में यह 2004-05 थी।

राष्ट्रीय आय के आकलन की विधियाँ

उत्पादन विधि

- इसमें अर्थव्यवस्था की उत्पादक इकाइयों के उत्पादन का कुल योग शामिल होता है।
- इस विधि के अंतर्गत राष्ट्रीय आय की गणना चालू वर्ष में हुए उत्पादन के योग को ही शामिल किया जाता है।

आय विधि

- इसके अंतर्गत उत्पादन के सभी साधनों द्वारा उत्पादन के परिणामस्वरूप प्राप्त आय के योग से राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। इसमें चार साधन आय जोड़े जाते हैं –
- कर्मचारियों की क्षतिपूर्क आय जिसमें मजदूरी तथा वेतन, नियोक्ता द्वारा सामाजिक अंशदान का मूल्य शामिल होता है।
- लगान तथा रॉयल्टी, ब्याज तथा लाभ।

व्यय विधि (Expenditure Method)

- बाजार मूल्य या जीडीपी (GDP) को देश की आर्थिक सीमा के भीतर उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के ऊपर किए गए कुल व्यय के रूप में भी देखा जा सकता है। इन व्ययों में शामिल है।
- निजी अंतिम उपभोग व्यय (C)
- सरकारी अंतिम उपभोग व्यय (G)
- विनियोग व्यय (i)
-विदेशी निवेश (आयात-निर्यात)

राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल किए जाने वाले मद

- आय गणना वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुएं तथा सेवाएं।
- गणना वर्ष में उत्पादित परंतु उस वर्ष का न बिका हुआ स्टॉक।
- सैनिक तथा सुरक्षा सेवाएं।
- विदेशी पर्यटकों द्वारा भारत में किया जाने वाला व्यय।
- सरकार द्वारा जनता को प्रदान की गई निःशुल्क सेवाएं।
- लाभांश।
- भविष्य निधि कोष में लोगों का अंशदान।
- स्वयं उपभोग के लिए किया गया उत्पादन।
- ब्रोकर्स कमीशन (क्योंकि यह एक उत्पादक सेवा है)
- विदेशों में स्थित भारतीय बैंकों की आय।

राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किये जाने वाले मद

- शेयर तथा डिबेंचर्स चाहे ये उसी वर्ष हो, निर्गत क्यों न किए गए हों।
- पूँजीगत लाभ व हानि तथा अप्रत्याशित लाभ।

- कोई भी मध्यवर्ती भुगतान शामिल नहीं होते, जैसे – फैक्ट्री का बिजली खर्च, होटल द्वारा खरीदी गई सब्जियाँ आदि।
 - किसी व्यक्ति या परिवार द्वारा अवकाश में किया गया गृह कार्य जैसे – फल, सब्जी उत्पादन आदि।
 - किसी फर्म द्वारा रखे गए स्टॉक की कीमत में वृद्धि विदेशों में प्राप्त उपहार।
- 1) विदेशों से प्राप्त शुद्ध प्राप्त संबंधी ऑकड़ों से तैयार तथा प्रकाशित करने कार्य रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है, लेकिन रिजर्व बैंक अपने विश्लेषण में CSO के ऑकड़ों का ही प्रयोग करता है।

राष्ट्रीय आय के आकलन से संबंधित कुछ तथ्य

- राष्ट्रीय आय संबंधी ऑकड़े CSO द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं जो कि सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय का एक भाग है।
- प्रथम बार राष्ट्रीय आय के अनुमान का प्रयास दादाभाई नौरोजी ने 1868 ई. में किया था।
- राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (NSSO) की स्थापना 1971 ई. में की गई थी।
- भारत में पूँजी निर्माण संबंधी ऑकड़ें CSO द्वारा तैयार किए जाते हैं।

सकल घरेलू बचत

- घरेलू बचत, सरकारी बचत एवं निगम बचत के योग को सकल घरेलू बचत कहा जाता है।
- देश के गृह क्षेत्र द्वारा की गई कुल बचत को घरेलू बचत कहा जाता है।
- देश की सरकार द्वारा की गई कुल बचत को सरकारी बचत कहा जाता है।
- देश के सार्वजनिक निगमों एवं निजी विषयों की कुल बचत को निगम बचत कहा जाता है।
- 1950–51 में यहाँ सकल घरेलू बचत 8.9 प्रतिशत थी वहीं 2013–14 में यह 30.6 प्रतिशत है।

आधार वर्ष में बदलाव

CSO ने आर्थिक विकास दर की गणना के लिए 2011–12 के नए आधार वर्ष के साथ राष्ट्रीय खातों की एक नई श्रृंखला जारी की है। जनवरी 2010 में आधार वर्ष 2004–05 के रूप में तय किया गया है।

इससे विश्लेषण के लिए ऑकड़ों की समझ सरल होगी और इससे अंतर्राष्ट्रीय मानकों के समरूप तुलना करने में भी आसानी होगी।

→ औद्योगिक उत्पादन सूचकांक भी CSO जारी करता है। आधार वर्ष 2004–05.

Economy Survey –

- Draft Economic Affair द्वारा
- Defect - CSO द्वारा
- अंतिम रिपोर्ट – वित्त सचिव + पीएम

राजकोषीय नीति

बजट

- संविधान का अनुच्छेद 112
- सरकार की अनुमानित आय और व्यय के वितरण
- तैयार करता है – Department of Economic Affairs (वित्त मंत्रालय)
- दोनों सदनों में पेश करने हेतु "राष्ट्रपति उत्तरदायी हैं।

इसमें –

- ❖ आने वाले वर्ष का अनुमान
- ❖ चालू वर्ष का अनुमान
- ❖ पिछले वर्ष का वास्तविक व्यौरा

→ राज्य बजट अनु. 202

बजट या सबसे लम्बा

पहला बजट– विलसन द्वारा
1860 में
वायसराय केनिंग

Vote on Account

- i. हर साल पेश किया जाता है।
- ii. फरवरी से अप्रैल तक के सरकार के खर्चे पूरे करने के लिए।
- iii. सिर्फ खर्चे के लिए 1/6
- iv. सामान्यतः 2 माह, अधिकतम 6 माह

Interim Budget

- i. सिर्फ चुनावी साल में
- ii. लोक लुभावनी घोषणाएं नहीं की जा सकतीं, ताकि चुनाव प्रभावित न हो।
- iii. ताकि सभी प्रक्रिया सामान्य बजट जैसी
- iv. Vote on Account अंतरिम बजट का ही भाग है और सामान्य बजट का भी।

सरकार की आय एवं व्यय का प्रबंधन तीन खातों के माध्यम से होता है। – (अनु- 266 और 267 बजट ढाँचे का विवरण)

i. संचित निधि (Consolidated Fund) – अनु. 266 (1)

→ सम्पूर्ण राजस्व प्राप्तियाँ –

- समस्त प्राप्तियाँ
- जो ऋण लिया
- दिए गए ऋण से प्राप्त ब्याज

- इसमें से पैसा निकालने हेतु संसद द्वारा विनियोग अधिनियम या अनुपूर्व अनुदान पारित किया हो, अर्थात् इसमें से धन निकालने हेतु संसद की अनुमति अनिवार्य।
- इसी प्रकार की प्रक्रिया राज्य में भी लागू।

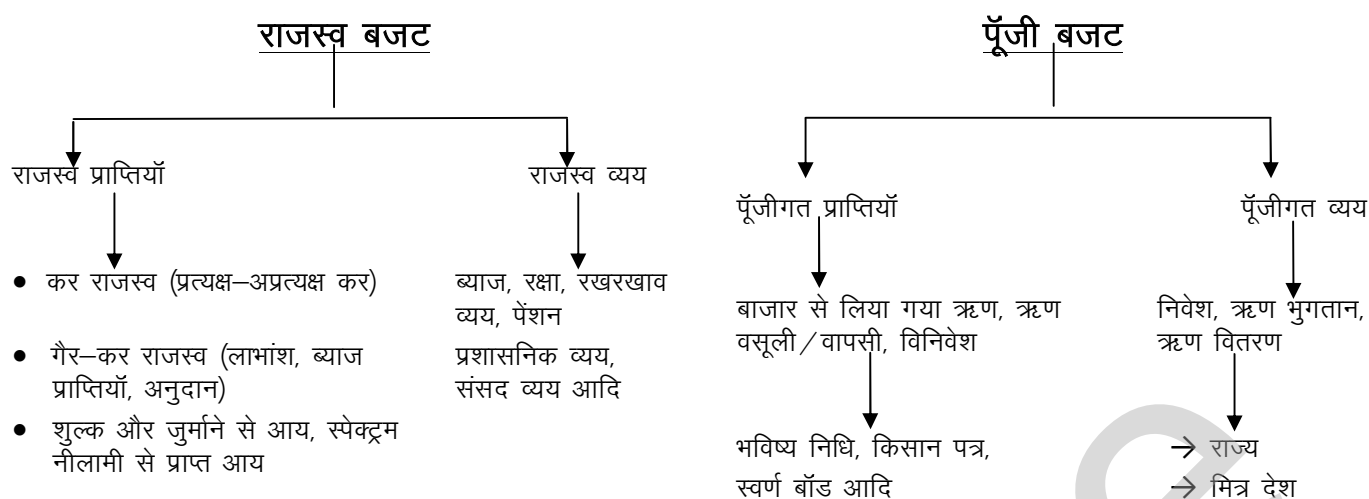
ii. लोक लेखा खाता (Public Account) अनु. 266 (2)

- विनिवेश फंड
- NDRF
- मनरेगा फंड
- Clean India Fund
- राष्ट्रीय लघु बचत निधि
- Provident Fund, Postal Enquiry Money Order etc.
- यह धन सरकार के पास एक प्रकार से Bank के रूप में जमा रहता है। इसमें से पैसा निकालने हेतु संसद की अनुमति अनिवार्य नहीं।

iii. आकस्मिक निधि (Contingency Fund) – अनु. 267

- आकस्मिक व्यय को पूरा करने हेतु राष्ट्रपति, राज्यपाल (क्रमशः केन्द्र एवं राज्य) की अनुमति से धन निकाला जा सकता है। बाद में संसद से अधिकृत होने पर संचित निधि से निकालकर इसमें पुनः डाल दिया जाता है।

बजट



राजस्व प्राप्तियों क्या हैं ?

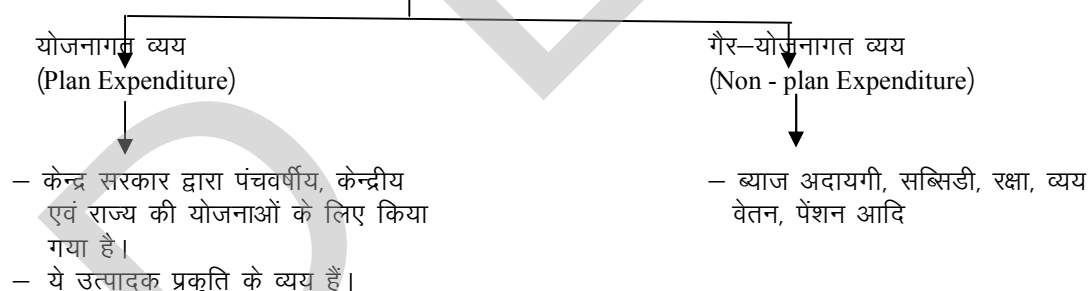
→ वे सरकारी प्राप्तियों जिनकी उत्पत्ति के लिए सरकार को सार्वजनिक सम्पत्ति नहीं बेचनी पड़े और न ही सार्वजनिक देयताएं बढ़ानी पड़े।

पूँजीगत प्राप्तियों क्या हैं ?

→ वे प्राप्तियों जिनकी उत्पत्ति के लिए या तो सार्वजनिक सम्पत्तियों बेचनी पड़े या सार्वजनिक देयताएं बढ़ानी पड़ें।

उधार लेते हैं
जमा

सरकार के व्यय/खर्च



* सी. रंगराजन समिति की सिफारिशों पर सरकार ने व्यय के इस वर्गीकरण को समाप्त कर दिया है।

विकासात्मक व्यय — बंध, पुल, कारखाने, रेलवे, सड़क आदि।

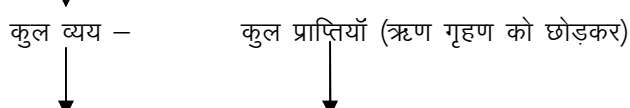
गैर-विकासात्मक व्यय — वेतन, पेंशन, ब्याज अदायगी, रक्षा व्यय आदि।

* योजनागत खर्च का कार्य

- पहले देखता था — योजना आयोग [पुनर्संरचना नीति आयोग]
- अब देखता है — नीति आयोग नहीं बल्कि वित्त मंत्रालय

सरकारी घाटे

i.) राजकोषीय घाटा (Fiscal Deficit)



(राजस्व + पूँजीगत) (राजस्व + पूँजीगत)

ii.) राजस्व_घाटा (Revenue Deficit)

राजस्व व्यय – राजस्व प्राप्तियाँ

iii.) पूँजीगत_घाटा (Capital Deficit)

पूँजीगत खर्च – पूँजीगत प्राप्तियाँ

iv.) बजट_घाटा –

कुल खर्च – कुल प्राप्तियाँ (बाजार से उधार और अन्य देयताओं को भी सम्मिलित किया गया हो।)

→ बजट घाटे को पूरा करना –

- आर.बी.आई से उधार लेकर
- आर.बी.आई के पास पड़ा हुआ केस बैलेंस कम करना।

v.) प्राथमिक घाटा – ब्याज भुगतान

राजकोषीय घाटा – ब्याज भुगतान

→ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घाटे को मापने हेतु लोकप्रिय होता जा रहा है।

* भारत में राजकोषीय घाटे की अवधारणा 1 अप्रैल 1997 को लागू की गई – चक्रवर्ती समिति की सिफारिश पर। बजट घाटे की अवधारणा बजट निर्माण प्रक्रिया में भारत में पारदर्शिता एवं जवाबदेही उत्पन्न कर रही है।

* घाटे को पूरा करना :-

- ऋण = विदेशी आंतरिक
- विदेशी सहायता
- नई मुद्रा बाजार
- कर बढ़ाकर
- सुशासन द्वारा

राजकोषीय घाटा कम होने/करने के कारण/प्रयास

- केन्द्रीय योजनाओं की संख्या कम की गई है।
- पेट्रोल-डीजल मूल्य नियंत्रण मुक्त।
- कच्चा तेल सस्ता हुआ है।
- LPG, केरोसीन की अंतर्राष्ट्रीय मूल्य में कमी आने से सरकार की सब्सिडी की राशि कम हुई है।
- DBT for LPG + JAM

जन-धन आधार मोबाइल

Direct Benefit Transfer

कुल सब्सिडी 2.5 लाख करोड़

- खाद्य
- उर्वरक
- पेट्रोलियम

व्यय प्रबंधन आयोग (EMC) – सितम्बर – 2014

इसका उद्देश्य सरकार को व्यय सुधार में जानकारी देने के साथ-साथ राजकोषीय घाटे को कम करने और उचित प्रबंध के संबंध में सुझाव देना है।

→ वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग का बजट डिवीजन ऋण प्रबंधन पर तिमाही रिपोर्ट जारी करता है।

- सरकार के ऊपर जितना भी ऋण होता है, उसे लोक ऋण कहते हैं। ऐसी प्राप्तियों जो लोक ऋण को प्रभावित करती हैं, वे “द्वितीयक प्राप्तियों” कहलाती हैं। जो प्राप्तियों लोक ऋण को प्रभावित नहीं करती, उन्हें प्राथमिक प्राप्तियों कहते हैं।

ऊँचे राजकोषीय घाटे के दुष्परिणाम

- i. ब्याज दर बढ़ेगी तो नियोजित निजी निवेश कम होगा।
- ii. कल्याण पर नकारात्मक असर पड़ेगा।
क्योंकि, सरकार भविष्य में अधिक खर्च करने से बचेगी।
- iii. अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं का दबाव बढ़ सकता है। (खर्च में कटौती के लिए)
- iv. बेरोजगारी बढ़ सकती है।

LPG वाली अर्थव्यवस्था के लिए उचित नहीं है।

FRBM Act (Fiscal Responsibility and Budget Management)

राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 (FRRM ACT)

- i. संसद में राजकोषीय सुदृढीकरण तथा सार्वजनिक व्यय के प्रबंधन के लिए 2003 में यह अधिनियम पारित किया था।
 - ii. इसका प्रमुख उद्देश्य राजकोषीय एवं राजस्व घाटे को कम करने हेतु पर्याप्त कदम उठाने के लिए सरकार को प्रेरित करना था, ताकि 2008 तक राजस्व घाटा समाप्त हो जाए और पर्याप्त राजस्व आधिक्य का सृजन हो सके।
 - iii. केन्द्र सरकार रिजर्व बैंक से केवल उस स्थिति में उधार लेगी, जब नकद प्राप्तियों की अपेक्षा नकद व्यय अस्थायी रूप से अधिक हो।
 - iv. सरकार संसद के दोनों सदनों में वार्षिक वित्तीय विवरण तथा मांग अनुदान के साथ समष्टि-अर्थशास्त्रीय अवसंरचना विवरण, मध्यावधि राजकोषीय नीति विवरण तथा राजकोषीय नीति-रणनीति विवरण प्रस्तुत करेंगी।
- इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए तृतीय केलकर समिति का गठन किया गया जिसने FRBM नियमावली का निर्माण करके कुछ उद्देश्य निर्धारित किए—
 - i. 31 मार्च 2008 तक राजस्व घाटे समाप्त करना और प्रतिवर्ष (2004–05 से शुरू करके) इसमें जी.डी.पी. के 0.5% के बराबर कमी करना।
 - ii. 31 मार्च, 2008 तक राजकोषीय घाटे को जी.डी.पी. के 3% तक कम करना और इसके लिए प्रतिवर्ष (2004–05 से शुरू करके) इसे जी.डी.पी. के 0.3% तक कम करना।
 - iii. वर्ष 2004–05 से जी.डी.पी. के 9 प्रतिशत से अधिक अतिरिक्त देयताओं को सृजित न करना, जिसमें विदेशी ऋण भी शामिल हैं, साथ ही आगामी वर्षों में इसमें जी.डी.पी. के 1 प्रतिशत तक की कमी करना।
 - कर्नाटक FRBM नियमावली को लागू करने वाला पहला राज्य है।
 - 2015–2016 के बजट में वित्त मंत्री ने राजकोषीय घाटे को वर्ष 2017–18 तक जी.डी.पी. के 3% तक लाने की बात कही।
 - ❖ अमेरिकी मंदी के भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव से निपटने हेतु भारत सरकार द्वारा एक Stimulus Package (3.86 लाख करोड़) के कारण FRBM Act अपने निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सका।
 - ❖ FRBM Act के कारण सामाजिक खर्च (शिक्षा, स्वास्थ्य) पर विपरीत प्रभाव पड़ने से इसकी आलोचना की जाती है।

वित्तीय समावेशन

समस्त जनसंख्या, विशेष रूप से अल्प आय तथा कमजोर एवं निर्धन लोगों को वहनीय लागत पर पारदर्शी ढंग से साख-सुविधाएं अथवा बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराना। ऐसे लोग जो बैंकिंग सेवाओं या साख सुविधाओं से वंचित होने के कारण गंवों में साहूकारों, महाजनों आदि से ऊँची ब्याज दर पर ऋण लेते हैं और अंततः उनके जाल में फंस जाते हैं।

वित्तीय समावेशन हेतु किए गए प्रयास –

- बैंकों का राष्ट्रीयकरण
- पीएसएल
- स्वयं सहायता समूह की शुरुआत
- स्वाभिमान योजना (2011, 2000 से अधिक आबादी वाले 73,000 गंवों को बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध करवाई)
- Zero-Balance Account (2012)
- जन-धन योजना (28 अगस्त, 2014)

1. बैंकिंग – सेविंग, ATM
2. क्रेडिट – ऋण प्राप्त कर
3. निवेश – Pension Plan
4. बीमा – L.I.C. GI

वित्तीय समावेशन के लिए अनिवार्यताएं –

- i. दूर-दराज के पिछड़े इलाकों में बैंकिंग सुविधा उपलब्ध करवाना।
- ii. लोगों को बैंकिंग प्रणाली के लाभ से परिचित कराना, ताकि अधिक से अधिक लोगों को खाता खोलने हेतु प्रेरित किया जा सकें।
- iii. न्यूनतम लागत पर ऋण प्रदान करना, ताकि ऋण जाल में न फंसें।
- iv. बैंकिंग प्रणाली में ऐसी भाषा का प्रयोग करना जो जनसंख्या की विविधता हो।

वित्तीय साक्षरता –

इससे आशय उन शब्दों से है, जिनका सामना किसी निवेशक को मुद्रा बाजार में प्रवेश करते समय करना पड़ता है जैसे— किस प्रकार धन का निवेश, व्यवस्था या किसी की सहायता के लिए दान किया जाए आदि ज्ञान से हैं।

अधिकांश भारतीय मुद्रास्फीति तथा ब्याज दर जैसे प्रमुख धारणाओं को नहीं समझते। यही कारण है कि बहुत से लोग, विशेषकर निर्धन तथा महिलाएं बैंकिंग तथा वित्तीय सेवाओं का लाभ उठाने में असमर्थ रह जाते हैं।

“विकास वह है जो स्वतंत्रता दिलाता है।” – प्रो. अमर्त्य सेन

संवृद्धि (Growth)

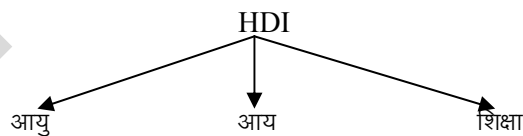
- i. यह मात्रात्मक होती है।
- ii. यह राष्ट्रीय आय अथवा उत्पादन में होने वाले प्रदर्शन को प्रभावित करती हैं।

विकास (Development)

- i. यह गुणात्मक होती है।
- ii. यह जीवन की गुणवत्ता को प्रदर्शित करता है।

कोई संदेह नहीं है कि जीवन की अच्छी गुणवत्ता के लिए आय की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है, अर्थात् जीवन की अच्छी गुणवत्ता को केवल राष्ट्रीय आय द्वारा स्पष्ट नहीं किया जा सकता। आय के साथ-साथ अच्छा स्वास्थ्य, शिक्षा आदि की भी आवश्यकता होती है। विकास में इन सब आयामों को भी ध्यान में रखा जाता है।

विकास के मापक –



* सूचकांक का मूल्य 0 → → → के बीच होता है।

Sustainable Development :- आने वाली पीढ़ियों के लिए भी संसाधन को बनाए रखना।]

इस शब्द का प्रयोग पहली बार United Nation Commission on Environment & Development द्वारा किया गया था। इस आयोग को Brunt Land आयोग के नाम से भी जाना जाता है।

कुछ लोगों का मानना है कि तकनीकी का विकास करके संसाधनों की बचत की जा सकती है, लेकिन यह सही नहीं है, क्योंकि तकनीकी के बढ़ने से उत्पादकता बढ़ती है, जिससे लोगों की आय भी बढ़ती है – आय बढ़ने से लोगों का उपयोग भी बढ़ता है और इस प्रकार संसाधनों की बचत नहीं हो पाती।

Carbon Credits :- [इसमें 6 प्रकार की गैसों को आधार रखा गया है।]

यह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत व्यावसायिक फर्म में और विभिन्न प्रकार की अन्य संस्थाएं, जैसे— CER (Certification Emission Reduction) Certificate प्राप्त करने का प्रयास करती है।

1 CER, 1 टन CO₂ का प्रतिनिधित्व करता है। इसे पाने के लिए संबंधित कम्पनियाँ अथवा संस्थाएं इस प्रकार की Green Projects में निवेश करती हैं, जिनसे CO₂ के स्तर को कम करने में मदद मिलती है। वर्तमान में इनका एक बाजार विकसित हो गया है, जिसमें इस प्रकार से कमाए गए Carbon Credits को बेचा जा सकता है।

इनका वायदा कारोबार भी चलता है। भारत में MCX द्वारा 2008 में इस कारोबार को शुरू किया गया था। [1 टन CO₂ Reduce हो तो संस्था को 1 CER मिलता है]

Happy Planet Index

भूटान से प्रारम्भ

संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक पहल सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा रिपोर्ट जारी की जाती है।

खुशहारी मापने के कारक –

- आय
 - स्वस्थ जीवन काल
 - सामाजिक सुरक्षा (परेशानी में कोई सहयोग मिलता है या नहीं)
 - विश्वास → (सरकार और निजी कारोबार में भ्रष्टाचार को लेकर)
 - आजादी (फैसले लेने की स्वतंत्रता)
 - उदारता
-
- समावेशी विकास का अर्थ है विकास की ऐसी संकल्पना जो समाज के सभी लोगों, मुख्य रूप से गरीब तथा पिछड़े लोगों को, जो विकास से वंचित हैं, को विकास की मुख्य धारा से जोड़ेगा।
 - **समावेशी विकास के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए तीन पहलू आवश्यक हैं –**
 - आर्थिक विकास की उँची दर।
 - अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास से उत्पन्न लाभ का समान वितरण।
 - वित्तीय समावेशन।
 - भारत में समावेशी विकास की अवधारण 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मुख्य रूप से चर्चा में आई। समावेशी विकास की दिशा में प्रगति हेतु निम्नलिखित उपायों पर बल देना आवश्यक है।
 - रोजगार के अवसरों में वृद्धि जिससे ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में रहने वाले सभी बेरोजगार लोगों को रोजगार मिले तथा उनकी आय में वृद्धि हो।
 - आवश्यक आधारभूत सुविधाएं जैसे – पानी, सड़क, आवास, भोजन इत्यादि तक सभी की पहुँच सुनिश्चित हो।
 - कृषि क्षेत्र में निवेश में वृद्धि, जिससे इस क्षेत्र में प्रगति के अवसर बढ़ें तथा अधिक लोगों को रोजगार मिले तथा उनकी आय में वृद्धि हो।
 - समाज के कमजोर वर्ग जैसे – अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, निर्धन वर्ग तथा महिलाओं की सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति में सुधार हो।
- HDI एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने पर भी समावेशी विकास में वृद्धि होती है।

Money and Banking

1. Bank Rate

आर.बी.आई द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को Long Term Loan देने के लिए जिस ब्याज दर का प्रयोग किया जाता है, उसे Bank Rate कहते हैं। यहाँ बैंकों को सेक्युरिटी गिरवी नहीं रखनी पड़ती।

बैंक रेट एक पुनर्कटौती की दर (Rate of Re-discounting) के रूप में कार्य करती है। Bank Rate रेट के अंतर्गत RBI प्रथम श्रेणी के वाणिज्यिक बिलों की पुनर्कटौती करता है।

↓

बैंक अथवा वित्तीय संस्थान द्वारा गारंटी प्राप्त बिल

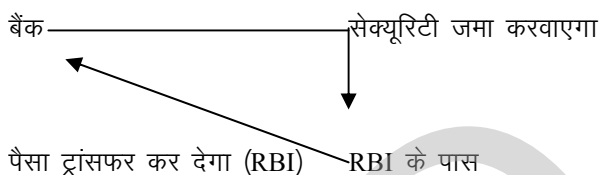
बैंक रेट के प्रयोग

- लॉन्ग टर्म लोन
- यदि बैंक CRR, SLR नहीं जमा करवाता तो पेनल्टी इसी आधार पर लगती है।
[बैंक रेट + 3% या 5%]
- महंगाई नियंत्रण करने में।

2. रेपो रेट –

बैंक को अपने दैनिक कामकाज (1–14 दिन) के लिए अर्थात् शॉर्ट टर्म लोन के लिए RBI के पास सेक्युरिटी गिरवी रखकर जो ऋण मिलता है, उस ब्याज की दर को रेपो कहते हैं।

मतलब RBI को जो ब्याज मिलता है – रेपो रेट, इसमें बैंक सेक्युरिटी जमा करवाते समय ही बोल देता है कि मैं इतने दिन बाद सेक्युरिटी वापस खरीद लूँगा। जैसे बैंक सेक्युरिटी के बदले 100 करोड़ ले रहा है। बाद में वही सेक्युरिटी 108 करोड़ में खरीद लेगा, ये 8 करोड़ (8%) एक प्रकार से रेपो रेट ही है।



RRR और रेपो रेट के अंतर्गत धन का लेन-देन LAF (Liquidity Adjustment Facility) के अधीन किया जाता है (2000)।

↓
तरलता समायोजन सुविधा

GDP बढ़ेगा

रेपो रेट कम है तो

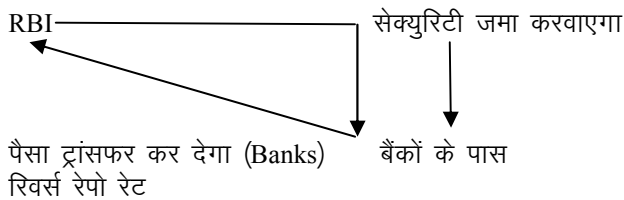
- RBI से बैंकों को सस्ता लोन मिलेगा
- बैंक आगे भी लोगों को सस्ता लोन देगा
- इससे निवेश बढ़ेगा
निवेशक पैसा शेयर खरीदने में लगाएंगे, फिर सेंसेक्स बढ़ेगा, जिससे रुपए की माँग बढ़ेगी—
- रुपए की माँग बढ़ने से रुपए की अधिक जरूरत पड़ेगी, फिर निवेशक डॉलर के बदले रुपए प्राप्त करेंगे।

↓

- अंतर्राष्ट्रीय लेन-देन में भुगतान संतुलन की समस्या कम होगी।

रेपो रेट बढ़ने से – बैंकों को RBI से लोन महँगा मिलेगा, जिससे लोगों को भी लोन महँगा मिलेगा। बाजार में मुद्रा की तरलता कम हो जाएगी जिससे मुद्रास्फीति नियंत्रण में आ जाएगी।

रिवर्स रेपो रेट – यह रेपो रेट से बिलकुल उलटा है। इसमें बैंकों को अपनी जमा पर ब्याज मिलता है। यदि RBI को लगता है कि बैंकों के पास बाजार में आपूर्ति के लिए अधिक नकदी / तरलता है तो वह RRR से इसे सोखता (Absorb) है। इसमें RBI Security को पुनः खरीदने के वादे के आधार पर बैंकों की अतिरिक्त नकदी/तरलता को जमा कर लेता है।



रिवर्स रेपो रेट कम हो तो –

- बैंक, RBI के पास कम धन जमा करवाएंगे।
- जिससे बाजार में तरलता अधिक रहेगी।
- लोन सस्ता होगा।
- निवेश बढ़ेगा।
- जीडीपी बढ़ेगा।

रिवर्स रेपो रेट ऊँची हो तो –

- बैंक ज्यादा लाभ कमाने के लिए प्रोत्साहित होंगे और RBI के पास ज्यादा पैसा करवाएंगे।
- बाजार में तरलता कम हो जाएगी।
- मुद्रास्फीति नियंत्रण में आएगी।

जैसे –

RRR	RR	MSF
7%	8%	9%
(-1%)		(+1%)

यहाँ RBI, 100 करोड़ के बदले 107 करोड़ देगा। 2011 से RRR – से 100 Basis Point मतलब 1% कम रखी जाती है।

4. MSF RATE (Marginal Standing Facility)

- इसमें RBI Overnight Lending करता है। (1 दिन-रात)
- जब RBI से आपात स्थितियों में (सामान्य स्थिति में SLR वाली Security का प्रयोग नहीं किया जा सकता) SLR वाली Security का अधिकतम 0.75% का लोन लिया जाता है तो MSE कहलाएगा।
- मंदी के समय Banks को तरलता प्रदान करने के लिए

MSF [सीमांत स्थायी सुविधा]

- कम से कम 1 करोड़
- सिर्फ अनुसूचित बैंक प्रयोग कर सकते हैं (1994 Act)
- ग्राहकों के हितों की रक्षा करने वाले
- ऋण लेने के लिए SLR के अंतर्गत रखी सेक्युरिटी का प्रयोग कर सकती है।

LAF

- कम से कम 5 करोड़
- सभी बैंक [सरकारी, निजी और क्षेत्रीय बैंक]
- NBFC भी – रेपो रेट पर बैंक NBFC; सभी लोन ले सकते हैं।
- नहीं कर सकती है।

→ MSF Rate को लागू करने का लक्ष्य → Call Money Market की ब्याज दरों को नियंत्रण में रखना है।

5. Base Rate

- 2010 – दीपक मोहंती समिति
- बैंकों में स्वास्थ्य प्रतियोगिता को बढ़ावा देना।
- इसके अंतर्गत प्रत्येक वाणिज्यिक बैंक को एक ब्याज दर की गणना करनी होती है, जिस पर उन्हें कोई नुकसान न हो।

RBI के नियमानुसार, कोई भी बैंक अपने BPLR (Benchmark Prime Lending Rate) को Base Rate की तुलना में नीचे नहीं रख सकता है ?

6. PLR/BPLR : प्रधान ऋण दर

जिस दर पर बैंक अपने सबसे विश्वसनीय ग्राहक को, जिसके संबंध में जोखिम शून्य हो, ऋण देने के लिए तैयार रहता है। यह दर एक प्रकार से आधार के रूप में कार्य करती है, जिसको ध्यान में रखकर अन्य उद्यमियों के संबंध में बैंक अपनी ब्याज दर निर्धारित करता है। 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद इसे लागू किया गया।

7. बैंक द्वारा ग्राहकों को आकर्षित करने हेतु शुरु में निम्न ब्याज दर – भविष्य में इसे बढ़ा दिया जाता है।

↓
इस प्रक्रिया ARM (Adjusted Rate Mechanism) को कहते हैं।

आरक्षित अनुपात

[परिवर्तनीय कोष अनुपात]

CRR नकद आरक्षित अनुपात

- प्रत्येक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक को अपनी जमा (NDTL) राशि का एक निश्चित नकद के रूप में RBI के पास जमा रखना पड़ता है।
- बैंक इसे नकद, सोना, Government Security, RBI Approval Security के रूप में रख सकते हैं।
- CRR को बैंक किसी भी काम में प्रयोग नहीं कर सकते, अर्थात् इससे बैंकों को कोई लाभ नहीं होता। इस पर ब्याज नहीं देता।
- CRR - RBI द्वारा निर्धारित।

SLR (वैधानिक तरलता अनुपात)

- बैंकों को कुल मॉग जमा के लिए एक निश्चित नकद का अंश अपने पास बनाए रखना पड़ता है।
- समान रूप से रख सकते हैं।
- यहाँ लाभ होता है।
- SLR - RBI + वित्त मंत्रालय (2007 से)

का बैंकिंग विभाग लेकिन घोषणा RBI द्वारा।

- CRR, SLR नकद आकस्मिक अभाव से निपटने के लिए है, ताकि Bank Run से बचाया जा सके।
- वह स्थिति जिसमें हर आदमी बैंक की आरक्षित निधि समाप्त होने से पूर्व अपना पैसा निकालना चाहता है।
- CRR (3-15%), SLR (25-40%) की ऊपरी और निचली सीमा, 2006 में समाप्त कर दी गई है।
- SLR की इस बात को लेकर आलोचना की जा रही है कि सरकार द्वारा इसका प्रयोग घाटा वित्तीयन के लिए करती है।

CRR, SLR पर किसी प्रकार का संसदीय नियंत्रण नहीं है, लेकिन परिस्थितियों में केन्द्र सरकार RBI को दिशा-निर्देश दे सकती है तथा संसद के प्रति जवाबदेह भी है।

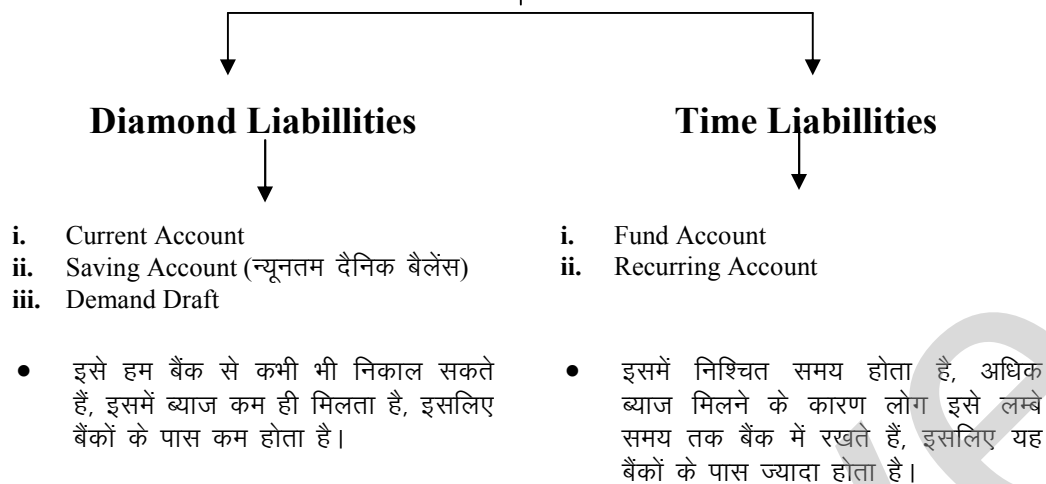
कीमत लागत अंतर —

बैंक द्वारा जमाकर्ताओं को जिस दर से ब्याज दिया जाता है तथा जिस दर पर बैंक अन्य लोगों को ऋण प्रदान करता है — दोनों का अंतर ही कीमत लागत अंतर है।

ब्याज दर (Interest Rate)

बैंक द्वारा जनता के जमा एवं ऋण पर प्रयोग की जाने वाली दर।

जनता का पैसा NDTL (Net Diamond & Time Liabilities)



- NDTL के अनुसार, CRR, SLR का प्रतिशत रखना होता है।
- CRR और SLR के बाद बैंक के पास जो पैसा बचा, वही ऋण योग्य निधि है।
- Time Liabilities में पैसा समय पर न निकाला जाए तो आगे ब्याज नहीं मिलता।

CRAR (Capital to Risk – Weighted Assets Ratio)

इसे पूँजी पर्याप्तता मानक भी कहते हैं। भारतीय बैंकों को उनकी जोखिम भारित कुल परिसंपत्तियों के एक भाग के रूप में आधार पूँजी Maintain करनी पड़ती है। भारत में यह मानक Basel-I (1992) के रूप में लागू है। इसका संशोधित स्वरूप Basel-3, 2013 से 2019

आधार पूँजी – संकट के समय इस्तेमाल पूँजी (बैंक द्वारा)

अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति और तरलता माप के संघटक

$M_0 =$ i. Currency in Circular
ii. Bankers
iii. Others Deposit with RBI
Total M_0 : Reserve Money

$M_1 =$ i. जनता के पास कितना पैसा है।
ii. DD (Current + Saving Account)

$M_3 =$ i. M_1 + Time and Fixed Deposit
व्यावसायिक बैंकों की निवल आपधिक जमाएं।
अर्थात् –

- जनता का पैसा
- DD + Fixed and Time Deposit

$M_2 = M_1$ + Post Office की Saving

$M_4 = M_3$ + Post Office की कुल जमाएं

: M_1, M_2 को संकुचित (Narrow) मुद्रा कहते हैं।

M_3, M_4 को व्यापक (Broad) मुद्रा कहते हैं।

तरलता

$$M_1 > M_2 > M_3 > M_4$$

Money – Coins, Currency, Note, DD.

Near Money – Financial Assets, Bond, Time Deposit, Share, Bill of Exchange.

Bill of Exchange (विनिमय पत्र)

ऋण प्रतिभूति की परिपक्वता अवधि 1 वर्ष से कम होती है। इसका विक्रय अंकित मूल्य पर होता है। इसमें बट्टा राशि को ही अंतर्निहित ब्याज राशि माना जाता है।

मुद्रा के कार्य

- विनिमय का माध्यम।
- मुद्रा नाश्वान नहीं है।
- सभी प्रकार की सम्पत्तियों में सबसे तरल है।
- सार्वभौमिक स्वीकार्यता है। भूमि, मकान, बॉण्ड, सोना आदि की सार्वभौमिक स्वीकार्यता नहीं है।

Currency + नोट + बचत खाते + चालू खाते, ये सब मुद्रा हैं।

कागजी मुद्रा माँग जमा मुद्रा (चेक) [इन्हें किसी के द्वारा भी अस्वीकार्य किया जा सकता है, इसलिए ये वैध मुद्रा नहीं हैं।]

- मुद्रा का संचलन वेग → मुद्रा की एक इकाई का अधिक बार हस्तांतरण।
- मुद्रा विनिमय → मुद्रा के बिना आर्थिक विनिमय।

Monetary Policy

RBI द्वारा मौद्रिक नीति के माध्यम के साख नियंत्रण के तरीके

1. Quantitative, General, Indirect
[परिणात्मक, सामान्य, अप्रत्यक्ष, मात्रात्मक]

- i. CRR, SLR
 - ii. OMO
 - iii. Policy Rate (Bank Rate, RR, RRR, MSF)
- ये अधिक प्रभावी हैं।

2. Qualitative, Selective, Direct
[गुणात्मक, चयनात्मक, प्रत्यक्ष]

इसमें केन्द्रीय बैंक लगभग सीधा हस्तक्षेप करता है।

- i. PSL, Down Payment को निर्धारित करता है।
- ii. उपभोक्ता साख नियमन (Regulative of Consumer Credit)
- iii. साख राशनिंग (Rationing of Consumer Credit)
- iv. प्रत्यक्ष कार्यवाही
- v. सीमांत आवश्यकता में परिवर्तन
- vi. नैतिक दबाव
- vii. डिफरेंट ब्याज दर
- viii. SHG – Bank Linkage कार्यक्रम
- ix. Margin Rate – जिस मात्रा तक किसी भी वित्तीय संख्या या बैंक को ऋण देने से मना किया जाता है।

OMO (Open Market Operation)

(खुले बाजार की क्रियाएं)

- RBI द्वारा Government Security का बाजार में क्रय-विक्रय करना OMO कहलाता है। सरकार को जब पैसे की जरूरत पड़ती है तो वह RBI के पास Government Security जमा करवाती है, जिसके बदले RBI नोट छापकर देता है। इससे RBI के पास बहुत सारी Security जमा हो जाती है। यह Security दूसरे बैंकों को बेच देता है तो बैंकों के पास कम पैसा बचने से महंगाई नियंत्रण में हो जाएगी।
- मंदी में RBI अन्य बैंकों से Security खरीदेगा तो बैंकों के पास बाजार में Loan देने के लिए अधिक पैसा हो जाएगा।
- OMO, Bank Rate से कहीं अधिक श्रेष्ठ है (साख नियंत्रण में), क्योंकि इसमें RBI को अन्य बैंकों के सहयोग पर निर्भर नहीं रहना पड़ता।
- OMO से तरलता का Repo Rate की तुलना में दीर्घकालिक समायोजन होता है।
- कैसे भी, किसी प्रकार से RBI के पास से पैसा जाएगा तो Money आपूर्ति बढ़ेगी।

मुद्रा स्फीति (Inflation)

- वस्तुओं की आपूर्ति कम होने से माँग बढ़ जाती है जिससे वस्तुओं के मूल्य स्तर में वृद्धि होती है और मुद्रा का मूल्य गिरता है — यह मुद्रास्फीति कहलाता है।
- मौद्रिक आय तथा वास्तविक आय में असंतुलन होने के कारण मुद्रास्फीति होती है।
- दो तरह की मुद्रास्फीति

1. मांग जनित मुद्रास्फीति (Demand Pull) — उत्पादन लागत बढ़ने से वस्तु की कीमत बढ़ना।

भारत में मुद्रास्फीति का मापन —

- I. → WPI का प्रयोग
→ 616 वस्तुएं सूचकांक में शामिल
→ आधार वर्ष 2011-12 (पहले या 2004-05)
सूचकांक का संकलन उद्योग मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार कार्यालय द्वारा होता है।

WPI थोक मूल्य
सूचकांक

- * भारत में मुद्रास्फीति की गणना करने के लिए WPI का प्रयोग सही नहीं माना गया है, क्योंकि —
- i. इसमें सेवाओं को नहीं जोड़ा गया है, जबकि सेवाओं की भूमिका भी अर्थव्यवस्था में होती है।
[सेवाओं का थोक स्तर नहीं होता, इसलिए WPI में शामिल नहीं किया जाता]
 - ii. उपभोक्ता Retail स्तर से जुड़े होते हैं, जबकि WPI थोक स्तर को ध्यान में रखता है। इसी कारण भारत में CPI का प्रयोग अधिक उचित माना गया है, क्योंकि CPI में Retail स्तर और सेवाओं का समावेश होता है।
- RBI महंगाई दर के लिए CPI को आधार बना रहा है, WPI को नहीं।

II. CPI — उपभोक्ता मूल्य सूचकांक —

- प्रतिदिन उपयोग में लाई जाने वाली वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य में होने वाले परिवर्तन को मापता है।
- आधार वर्ष — 2012
- CSO यह सूचकांक जारी करता है।

→ Point-to-Point विधि —

- भारत में मुद्रास्फीति निकालने के लिए इस विधि का प्रयोग जैसे— आज की मुद्रास्फीति की दर देखनी है तो 1 वर्ष पूर्व की मुद्रास्फीति की दर से तुलना करनी पड़ेगी।

आधार प्रभाव —

- कभी-कभी सांख्यिकीय रूप से मुद्रास्फीति की दर अनावश्यक रूप से अधिक ऊँची/कम दिखाई देती है — इसे आधार प्रभाव कहा जाता है।
- आधार प्रभाव उत्पन्न करने वाली वस्तुएं

खाद्य वस्तुएं

जिनकी कीमतों में उतार-चढ़ाव मानसून की स्थिति पर निर्भर करती है।
(भारतीय कृषि का लगभग 60% भाग मानसून पर निर्भर)

ऊर्जा से संबंधित वस्तुएं

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कीमतों में उतार-चढ़ाव (भारत कच्चे तेल को लेकर आयात पर निर्भर है)

भारत में मुद्रास्फीति के कारण —

- i. मांग जनित कारक —
 - लोगों की आय में वृद्धि होने से (मनरेगा)

- सरकारी व्यय में वृद्धि होने से
- बैंकों द्वारा लोगों को अधिक ऋण दिए जाने से
- बैंकों द्वारा ब्याज दर कम करने से (निवेश और व्यय दोनों में वृद्धि)
- सरकार द्वारा प्रत्यक्ष कर की दर में कमी होने से लोगों के पास अतिरिक्त पैसा बचने से
- परोक्ष/अप्रत्यक्ष कर में वृद्धि होने से वस्तुओं के मूल्य स्तर में वृद्धि।
- सस्मिडी लीकेज।

Real Interest Rate = Nominal – महंगाई

Bank या शेयर मार्केट से हमें जो ब्याज मिल रहा है, उसमें महंगाई घटने से Real Interest Rate मिलेगा।

यदि यह Rate -ve है तो हमारी क्रय क्षमता शक्ति कम हो गई है तो फिर जनता सोना और Real Estate में निवेश करती है।

ii. लागत प्रेरित अथवा पूर्ति की कमी जनित कारक –

- आपूर्ति संकट (खाद्यान्नों की पूर्ति में कमी, प्राकृतिक आपदा, EL- NINO)
- आयात में कमी होने से घरेलू बाजार में वस्तुओं की कीमत बढ़ जाती है।

iii. वैश्विक कारक –

- कच्चा तेल मूल्य वृद्धि
- जिस देश से हम वस्तुएं आयात कर रहे हैं यदि उसमें मंदी आ जाए तो हमारे देश में उन वस्तुओं की कमी हो जाएगी जिससे कीमत वृद्धि पर असर पड़ेगा।

iv. अन्य महत्वपूर्ण कारक

- MSP में वृद्धि
- आधारभूत उद्योग की आवश्यकता की वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि, (स्टील, सीमेंट, कोयला, बिजली के मूल्य में वृद्धि)।

मुद्रास्फीति का प्रभाव –

i. लाभान्वित वर्ग –

- ऋणी लोग इस वक्त लाभ में रहते हैं, क्योंकि अपनी कम मूल्य वाली मुद्रा को लौटाकर मुक्त हो जाते हैं।
- कृषक, उत्पादक, व्यापारी वर्ग [अपस्फीति में मुद्रा महंगी होने के कारण हानि में रहते हैं]
- रोजगार में वृद्धि होती है।
- परिवर्तनशील आय समूह वाले लोग
- आयात बढ़ेगा।

ii. प्रभावित वर्ग (हानि)

- ऋणदाता
- उपभोक्ता
- जिनके पास सरकारी बॉण्ड, जीवन बीमा पॉलिसी है।
- स्थिर आय वाले समूह
- बैंकों में जमा कोष वाले लोग (स्फीति की दर बैंकों से प्राप्त होने वाले ब्याज दर से अधिक होगी)
- सार्वजनिक बचत में कमी आएगी।
- निर्यात घटेगा।

खाद्य मुद्रास्फीति के कारण –

- अनियमित मानसून
- किसान और उपभोक्ता के बीच मध्यस्थ की मौजूदगी।
- उपभोक्ता की आय बढ़ने से प्रोटीन खाद्य पदार्थ की बढ़ती माँग।

मुद्रास्फीति को रोकने के उपाय –

- RBI द्वारा संकुचनकारी मौद्रिक नीति अपनाकर (Bank Rate, CRR, SLR में वृद्धि करके)
- OMO बेचने पड़ेंगे।
- संकुचनकारी राजकोषीय नीति का प्रयोग (कर में वृद्धि करके)
- सार्वजनिक व्यय में कमी करना, ताकि महंगाई न बढ़े, महंगाई बढ़ी तो ब्याज दर फिर स

- v. घाटे की वित्त व्यवस्था से बचना।
- vi. Debt Creation को स्थगित करना।
- vii. वस्तुओं की आपूर्ति को संतुलित करना
- viii. कालाबाजारी पर रोक लगाना।

सरकारी प्रयास –

- सभी राज्यों में फल एवं सब्जियों की APMC Act से हटाकर मुक्त आवाजाही की अनुमति प्रदान की गई है।
- ब्याज एवं आलू को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की सीमा में लाया गया है।
- भारत सरकार और RBI के बीच महंगाई नियंत्रण हेतु समझौता – स्फीति को 6% से नीचे बनाए रखना RBI के जवाबदेही होगी।

- Growth Rate बढ़ती है तो मुद्रास्फीति की दर भी बढ़ेगी।
- बेरोजगारी की दर कम होती है तो मुद्रास्फीति की दर बढ़ेगी।

जैसे – रोजगार मिलने से लोगों की आय बढ़ेगी, जिससे व्यय बढ़ने से वस्तु की माँग बढ़ेगी। दूसरी तरफ रोजगार देने वाली कम्पनी की लागत वेतन के रूप में बढ़ेगी, जिससे वस्तु की लागत बढ़ेगी और वस्तु महंगी हो जाएगी।

मुद्रा अवस्फीति (Deflation)

- यह मुद्रास्फीति की विपरीत स्थिति है।
- जब वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य में तीव्र गिरावट होती है तो उसे मुद्रा अवस्फीति या संकुचन कहा जाता है। मुद्रा के संकुचन के कारण मौद्रिक आय तथा वास्तविक आय में असंतुलन उत्पन्न होता है, तब मौद्रिक आय उत्पादन की मात्रा से कम होती है तथा इसके कारण मूल्य नीचे गिरने लगता है।

मुद्रा अवपात (Stagflation)

- इसमें महंगाई के साथ-साथ बेरोजगारी भी बढ़ती है।
- इससे निपटना चुनौतीपूर्ण होता है।
- प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में इस प्रकार की मुद्रास्फीति उत्पन्न हुई थी।
- इसमें उत्पादन भी रहता है और मूल्य स्तर भी बढ़ता है।

Shewflation जब वस्तुओं को छोटे समूह तक मूल्य वृद्धि का सामना करना पड़े।

Growth से जुड़े कुछ Terms :-

1. Slowdown

- वह स्थिति जिसमें GDP के बढ़ने की दर (Growth Rate) कम होती जाती है।
- GDP कम नहीं होता, Growth Rate कम होती है।

2. Contraction –

- इसमें GDP की Growth Rate तिमाही में नकारात्मक हो जाती है।
- पहले की तुलना में GDP नीचे चली जाती है।

3. Recession –

- कम से कम दो तिमाहियों में लगातार GDP की Growth Rate नकारात्मक हो।

4. Depression –

- Recession + Depression –

5. Stimulus –

अर्थव्यवस्था को Recession /Depression आदि से निकालने के लिए सरकार की ओर से दिया जाने वाला एक Package (पैकेज)।

मंदी (Recession)

एक तरफ लोगों के पास खरीदने की क्षमता नहीं रहती। दूसरी तरफ कम्पनी माल को एक हद से ज्यादा सस्ता भी नहीं कर सकती।

इससे कम्पनी

या तो बंद होगी

↓
कम्पनी बंद होने से बैंकों का
लोन नहीं चुका पाएगी, जिससे
बैंक NPA बढ़ेगा।

या तो कुछ लोगों को नौकरी से निकालेगी

↓
बेरोजगारी बढ़ेगी

↓
बच्चों की शिक्षा पर असर पड़ेगा।

↓
Demographic Dividend नहीं प्राप्त कर सकेंगे।

अर्थात् मंदी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी नहीं है।

महंगाई से लड़ना ←

मौद्रिक आय

→ मंदी से बचना

- CRR, SLR बढ़ेगी
- Bank Rate बढ़ेगा
- Repo Rate बढ़ेगा
- OMO बेचने पड़ेंगे

बैंकों के पास कम पैसा बचेगा।
बैंक कम से कम पहले जितना
लाभ कमाने के लिए ब्याज दर
बढ़ाएंगे।

इससे लोन महंगा हो जाएगा।

फिर लोग कम लोन लेंगे, जिससे
बाजार में पैसा कम होने से मांग
कम होगी और इस प्रकार
महंगाई नियंत्रण में आ जाएगी।

Tight Money Policy पैसे की
आपूर्ति कम करनी पड़ेगी।

Dear Money Policy अर्थात्
महंगी ब्याज दर करनी पड़ेगी।

- CRR, SLR कम करना
- Bank Rate कम करना
- Repo Rate कम करना
- OMO खरीदने पड़ेंगे

बैंकों के पास अधिक पैसा
आएगा। फिर सस्ती दर पर
अधिक लोन देंगे

फिर लोग अधिक लोन लेंगे।
बाजार में ज्यादा खरीदारी के
लिए जाएंगे और बाजार मंदी से
उबरने लगेगा।

Easy Money Policy अर्थात् पैसे
की आपूर्ति ज्यादा करना।

Cheap Money Policy अर्थात्
सस्ती ब्याज दर करना।

CRR की तुलना में अर्थव्यवस्था
में आपूर्ति संबंधी नकदी को
प्रभावित करने में RR ARR
अधिक एवं तुरंत प्रभावशील है।

राजकोषीय उपाय :-

- सरकारी खर्च को बढ़ाना (मंदी से निपटने हेतु)
- सरकारी खर्च को कम करना (महंगाई से लड़ने हेतु)
- प्रत्यक्ष करों में कटौती करना (मंदी से निपटने में सहायक किंतु महंगाई भी बढ़ सकती है)

SLR, CRR यदि High है तो

बैंकों के पास ऋण देने के लिए पैसा कम बचेगा

ऋण महंगा (क्योंकि लाभ कमाना ही है)

निर्यात कम हो सकता है ← निवेश, नौकरी कम हो सकते हैं
लेकिन आयात तो होता सरकार को कम कर मिलेगा।
ही रहेगा (कच्चा तेल)

चालू खाता बढ़ेगा

राजकोषीय घाटा बढ़ेगा

बाजार संतुलन की स्थिति (माँग-पूर्ति बाजार स्तर पर ही)

कुछ वस्तुएं एवं सेवाएं ऐसी होती हैं कि उनमें गिरावट वांछनीय नहीं होती, इसलिए सरकार इनकी न्यूनतम कीमत निर्धारित करती है, जैसे – MSP और न्यूनतम मजदूरी।

परम्परागत तौर पर यह तर्क दिया जाता है कि सरकार करों में कटौती करती है तो घाटे का बजट बनाती है। इससे उपभोक्ता कर से बचने वाली अतिरिक्त आय का व्यय करते हैं। इसकी आलोचना इसलिए की जाती है, क्योंकि इससे महंगाई बढ़ती है।

KD LIVE

बैंकिंग प्रणाली का विकास

- 1806 बैंक ऑफ बंगाल
- 1840 बैंक ऑफ बॉम्बे
- 1849 बैंक ऑफ मद्रास

इनमें शेयर थे – सरकार + नीति (Government + Private)। इन तीनों को 1921 में मिलाकर इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना दिया। 1 जुलाई 1955 को इसका राष्ट्रीयकरण करके SBI बना दिया।

- **अवध बैंक – 1881** : सीमित देयता वाला भारतीयों द्वारा संचालित पहला बैंक।
- 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, पूंजी – 50 करोड़
- 15 अप्रैल 1980 को 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, पूंजी – 200 करोड़

RBI

- RBI Act, 1935, 1 अप्रैल 1935 का स्थापना (हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर)
- स्थापना कलकत्ता में हुई थी, 1997 में बम्बई में स्थानांतरित।
- 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकरण

इसकी संरचना :-

- i. भारत सरकार के पूर्ण नियंत्रण में
- ii. केन्द्रीय निदेशक बोर्ड (1 गवर्नर और 4 उपगवर्नर) इसके कार्य का पर्यवेक्षण करता है।

• इसके कार्य :-

- i. मौद्रिक नीति का क्रियान्वयन, जो RBI के मौद्रिक विभाग द्वारा तैयार की जाती है –
 - अर्थव्यवस्था में मूल स्थिरता बनाए रखना
 - आर्थिक विकास एवं वित्तीय स्थिरता बनाए रखना
- ii. मुद्रा जारीकर्ता –
 - 2 रुपए के ऊपर के नोटों को जारी करता है।
 - RBI द्वारा 1957 में अपनाई गई न्यूनतम आरक्षित मानक पद्धति (MRSS) के अनुसार, RBI के पास 200 करोड़ का सोना या डॉलर रहना अनिवार्य है। EXIM Bank, NABARD, National Housing Bank, SIDBI का नियमन RBI द्वारा किया जाता है। इसी आधार पर वह मुद्रा जारी करने का अधिकार रखता है।
 - RBI द्वारा जारी प्रत्येक नोट की अंतिम देयता सरकार की होती है बेशक भुगतान का वादा RBI करे।
- 1 रुपए का नोट वित्त मंत्रालय जारी करता है। 1 रुपए के नोट और सिक्कों के वितरण का कार्य RBI करता है।
- iii. सरकार का बैंक
 - RBI सरकार के इन्हीं खातों में धन प्राप्त करता है और खातों से भुगतान करता है।
 - सभी मुद्रा एवं बैंक व्यवस्था संबंधी मामलों में सरकार को परामर्श देता है।
 - यह राज्य एवं स्थानीय प्राधिकारों को भी ऋण देता है।
- iv. बैंकों का बैंकर एवं अंतिम त्रणदाता
- v. साख का नियंत्रक
- vi. बैंकिंग प्रणाली का नियामक
- vii. विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन
 - 1946 में भारत को IMF की सदस्यता प्राप्त हुई। विनिमय दर को स्थिर रखने के लिए रिजर्व बैंक विदेशी मुद्रा का क्रय-विक्रय करता है तथा देश के विदेशी मुद्रा कोष का संरक्षण करता है।
 - IMF में भारत का प्रतिनिधि, FEMA को regulate करता है (1999)
- viii. अर्थव्यवस्था के विकास में भूमिका
 - RBI प्रायः अर्थव्यवस्था में बाहरी आघातों से मुद्रा के Stock Stabilization करने के लिए मुद्रा सृजन करने में अपने उपकरणों का प्रयोग करता है।
बाजार में मुद्रा की बढ़ी हुई पूर्ति अच्छी नहीं होती, क्योंकि सेवाएं, वस्तुएं कम हैं तो महंगाई बढ़ेगी। RBI इसे रोकने हेतु Government Security बेच देगा जिसे स्थिरीकरण कहते हैं।

उच्च शक्तिशाली मुद्रा –

RBI की देश की मौद्रिक प्राधिकरण की सम्पूर्ण देयता के मौद्रिक आधार या उच्च शक्तिशाली मुद्रा कहते हैं। इसमें आम जनता का पैसा + व्यावसायिक बैंकों की नकदी + सरकारी की RBI में रखी जमा।

बाजार स्थिरीकरण स्कीम (2004)

सरकार द्वारा अतिरिक्त तरलता प्राप्ति की दृष्टि से जारी की गई प्रतिभूति है। इन प्रतिभूतियों के विक्रय से प्राप्त राशि संचित निधि में नहीं दर्शाई जाती।

Basel – स्विटजरलैंड का एक शहर जो (BIS ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट) का मुख्यालय है जिसका लक्ष्य आर्थिक स्थिरता तथा बैंकिंग विनियमनों का एक मानक है। भारत ने Basel को स्वीकार किया है।

BANK

1. अनुसूचित बैंक

RBI Act, 1934 की अनुसूची-2 में Registered CRR, RBI के पास रखते हैं।

a. वाणिज्यिक बैंक

(सरकारी, निजी विदेशी, RRB)

- i. संसद, बैंकिंग विनियमन-1949
- ii. CRR, SLR अनिवार्य
- iii. PSL – हॉ
- iv. उद्देश्य : लाभ कमाना
- v. अनेक राज्यों में शाखाएं हैं।
- vi. कार्य –
जमा स्वीकार्य करना, ऋण देना, बीमा की किश्त, करों की अदायगी करते हैं।

b. सहकारी बैंक

- i. राज्य अधिनियम द्वारा
- ii. CRR, SLR अनिवार्य
- iii. PSL – नहीं (क्योंकि ये पहले से ही विशेष क्षेत्र को प्राथमिकता दे रहे हैं)
- iv. No Profit No Loss Motive
- v. क्षेत्र निर्धारित

1. राज्य सहकारी बैंक

- a) RBI से ऋण लेती है।
- b) केन्द्रीय और प्राथमिक को ऋण देती है और नियंत्रित भी करती है।

2. केन्द्रीय (जिला) सहकारी बैंक

- a) ऋण अवधि 1-3 वर्ष

3. प्राथमिक (ग्रामीण) सहकारी बैंक

- a) कम से कम 10 व्यक्ति मिलकर इसे शुरू कर सकते हैं
- b) अल्पकालीन ऋण

2. गैर-अनुसूचित बैंक

रजिस्टर्ड नहीं अनुसूची-2 में
इस प्रकार का पालन नहीं करें।

Priority Sector Lending [PSL] (प्राथमिक क्षेत्र ऋणदान)

इसमें बैंकों को किसी विशेष क्षेत्र को न्यूनतम ऋण देना अनिवार्य है।

भारतीय बैंक/विदेशी बैंक (20 से अधिक शाखा वाले) विदेशी बैंक (20 से कम शाखा वाले)

- | | |
|---|---|
| i. कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग – 18% | i. अलग-अलग क्षेत्र निर्धारित नहीं है। |
| ii. कमजोर वर्ग – 10% | ii. अभी 32.1% दे रहे हैं, लेकिन 2019-20 तक 40% करना होगा। |
| iii. शिक्षा, आवास, निर्यात ऋण | |
| iv. लघु एवं मध्यम उद्योग | |
| v. गैर-परम्परागत ऊर्जा स्वास्थ्य | |

- सभी कुल – 40%
- ब्याज दर अधिकतम 11%
- PSL लागू है।
- सरकारी नीति, वाणिज्यिक, विदेशी और RRB पर।
- लागू नहीं है – सहकारी एवं NBFC संस्थाओं पर।

Bank

- i. बैंकिंग रेगुलेशन से लाइसेंस
- ii. RBI विनियमन करता है।
- iii. पैसा जमा ले सकते हैं।
- iv. CRR, SLR आदि
- v. PSL – हॉ
- vi. पूंजी - Minimum 500 करोड़
- vii. शेयर बाजार में बिना पूछे पैसा नहीं लगा सकते।
- viii. Loan Rate, Base Rate से जुड़ा रहता है।

NBFC

- i. कम्पनी एक्ट, 1956
- ii. इसमें अलग-अलग क्षेत्र हैं लेकिन कुछ का RBI विनियमन करता है।
 - IRDA – बीमा
 - SEBI – आदि
- iii. सिर्फ Time Deposits ले सकते हैं Current] Saving नहीं
- iv. अनिवार्य नहीं (यदि टाइम डिपॉजिट है तो SLR – 15%....)
- v. PSL – No
- vi. पूंजी - 5 करोड़
- vii. इनका तो काम यही है।
- viii. जुड़ा नहीं रहता
NBFC; Government Security खरीद सकती है, क्योंकि Repo Rate के माध्यम से ऋण ले सकती है।

Small Bank

- i. Deposit ले सकता है।
- ii. Loan देने का छोटा दायरा छोटे किसान, अनौपचारिक क्षेत्र
- iii. Micro Finance और NBFC Convert नहीं हो सकते।
- iv. 25% शाखा ग्रामीण
- v. NRI - हॉ
- vi. सहकारी बैंक Convert नहीं
- vii. 50% Loan लघु-सूक्ष्म क्षेत्र को

Payment Bank

- i. Current Saving
- ii. Loan नहीं, Deposit Fixed
- iii. Net banking की सुविधा
- iv. NRI नहीं
- v. पैसा Government Security में लगाएगा (25%)
- vi. गरीब लोग कम कमीशन पर पैसा भेज सकेंगे।
- vii. क्रेडिट कार्ड नहीं।

महिला विकास बैंक :-

- i. भारत सरकार का बैंक
- ii. CRR, SLR रखना पड़ेगा
- iii. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में सभी महिलायें किंतु स्टाफ में पुरुष भी होंगे।
- iv. जमा पर पुरुष-स्त्रियों को ब्याज बराबर मिलेगा।
- v. ऋण दर बेस रेट से तय न कि भारत सरकार द्वारा।

किसान विकास पत्र – 2014

- i. डाकघर में भी मिलेंगे।
- ii. 100 माह में दुगना (पहले 5 1/2 वर्ष में या) 1998–2011।
- iii. पैसा किसान कल्याण योजनाओं में लगाया जाएगा।
- iv. 1,000 से 50,000 तक खरीद सकेंगे।
- v. 8–9% रिटर्न
- vi. ID अनिवार्य
- vii. बैंक ऋण लेने में गिरवी रख सकते हैं।
- viii. एक व्यक्ति से दूसरे को हस्तांतरित किया जा सकता है।

किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम (KCC Scheme)

1998 से इस स्कीम की शुरुआत की गई। इस योजना के क्रियान्वयन में वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRB) तथा सहकारी बैंकों को शामिल किया गया।

इस योजना का उद्देश्य था प्राकृतिक आपदा, बीमारी या कीटों द्वारा फसल खराब होने के साथ बीमा उपलब्ध कराना।

के

यह कार्ड किसानों को उनकी भूमि जोत के आधार पर जारी किए जाते हैं। सामान्यतः कार्ड 3 वर्ष के लिए जारी किए जाते हैं तथा इनकी वार्षिक समीक्षा की जाती है। कुल कार्ड वितरण में वाणिज्यिक बैंकों का हिस्सा 45.6%, सहकारी बैंकों का 39.4% तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का 15.1% है।

बैंकिंग लोकपाल – 1995 RBI द्वारा

- उपभोक्ता बैंक के खिलाफ शिकायत कर सकता है।
- सभी बैंकों पर लागू जम्मू और कश्मीर को छोड़कर।
- ऋण देने वाले NBFC

NABARD (राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक)

- नाबार्ड की स्थापना कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराने वाली संस्था के रूप में की गई थी।
- सरकार – 99.60% तथा RBI – 0.40% है।
- कृषि में उत्पादक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए ऋण प्रदान किया जाता है।
- ऋण देता है – सहकारी बैंक, RRB, NBFC अनुसूचित बैंक।
- राशि प्राप्त करता है – भारत सरकार, वर्ल्ड बैंक और अन्य एजेंसीज से।
- Long Term Loan देता है – 10-15 वर्ष

Mudra Bank (संसद के अधिनियम के तहत स्थापित) (Micro Units Development & Refinance Agency)

भारत में Micro Finance का कार्यक्रम नाबार्ड की देखरेख में है। 1992 में SHG - Banking Linkage Programme के नाम से शुरू किया गया। इसके अंतर्गत बैंक निर्धनों द्वारा बनाए गए SHG के माध्यम से ऋण सुविधा प्रदान करते हैं। यह भारत का सर्वाधिक सूक्ष्म वित्तीयन का लोकप्रिय कार्यक्रम है।

अप्रैल 2015 में भारत सरकार द्वारा MUDRA की स्थापना की गई। भविष्य में यह संस्था Micro Finance Institutes का निगमन करेगी। वर्तमान में इसे SIDBI के अंतर्गत स्थापित किया गया है।

यह उन सभी वित्तीय संस्थानों को पुनर्वित्त की सुविधा उपलब्ध करवाएगी जो Micro Unit को वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध करवाते हैं। इस Bank से छोटे कारोबारियों, छोटी विनिर्माण इकाइयों, दुकानदारों, सब्जी विक्रेता आदि को लाभ होगा।

इस योजना के तहत तीन प्रकार के ऋण प्रदान किए जाएंगे :

- शिशु उद्योग – रुपए 2,50,000 तक
- किशोर उद्योग – रुपए 2,50,000 से 25,00,000 तक
- तरुण उद्योग – रुपए 5,00,000 – रुपए 10,00,000 तक

SIDBI (भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक) (1990 – लखनऊ)

- उद्देश्य – छोटे स्तर की औद्योगिक इकाइयों की स्थापना, वित्त पोषण तथा विकास करना।
- सरकार, निजी आदि इसके कई शेयर होल्डर हैं।

विभेदात्मक ब्याज दर (Differential Interest Rates)

RRB क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (2 अक्टूबर 1975) :- RRB ACT 1976 द्वारा मान्यता प्राप्त

- दूरदराज के क्षेत्रों में जहाँ बैंकिंग सुविधा नहीं है, रियायती दरों पर ऋण उपलब्ध कराना।
- केन्द्र सरकार – 50%, राज्य सरकार 15% और स्पेंसर बैंक 35%।

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA)

- पीएफआरडीए की स्थापना 2003 में की गई थी। इसकी स्थापना देश में पेंशन क्षेत्र को विकसित और विनियमित करने के उद्देश्य से की गई थी।
- नागरिकों को सेवानिवृत्ति आय उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जनवरी 2004 को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) प्रारम्भ की गई थी।

- यह स्कीम 1972 में शुरू की गई थी।
- इस कार्यक्रम के तहत बैंकों को निर्देश दिया गया कि वे अपने समग्र ऋण का कम से कम 1% अंश निर्धन व्यक्तियों को 4% ब्याज दर पर आबंटित करें।
- 1992 में गरीबों के लिए एक नया कार्यक्रम शुरू किया गया जिसे स्वयं सहायता समूह बैंक सम्पर्क कार्यक्रम (Self Help Group Bank, Linkage Programme) कहा गया। यह कार्यक्रम विभेदात्मक ब्याज दर वाली स्कीम के अपने लक्ष्य की प्राप्ति न कर पाने के कारण ही प्रारम्भ किया गया था।

- एनपीएस का लक्ष्य पेंशन सुधारों को स्थापित करना और नागरिकों में सेवा निवृत्ति के लिए बचत की आदत को बढ़ावा देना है।

नेशनल हाउसिंग बैंक :-

- 100% RBI
- उद्देश्य आवासीय संपत्तियों की कीमत में उतार-चढ़ाव को देखना।
- Residex Index भी चलाता है।

भूमि विकास बैंक :-

Long Term Loan

SEBI (Security Exchange Board of India, H.O. Mumbai)

- Statutory Body, संसद द्वारा कानून
 - स्थापना - 1988
 - 1992 में SEBI Act द्वारा वैधानिक दर्जा प्रदान किया है।
 - कार्य -
 - शेयर बाजार
 - सेक्यूरिटी मार्केट को नियमित करना है।
 - निवेश बैंक, मर्चेन्ट बैंक, वेंचर बैंक को भी रेग्युलेट करता है।
 - म्युचुअल फंड के निवेश की योजनाओं को नियमित एवं पंजीकृत करता है।
 - शेयर मार्केट को मान्यता प्राप्त करने का भी अधिकार है।
 - 100 करोड़/50 व्यक्तियों वाले निधि, चिटफंड इसके दायरे में है।
 - छापा डाल सकता है तथा गिरफ्तार कर सकता है
 - फास्ट ट्रेड कोर्ट गठित करने का अधिकार है।
 - इसके फैसले के खिलाफ अपील (Securities Appellate Tribunal) में की जा सकता है।
 - FMC (Forward Market Commission) का विलय Sept 2015 में SEBI में कर दिया है। FMC पहले FM के अंदर आता था।
- FMC, 1958 से ही जिंस बाजार की निगरानी करता था। इस विलय के बाद बाजार में पारदर्शिता आएगी। इस विलय से अब कमोडिटी मार्केट भी SEBI के दायरे में आ गए हैं।

- सोना, चांदी, कच्चा तेल, अनाज, गेहूँ, दलहन, तिलहन.....
- इसमें शेयर की खरीदी-बिक्री नहीं होती।
- भारत में कुल $6-1 = 5$
- यह भविष्य में मूल्यों का निर्धारण कर किसानों को बिचौलियों की मनमानी से बचाता है।

MCX (Multi Commodity Exchange) - Mumbai

- भारत का सबसे बड़ा
- स्टॉक मार्केट पर सूचीबद्ध भारत का पहला Commercies है। 2015 में राष्ट्रीय स्तर के Universal Commodity Exchange को बंद कर दिया गया है।

बैंक कॉमर्स - 2019

अर्जित पटेल - मौद्रिक नीति
नचिकेत मोर - वित्तीय समावेशन

- एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया (Exim Bank) अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए भारतीय आयातकों तथा निर्यातकों के संदर्भ में दिए जाने वाले वित्त के लिए प्रमुख संस्था है।
- इसकी स्थापना वर्ष 1982 में की गई थी।
- एक्जिम बैंक द्वारा विदेशी निवेश में प्रोत्साहन के लिए वित्त कार्यक्रम चलाया जाता है।
- विदेशी आयातक भी भारत से वस्तुओं एवं सेवाओं के आयात के लिए भुगतान शर्तों सहित यह सुविधा प्राप्त कर सकते हैं

- ऐसे ए.टी.एम. जिनके साथ किसी प्रवर्तक बैंक का नाम नहीं जुड़ा होता, व्हाइट लेवल ए.टी.एम. कहलाते हैं।
- आर.बी.आई. इस प्रकार के ए.टी.एम. को खोलने के लिए लाइसेंस देती है।
- ए.टी.एम. सुविधा के ग्रामीण क्षेत्र में प्रसार के लिए उपयोगी है।

कंसोर्टियम ऋण (Consortium Loan)

दो या अधिक ऋणदाताओं या बैंकों में अस्थायी आपसी समझौते के आधार पर दिए गए ऋण को कंसोर्टियम ऋण कहते हैं।

सिंडिकेट ऋण (Syndicate Loan)

दो या दो से अधिक बैंकों द्वारा आपसी स्थायी समझौते के आधार पर दिए गए ऋण को सिंडिकेट ऋण कहते हैं।

भारतीय कम्पनियों में Whistel Blowers व्याख्या को लागू करने का निर्देश दिया है।

भारतीय बीमा (Life Insurance)

- सितम्बर 1956 में संसद के एक अधिनियम के तहत पॉंच करोड़ रुपए की पूंजी के साथ भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) की स्थापना की गई थी।
- 1956 ई. में ही सरकार द्वारा उस समय कार्यरत सभी 246 भारतीय और विदेशी बीमा कम्पनियों को अपने अधिकार में लेकर राष्ट्रीयकरण किया गया।

विमल जालान — बैंक लाइसेंस

बैंक लाइसेंस बैंकिंग रेग्युलेटरी एक्ट के तहत मिलता है।

- पूँजी — 500 करोड़
- 25% शाखा ग्रामीण क्षेत्रों में अनिवार्य
- नेट वर्थ — 1000 करोड़

हाल ही में बंधन और IDFC को मिला है।

IRDA विनियामक

- एफडीआय — 26% से 49% बीमा क्षेत्र में।

भारतीय बीमा उद्योग (Indian Insurance Industry)

बीमा उद्योग के अंतर्गत दो क्षेत्र आते हैं—

1. जीवन बीमा
2. सामान्य बीमा

NPA (Non Performing Assets)

वर्तमान में भारत की बैंकिंग प्रणाली बढ़ते हुए NPA की समस्या का सामना कर रही हैं। इसके दो प्रकार के प्रभाव उत्पन्न होते हैं।

- i. बैंकों की भुगतान क्षमता कमजोर होती है।
- ii. नए ऋण देने के लिए संसाधन कम हो जाते हैं जिससे ग्रोथ पर विपरीत प्रभाव पड़ता है।

NPA, बैंकों द्वारा दिए गए ऋण होते हैं, जिनको लेकर ब्याज अथवा किस्त भुगतान में 90 दिन से अधिक का विलम्ब हो जाता है और कृषि में NPA 2 फसलों के बाद से।

इसके तीन प्रकार के वर्गीकरण हैं —

1. Substandard → एक वर्ष तक NPA
2. Doubtful → एक वर्ष से अधिक के लिए NPA
3. Lost → जिन्हें खोया मान लिया जाता है।

RBI की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट में बैंकों का NPA 5% अर्थात् 3 लाख करोड़ रुपए

से अधिक है। यदि यह राशि वसूली जाती है तो सरकारी बैंकों की लाभप्रदता में वृद्धि, नीतिगत दरों में कटौती, निवेश में बढ़ोत्तरी, आधारभूत संरचना का निर्माण, कृषि को बढ़ोत्तरी, रोजगार, अर्थव्यवस्था को मजबूती तथा विकास को गति प्रदान करना संभव हो सकेगा।

[ज्ञान संगम — 2 सम्मेलन — सार्वजनिक बैंकों की हालत सुधारने के लिए]

NPA बढ़ने के कारण —

- i. बड़ी परियोजनाओं व सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न योजनाओं की सफलता को सुनिश्चित करने के लिए दिया गया कर्ज।
- ii. सरकारी बैंकों में राजनीतिक हस्तक्षेप जबकि नीति बैंक इस प्रकार के दबाव से मुक्त रहते हैं।
- iii. अंतर्राष्ट्रीय झटकों के कारण।
- iv. विकास को प्रोत्साहित करने के लिए बैंक शुरु से ही बड़े कॉर्पोरेट समूहों का साथ देते हैं।
- v. घोटालों और कॉर्पोरेट की मिलीभगत के चलते भी ऋण अदायगी में कोताही हुई।
- vi. मानसून की कमी के कारण कृषि NPA में वृद्धि।
- vii. निवेश मूल्य में बढ़ोत्तरी, कच्चे माल की कमी, बिजली की कमी, औद्योगिक मंदी, प्राकृतिक आपदाओं के कारण बड़ी परियोजनाओं का रुकना।

NPA से निपटने के उपाय :-

सामान्य बीमा (General Insurance)

- 1972 ई. में सरकार द्वारा साधारण बीमा निगम (General Insurance Corporation - GIC) के नाम से एक सरकारी कंपनी की स्थापना की गई।
- भारत में प्रमुख साधारण बीमा कंपनी है —
 - ☐ नेशनल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड — मुख्यालय — कोलकाता।
 - ☐ न्यू इंडिया इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड— मुख्यालय — मुंबई।
 - ☐ ओरिएंटल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड—मुख्यालय — दिल्ली।
 - ☐ यूनाइटेड इंडिया इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

- **बैंक बोर्ड ब्यूरो** — बैंकों की एक अलग स्वामित्व कंपनी का निर्माण की दिशा में भी कार्य करेगा। इस अलग स्वामित्व वाली कंपनी के गठन का उद्देश्य बैंकों की कार्यप्रणाली को सरकारी हस्तक्षेप से दूर रखना है। साथ ही यह सरकार तथा बैंकों के मध्य एक कड़ी का कार्य करेगी।
- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पर नजर रखने के लिए सरकार ने एक सार्थक प्रयास किया है, जिसके अंतर्गत इन बैंकों को कुछ मात्रात्मक लक्ष्य दिए जाएंगे तथा प्रत्येक लक्ष्य की प्राप्ति पर अंक मिलेंगे। ये अंक उनके लक्ष्य एन.पी.ए. (गैर निष्पादनकारी आस्तियां) प्रबंधन, वित्तीय समावेशीकरण, व्यापार वृद्धि तथा ऋण का विविध क्षेत्रों में प्रसार आदि के आधार पर दिए जाएंगे। इसी क्रम में बैंक को कुछ गुणात्मक लक्ष्य भी दिए जाएंगे, जो कि मानव संसाधन तथा सम्पत्ति की गुणवत्ता में सुधार के लिए किए गए प्रयासों पर आधारित होंगे।

- i. हाल ही में S.C. ने NPA का संज्ञान लिया है और RBI से उन कम्पनियों की सूची मांगी है जिन पर 500 करोड़ से ज्यादा का बकाया है।
- ii. वित्त मंत्रालय ने बैंकों को एक दिशा-निर्देश जारी किया है, जिसमें बैंक अधिकारियों से भय अथवा पक्षपात के बगैर निर्णय लेने, व्यावसायिक फैसलों में बाहरी विचारों के अनदेखी करने तथा प्रोफेशनल ढंग से काम करने को कहा है।
- iii. न्यूनतम हस्तक्षेप के साथ अनुकूल माहौल की जरूरत है।
- iv. ऋण वसूली के लिए विधिक ढाँचे को मजबूत करना।
- v. ऋण छूट को विवेकशीलता के साथ सुनिश्चित करना।
- vi. सरकार इंद्रधनुष योजना लेकर आ रही है, बैंकों की समस्या से उभारने के लिए।

नरसिम्हन समिति I, II – 1990 के दशक में।

देन – बैंक और NBFC में अंतर। उस समय G + 2 बैंकों को लाइसेंस मिला था।

Corporate Sector Responsibility [CSR]

1. New Company Act – 2013 की अनुसूची-7 में बताए गए क्षेत्रों में, कम्पनी को पिछले 3 वर्षों के औसत लाभ का कम से कम 2 भाग खर्च करना होगा।

5 करोड़ से ज्यादा लाभ वाली कम्पनी, 500 करोड़ से अधिक विशुद्ध सम्पत्ति वाली कम्पनी तथा 1000 करोड़ रुपए के वार्षिक कारोबार वाली कम्पनी इसमें शामिल हैं।

क्षेत्र :-

- भूख एवं गरीबी
- शिक्षा
- लिंग समानता
- महिला सशक्तीकरण
- पर्यावरण
- SC/ST
- पिछड़े एवं अल्पसंख्यकों के लिए गठित कोष में योगदान करना शामिल है।

उपर्युक्त प्रावधान की आलोचना इसलिए की जाती है, क्योंकि यह पूर्ण रूप से कम्पनियों पर अनिवार्य लागू नहीं किया गया है। यदि कम्पनी इसे लागू नहीं करती तो इन्हें उचित स्पष्टीकरण देना होगा।

Prepared by Jitender Singh – 9898140145

Contact me for any query / doubt and guidance related to this note and UPSC study.

To this note and UPSC Study

New Company Act, 2013 –

- भारतीय कम्पनी अधिनियम 1956 का स्थान लेगा।
- Corporate Governance पर बल देता है।
- स्वतंत्र निदेशक को परिभाषित किया गया है। उसकी नियुक्ति से जुड़े प्रावधान स्पष्ट किए हैं।
- One Man Company की अवधारणा को लागू करता है।
- कम्पनियों के विलय एवं अधिग्रहण को सुगम बनाया गया है।
- CSR की संस्कृति विकसित करने का प्रयास किया गया है।
- निजी कम्पनियों में सदस्यों की संख्या 50 की जगह 200 की गई है।

वित्त बाजार

बाजार :-

जहाँ किसी संसाधन के क्रेता एवं विक्रेता आपस में विनिमय कर सकें, बाजार कहलाता है।

वस्तु बाजार

वस्तुओं की खरीदी-बिक्री

सेवा बाजार

सेवाओं का क्रय-विक्रय

वित्त बाजार

- राष्ट्र के विकास में निर्णायक भूमिका
- बचत – निवेश को बढ़ावा देना
- आर्थिक संसाधनों का कुशलतम उपयोग, जिससे देश में पूंजी निर्माण, राष्ट्रीय आय, रोजगार को बढ़ावा मिलता है।
- गरीबी से निपटने में सहायता मिलती है।

भारतीय वित्त बाजार की संरचना :

मुद्रा बाजार (Money Market) [विनियमन RBI करता है]

- Short-term लेनदेन
- एक वर्ष से कम अवधि के लिए व्यापार
- मुद्रा बाजार की श्रेणी

संगठित

- RBI
- सरकारी नीति बैंक
- Treasury Bill
- भारत सरकार की ओर से RBI द्वारा

असंगठित

- साहूकार
- रिश्तेदार आदि
- हुंडी
- RBI

पूंजी बाजार (Capital Market) [सेबी द्वारा]

- Long-term लेनदेन
- एक वर्ष से अधिक

Primary

Government Security

Secondary

Registered Stock Exchange

मांग मुद्रा बाजार (Call Money Market)

- बैंकों के बीच होने वाला एक दिवसीय व्यापार

नोटिस मुद्रा बाजार

- 1-14 दिन बैंकों के बीच होने वाला व्यापार

अंतर बैंक अवधि मुद्रा बाजार

- 14 दिन से अधिक लेकिन 1 वर्ष तक बैंकों के बीच होने वाला व्यापार

वाणिज्यिक बिल

- 9 माह के लिए व्यापारियों द्वारा एक-दूसरे को साथ देने के लिए जारी किए जाते हैं।

प्रगति के आरंभिक चरण में ICOR का मूल्य बढ़ता है, क्योंकि इस समय कई परियोजनाएं लम्बित होती हैं।

- नदी परियोजनाओं की क्रियान्वयन अवधि लम्बी होती है, इसलिए अल्पकाल में ICOR का मूल्य बढ़ जाता है।
- वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था का ICOR लगभग 4 है।
- ICOR को प्रभावित करने वाले अंतर्जात कारकों में श्रम की उत्पादकता, प्रबंधन की उत्पादकता तथा पूँजी की उत्पादकता महत्वपूर्ण है तथा बहिर्जात कारकों में आधारभूत संरचना में सुधार, नीतिगत शासन में सुधार तथा इस क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था की अच्छी स्थिति महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

- अगले दिन की वापसी की शर्त पर दिए जाने वाले ऋण को कॉल मनी कहते हैं।
- कॉल मनी का विनिमय प्रायः बैंकों के बीच होता है और ये आपसी सौदेबाजी द्वारा कॉल मनी का रेट तय करते हैं, इसे कॉल रेट कहते हैं।
- कॉल मनी के विनिमय के लिए स्थापित जगह को कॉल मनी मार्केट या इंटर बैंक कॉल मनी मार्केट कहते हैं।
- कॉल मनी मार्केट का विश्व में सबसे बड़ा केन्द्र लंदन है। इसे लिबोर (London Bank Offered Rate Lebor) कहते हैं।
- जिस ब्याज दर पर भारत में अंतर बैंक बाजार में एक बैंक द्वारा अन्य बैंक को मांग के अनुसार धन दिया जाता है, उसे मुम्बई अंतर बैंक प्रस्ताव वित्त दर (MBOR) कहा जाता है।
- लिबोर को विश्व अर्थव्यवस्था की संदर्भ ब्याज दर भी कहा जाता है। चूँकि इसी के आधार पर बाह्य वाणिज्यिक उधारी (BCB) तय होती है।

Treasury Bill

- i. भारत सरकार की ओर से RBI द्वारा जारी किए जाते हैं।
- ii. अवधि – (1 वर्ष तक)
 - 91 दिन
 - 182 दिन
 - 364 दिन
 -
- iii. ब्याज भुगतान की जानकारी नहीं होती है।
- iv. इसे खरीदने वाले को नुकसान नहीं होता, क्योंकि वास्तविक Rate वाला Discount पर मिलता है।
- v. वाणिज्यिक बैंक, बीमा कम्पनियों, Mutual Fund, FPI, NRIs आदि इन्हें खरीद सकते हैं।

Government Security

- i. 1 से 20 वर्ष
- ii. ब्याज भुगतान की जानकारी होती है।
- iii. यदि Government Security भी Discount पर बेची जाए तो उसे Zero Coupon Bond कहते हैं।

MBFC [Mutual Benefits Finance Companies]

ऐसी संस्थाएं जो अपने सदस्यों के लिए कार्य करती हैं। निजी कम्पनियों इनमें शामिल हैं। दक्षिण भारत में लोकप्रिय हैं। इसका नियमन Ministry of Corporate Affairs द्वारा किया जाता है। कार्यप्रणाली चिटफंड के समान है, लेकिन बेहतर नियमन के कारण चिटफंड की तरह विवादास्पद नहीं है।

- अर्थात् Treasury Bill भी Zero Coupon Bond है।
- Treasury Bill ब्याज भुगतान नहीं करता।

MNBC [Miscellaneous Non-Banking Companies]

इसमें चिटफंड को शामिल किया जाता है। यह समवर्ती सूची में है।

- केन्द्रीय कानून (1978), राज्य कानून (1982)
- हाल ही में RBI द्वारा NRIs को बिना किसी सीमा के चिटफंड में निवेश की अनुमति दी गई है।

चिटफंड में लोगों के कसने का कारण –

1. वित्तीय शिक्षा का अभाव
2. आकर्षक प्रतिफलों का वादा एवं लालच
3. वित्तीय समावेशन का अभाव
4. बैंकों द्वारा जमाओं पर अपेक्षाकृत कम प्रतिफल देना
5. 100 करोड़/50 करोड़ व्यक्तियों वाले चिटफंड का नियमन सेबी करता है, लेकिन विभिन्न चिटफंड स्थानीय स्तर पर कम धनराशि वाले मामले में लेनदेन करते हैं जो इसके नियमन में सबसे बड़ी कठिनाई है।

P. Notes (Participatory Notes)

काले धन पर गठित SIT, जिसके अध्यक्ष – एम.बी. शाह द्वारा SEBI को यह कहा गया कि P. Notes कालेधन से जुड़े रहते हैं। 2007 के आसपास कुल FPI में P. Notes की भूमिका 50% थी। इसका कारण था कि PTI को P. Notes के माध्यम से किए गए निवेश के बारे में जानकारी देने से छूट प्राप्त होगी [SEBI से] हाल ही में SEBI द्वारा इस बात को जरूरी कर दिया गया है कि P. Notes के निवेशकों के बारे में इसे जानकारी देनी होगी। इससे FPI में P. Notes की भूमिका लगभग 10% रह गई है।

भारतीय बाजार में किया जाने वाला यह निवेश SEBI के पास Registered विदेशी ब्रोकर हाउस के जरिये किया जाता है। P. Notes को विदेशी निवेशकों के लिए शेयर बाजार में सुविधाजनक एवं फायदेमंद दस्तावेज भी कहा जाता है। P. Notes का इस्तेमाल High Networth Individual Hedge Fund एवं विदेशी संस्थानों के जरिए किया जाता है, अर्थात् जो निवेशक SEBI के पास Registration कराए बिना शेयर बाजार में पैसा लगाना चाहते हैं, वे P. Notes का उपयोग करते हैं।

Euro Issues

भारतीय कम्पनियों द्वारा विदेशी बाजारों में पूंजी एकत्रित करने के लिए लाए जाने वाले Issues.

प्रकार

- ADR (American Depository Receipts) → कालेधन की जांच के दायरे में
↓
अमेरिका में लाए जाते हैं।
- GDR (Global Depository Receipts) → कालेधन की जांच के दायरे में
↓
यूरोप में लाए जाते हैं।

भारत में Euro Issues ला जा सकती है। इसके लिए Bharat Depository Receipts जारी करने पड़ते हैं। अभी लोकप्रिय नहीं हुए हैं।

भारतीयों द्वारा विदेशों में निवेश के मार्ग

1. Automatic Route — 100 करोड़
2. ADR, GDR में
3. विशेष आर्थिक क्षेत्र

Share Market

निवेशकों के लिए तरलता बनाए रखने के लिए शेयर बाजार जरूरी है, ताकि निवेशक शेयर की खरीद-बिक्री कर सकें।

शेयर विभाजित करना या टुकड़ों में करना

- छोटा शेयर आसानी से बेचा जा सकता है।
- दूरदराज के लोग भी भागीदार हो सकते हैं।
- It does not means कि कम्पनी की Value बढ़ रही है और Companies Market Compitalization हो रहा है, क्योंकि शेयर के सिर्फ टुकड़े किए हैं।

देश में कुल 21 Stock Exchange लेकिन 17 में पिछले 5 वर्षों से कोई Trading नहीं हुई है।

भारत के प्रमुख शेयर बाजार

1. केरवानी समिति की सिफारिश पर 1972 में स्थापित (मुम्बई) (राष्ट्रीय शेयर बाजार, NSE) → Promoter - IDBI
2. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, BSE → एशिया का सबसे पुराना, 1875 स्थापना, 5000 से अधिक भारतीय कम्पनियों पंजीकृत। इसका सेंसेक्स 80 अग्रणी कम्पनियों पर औसत होता है।
3. MCX – SX – 2013 → BSE, NSE के बाद देश में राष्ट्रीय स्तर का तीसरा Online Stock Exchange
4. शेयर खरीदने पर मालिकाना हक मिलता है और Bond पर धारक को ब्याज देने का वादा किया जाता है।
5. शेयर केवल कम्पनियों ही जारी कर सकती हैं कि कोई सम्प्रभु संस्थान (प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद)

सम्प्रभु + कम्पनियों → Bond (बॉण्ड) → प्रकार विकसित नहीं है।
→ सरकारी (विकसित)

एक पेपर का टुकड़ा होता है जिस पर कुछ Amount (100, 200, 500 आदि) लिखा रहता है, जिसमें ऋण प्रतिभूति की परिपक्वता अवधि। 1 वर्ष से अधिक हो, सामान्यतः कंपनियों बॉण्ड बेचकर अपनी क्षमता का विस्तार करती हैं। समय पूरा होने पर पेपर का टुकड़ा करवाने वाले को पैसा ब्याज के साथ मिल जाएगा। बॉण्ड का दाम गिरेगा तो बॉण्ड येल्ड (Bond Yield) और Interest Rate बढ़ता जाएगा।

Short Covering

शेयर कम हो जाने की स्थिति में Market से खरीदकर शेयर की Dealing देना।

सूचकांक बढ़ने के कारण

घटने के कारण

- (i) Soft मौद्रिक नीति युद्ध, महंगाई, राजनीतिक अस्थिरता
- (ii) FDI में रियायत कम्पनी अथवा अर्थव्यवस्था संबंधी समाचार के कारण घटेगा-बढ़ेगा।

विश्व के विभिन्न शेयर बाजार :-

- | | | |
|--------------|---|-----------------------|
| 1. निक्की | — | जापान |
| 2. Dew Jones | — | न्यूयॉर्क |
| 3. शंघाई | — | चीन |
| 4. FTSE | — | लंदन |
| 5. नैसडेक | — | संयुक्त राज्य अमेरिका |

GRENEX –

- (i) BSE से संबंधित सूचकांक
- (ii) कॉर्बन उत्सर्जन और ऊर्जा के उपयोग में सर्वाधिक कुशलता रखने वाले Top Most- 25 कम्पनियों की के मूल्य पर आधारित।

NIFTY –

- (i) NSE में सूचीबद्ध टॉप-50 कंपनियों का औसत।

ZERO COUPON BOND –

ये Discount पर जारी किए जाते हैं, ब्याज दर शून्य होती है, समय अवधि पूरी होने पर अंतिम मूल्य दे दिया जाता है।

GREEN BOND –

इस प्रकार के बॉण्डों से चुकाए गए धन का प्रयोग पर्यावरण से जुड़ी परियोजनाओं में किया जाता है। वैश्विक स्तर पर विश्व बैंक जैसी संस्थाएं इसे प्रोत्साहित कर रही हैं। हाल में भारत में इन्हें जारी करने की पहल की गई।

PERPETUAL BOND –

- इनकी समयावधि कभी समाप्त नहीं होती। इनमें Bond और Equity दोनों के गुण होते हैं।
- भारत में इनको हाल में ही जारी करने की अनुमति दी है, ताकि भारतीय बैंक पूंजीकरण के लिए इन्हें जारी कर सकें।
- Bond और Debenture (ऋणपत्र) दोनों ऋण जुटाने के उपकरण होते हैं।

सट्टा (Speculation)

भविष्य में होने वाले कीमत परिवर्तनों के अनुमानों के आधार पर वर्तमान में खरीदने अथवा बेचने के सौदे करना। यह हमेशा अर्थव्यवस्था को नुकसान नहीं पहुँचाता।

तेजड़िया (Bull)



यह सटोरिया जो भविष्य में तेजी के अनुमान के कारण वर्तमान में Equity आदि को खरीदता है।

मंदड़िया (Bear)



मंदी के अनुमान के कारण वर्तमान में Equity आदि को बेचता है।

Mutual Fund –

वे संस्थाएं जो छोटे निवेशकों से बचतें एकत्रित करती हैं तथा उनका वित्त बाजार में निवेश करती हैं। इनके द्वारा कम राशि की यूनिट जारी की जाती है (5, 10, 15, 20 रुपए आदि)

इसके लाभ –

- (i) सुरक्षित निवेश की अधिक संभावनाएं।
- (ii) अधिक प्रतिफल मिलना
- (iii) बाजार में तरलता लाना
- (iv) वित्तीय समावेशन तथा समावेशी विकास में महत्वपूर्ण भूमिका

Hedge Funds –

कार्यप्रणाली Same Mutual Fund जैसी होती है, लेकिन Mutual Fund छोटे निवेशकों के लिए होते हैं, जबकि Hedge Fund Individual के लिए कार्य करते हैं।

Mutual Fund, Short Sale (किसी वस्तु को रखे बिना उसे बेचने का सौदा करना) नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये गिरते हुए बाजार से लाभ नहीं उठा सकते लेकिन Hedge Fund; Short Sale कर सकते हैं।

Hedging –

Equity आदि में निवेश अथवा व्यवसाय आदि से जुड़े हुए जोखिमों को कम किया जाता है।

शेयरों का पुनर्क्रय (Buy back of Shares)

- किसी कम्पनी द्वारा अपने ही शेयरों को शेयरधारकों से वापस क्रय करने की प्रक्रिया को शेयरों का पुनर्क्रय कहा जाता है।
- इससे शेयरधारकों का कम्पनी के प्रति विश्वास कायम रहता है।
- शेयरधारकों के शेयर ज्यादा मूल्य में खरीदकर पुनर्क्रय द्वारा कम्पनियाँ अपने शेयरधारकों को लाभ पहुँचाती हैं।

कर संरचना

करों के अनिवार्य लक्षण —

- सरकार का विशेषाधिकार
- देश की जनता को अपनी आय में से देना ही पड़ता है।
- इसके बदले में संवैधानिक अथवा वैधानिक आधार पर राज्य द्वारा किसी वस्तु या सेवा को देना आवश्यक नहीं है।
- करों से एकत्रित राजस्व एकत्रित होता है।

करापात —

वह बिंदु जहाँ कर लगता हुआ दिखता है, जैसे — VAT का व्यापारी पर लगना।

कराघात —

जिसके द्वारा भुगतान किया जाता है।

करों के प्रकार —

- (i) प्रत्यक्ष (Direct)
- (ii) अप्रत्यक्ष (Indirect)

प्रत्यक्ष कर : (केन्द्र सरकार द्वारा लगाए गए कर)

सेवा कर जिसमें करापात और कराघात दोनों एक ही बिंदु पर हों, अर्थात् जिन लोगों पर ये कर लगाए जाते हैं, उसे ही चुकाना पड़ता है।

इस प्रकार के कर के भार को अन्य लोगों पर स्थानांतरित नहीं किया जा सकता।

- आय कर
- निगम कर

MAT — छोटी कंपनियों के मुनाफे पर लगने वाला Tax जो विभिन्न प्रकार की कटौतियों का लाभ उठाकर Corporate Tax देने से बच जाते हैं।

- Capital Gain Tax
- प्रतिभूति लेन-देन कर (राजस्व + सट्टे को सुनिश्चित करता है)
- सेवा कर

सीमा शुल्क — आयातों पर लगता है। इसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधा माना जाता है। WTO इसे आयात पर शुल्क कहता है। घरेलू उद्योगों का संरक्षण इसका उद्देश्य होता है, न कि राजस्व संग्रहण।

- केन्द्रीय बिक्री कर
- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
- समाचार पत्र पर कर

- ये कर सामान्यतः वस्तुओं और सेवाओं पर लगते हैं, इसलिए इनका भार निम्न वर्ग पर भी पड़ता है, जिस कारण इनकी आलोचना भी होती है।
- राज्यों द्वारा कोई प्रमुख प्रत्यक्ष कर नहीं लगाया जाता लेकिन भू-राजस्व और कृषि आय पर कर राज्यों द्वारा लगाए जाते हैं।

राज्यों के अप्रत्यक्ष कर

- राज्य उत्पाद कर
- भराव के उत्पादन पर

अप्रत्यक्ष कर

करापात और कराघात, दोनों अलग-अलग बिंदुओं पर होते हैं। लगता किसी पर है, चुकाता कोई और है।

चेलैया समिति की सिफारिश पर 88वें संवैधानिक संशोधन द्वारा संघ सूची में शामिल इस कर की शुरुआत 1994-95 में की गई थी।

- संपत्ति कर
- उपहार कर
- ब्याज कर
- इस्टेट ड्यूटी (Estate Duty)
- ये अब नहीं लगते।

- छावा या प्रशासन सामग्री जिसमें अल्कोहल का प्रयोग होता है
- बिक्री कर
- प्रवेश कर
- वस्तुओं एवं यात्रियों के प्रवेश पर कर

VAT (Value Added Tax) अप्रत्यक्ष कर

वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन श्रृंखला तथा विक्रय की प्रक्रिया में जोड़े जाने वाले मूल्य पर लगने वाला कर। (वस्तुओं के मूल्य-वर्द्धन के प्रत्येक चरण पर लगता है)

- भारत के ज्यादातर राज्यों में बिक्री कर की जगह VAT ने ले ली है।
- केन्द्र अथवा राज्य सरकारें किसी कर को VAT में बदल सकती हैं।
- 1954 में सर्वप्रथम फ्रांस में।
- 2003 में हरियाणा अपनाने वाला पहला राज्य

उपभोक्ता वर्ग पर का सकारात्मक प्रभाव पड़ा है, क्योंकि प्रति इकाई कर भार कम होने से वस्तुएं सस्ती हो जाती हैं और उपयोग बढ़ जाता है।

Specific Tax (विशिष्ट कर)

जब किसी वस्तु या सेवा पर कर का आकलन उसकी लम्बाई, भार या आयतन के आधार पर लगाया जाता है।

Protective Tax (संरक्षा कर)

बाजार में किसी विशेष आर्थिक वर्गों के हितों के संरक्षण के लिए लगाया जाने वाला कर।

Countervailing Duty (अप्रत्यक्ष कर) :-

यह उन वस्तुओं पर अतिरिक्त सीमा शुल्क के रूप में लगाया जाता है जिन पर उत्पादक को सरकार से सब्सिडी मिल रही है। इसके चलते वस्तुएं कम कीमत पर बेचे जाने के कारण देशी उत्पादकों को नुकसान हो रहा था।

Dumping के कारण –

- अति उत्पादन को खपाना
- निम्न उत्पादकता वाला माल दूसरे देश के बाजार में खपाना
- दूसरे देश के बाजार का अधिग्रहण करना। जिस देश में Dumping की जाती है। इस देश के उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

Anti Dumping Duty :-

लागत से कम कीमत पर किसी वस्तु या सेवा को बेचना ताकि प्रतियोगी उत्पादकों के हितों को नुकसान पहुँचें तो Dumping कहलाता है। इसे अपराध माना जाता है। ऐसी वस्तुओं और सेवाओं पर लगने वाले अतिरिक्त सीमा शुल्क को Anti Dumping Duty कहते हैं।

$$\text{Net Tax} = \text{Gross Tax} - (\text{NDRF} + \text{State Share})$$

करारोपण की विधियाँ :-

i. Progressive / प्रगामी / प्रगतिशील – (Income Tax)

इस प्रणाली में आय बढ़ने के साथ कर की दर बढ़ जाती है, अर्थात् अमीर लोग ऊँची दर का भुगतान करें, जबकि कम आय वाले लोग कम दर का भुगतान करें। इस व्यवस्था में अधिक आय वाले लोग कर चोरी करने लगते हैं। इसको बेहतर बनाने के लिए कर चोरी रोकने संबंधी मजबूत तंत्र की आवश्यकता होती है। भारत में आयकर इसका उदाहरण है और प्रत्यक्ष करों में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है।

विश्व में सबसे प्रचलित करारोपण का तरीका। इसलिए प्रत्यक्ष कर अप्रत्यक्ष कर की तुलना में अधिक श्रेष्ठ माने जाते हैं।

ii. प्रतिगामी @ Regressive :-

इसमें कर की दर आय या मूल्य में वृद्धि के साथ घटती जाती है। वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य में समाहित हो जाने से ये अमीर और गरीब दोनों पर समान रूप से लगते हैं। कमजोर वर्गों पर इनका भार अधिक पड़ जाता है जबकि अमीरों पर कम। ये अप्रत्यक्ष कर प्रणाली है।

iii. समानुपाती @ Proportional

इस प्रणाली में आय में परिवर्तन के साथ कर की दर में परिवर्तन नहीं होता, अर्थात् कर की दर एक समान होती है। यह फर्मों पर लगता है।

प्रत्यक्ष कर अर्थव्यवस्था में संशोधन आबंटन की प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करते, जबकि अप्रत्यक्ष कर इस प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं, क्योंकि अप्रत्यक्ष कर के कारण वस्तुओं की कीमत बदल जाती है जिससे पब्लिक च्वॉइस भी बदल जाती है। हम सब जानते हैं कि अर्थव्यवस्था में उत्पादन पब्लिक च्वॉइस को ध्यान में रखकर किया जाता है। प्रत्यक्ष कर को लगाते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि लोग इसकी दर चुका सकें, नहीं तो –

- कर राजस्व कम हो जाएगा (कर की ऊँची दर होने से लोगों का काम के प्रति मनोबल कम कर चोरी करने लगेंगे)
- GDP कम हो जाएगी।

Laffer Curve आखिर है क्या ?

यह वक्र कर से प्राप्त राजस्व की प्राप्ति और कर की दर के बीच संबंध को दिखाता है। इसमें कर की दर एक हद से ज्यादा कम होने पर भी राजस्व में कमी आती है और एक हद से ज्यादा ऊँची होने पर कर वंचना/कर चोरी की प्रवृत्ति बढ़ती है। अर्थात् कर की दर ऐसे Level पर होनी चाहिए कि कर की अधिकतम प्राप्ति हो सके।

→ 100 प्रतिशत कर छूट चंदा देने पर –

- स्वच्छ भारत कोष [F.M.]
- गंगा सफाई [F.M.]
- Drugs नियंत्रण [F.M.]

→ अच्छी कर प्रणाली के गुण –

सरलता, निश्चितता, मितव्ययता, न्यायशीलता, अंतर क्षेत्रीय समता और प्रशासनिक कुशलता।

VAT की कार्यप्रणाली

VAT की कार्यप्रणाली का मुख्य आधार ITC (Inter Tax Credit) है, जिसमें आगतों पर लगे कर को वापस लौटा दिया जाता है। Consumers ITC के अधिकारी नहीं होते हैं।

VAT - 10%				Consumer
A	B	C	D	
↓	↓	↓	↓	100 + 10
रुपए 40	रुपए 60	रुपए 80	रुपए 100	= 110
↓	↓	↓	↓	↓
रुपए 4	रुपए 6	रुपए 8	रुपए 10	10 → सरकार की Income
	रुपए 4	रुपए 6	रुपए 8	
	रुपए 2	रुपए 2	रुपए 2	

VAT के लाभ –

- करों पर कर से बचाव
- आगतों पर कर से बचाव
- वस्तुओं की कीमतें कम
- निर्यात प्रतिस्पर्धी बनते हैं
- पीछे के कर आगे नहीं जाते
- कर चोरी रुकती है

केन्द्र और राज्य स्तर पर अभी भी कुछ अप्रत्यक्ष कर जैसे – विलासिता कर, क्रय कर आदि VAT से अलग लगाए जा रहे हैं। इनसे Cascading उत्पन्न होती है।

चुनौतियाँ –

- कुशल एवं ईमानदार कर प्रशासन
- बेहतर Electronic प्रणाली

Capital Gain Tax (CGT) पूँजीगत लाभ कर

- यह एक प्रत्यक्ष कर है।
- यदि हम कोई सम्पत्ति लाभ पर बेचते हैं तो यह उस पर लगता है।
- मुख्यतः शेयर बाजार (शेयर, बांड सोना, Real Estate पर लगता है।)
- लगता सम्पत्ति बेचने पर है, लेकिन खरीदने वाला सरकार को कर पहले से ही काटकर बेचने वाले को देता है। उदाहरण – किसी व्यक्ति ने 100 करोड़ की सम्पत्ति लाभ पर बेची, मान लेते हैं उस पर कर हुआ 20% जिसने सम्पत्ति खरीदी है
100 करोड़ 80 करोड़ बेचने वाले को
20 करोड़ भुगतान

भारत द्वारा दोहरे कराधान समझौते को अपनाए जाने से (Double Taxation) Tax – Haven Country मॉरीशस, हांगकांग जैसे देशों के निवेशकों द्वारा भारत के शेयर बाजार उनसे प्राप्त किए गए पूँजीगत लाभ पर कोई कर नहीं लगेगा। इस प्रावधान का लाभ उठाने के लिए अन्य विदेशी निवेशक मॉरीशस (DTAA) के मार्ग का प्रयोग कर रहे हैं।

भारत में Vodafone ने इसी प्रकार का कर नहीं चुकाया था, जब उसने Hutch (2007) को खरीदा था। Vodafone ने हांगकांग के माध्यम से Hutch को खरीदा था तो Vodafone ने यह तर्क दिया कि हमने Hutch को नहीं, उसके मालिक को खरीदा, इसलिए CGT भुगतान नहीं करेंगे।

S.C. ने भी कहा यह भारत से बाहर लागू नहीं होता। फिर सरकार ने भी अपने हाथ पीछे खींच लिए। कारण, निवेशकों का विश्वास बनाए रखने के लिए ताकि आतंकवाद (Tax Terrorism) को नकारा जा सके और Make in India को सफल बनाया जा सके।

Evasion

- स्टाम्प ड्यूटी बचाने के लिए सम्पत्ति कम दिखाना ताकि सरकार को कम स्टाम्प ड्यूटी भुगतान करनी पड़े। (उदाहरण – जमीन, मकान)
- ये काला धन है।

Avoidance

- यह खुलेआम होता है, लेकिन तकनीकी कमियों के माध्यम से बच निकलते हैं, जैसे – Vodafone बच निकली। इसी से निपटने के लिए GAAR लेकर आ रहे हैं।
-

GST [वस्तु एवं सेवा कर]

वस्तु एवं सेवा कर को अप्रत्यक्ष करों की प्रणाली में सबसे अहम सुधार माना जा रहा है। इसके लागू होने पर सभी प्रकार के अप्रत्यक्ष कर एक ही कर में समाहित होंगे। इसमें VAT, सेवा कर, उत्पाद शुल्क शामिल है।

मार्च, 2011 में 115वाँ संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किया गया था लेकिन राज्यों की असहमति से अधर में लटक गया था। वर्तमान सरकार द्वारा इस संदर्भ में 122वाँ संविधान संशोधन बिल लोकसभा द्वारा पारित किया जा चुका है। इस विधेयक को पास कराने के लिए दोनों सदनों के दो-तिहाई बहुमत और उसके बाद आधी विधानसभाओं की भी मंजूरी लेनी पड़ेगी।

इसका स्वरूप –

- Central GST [Duty, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सेवाकर]
- State GST [VAT, सेल्स, मनोरंजन और प्रवेश कर]

केन्द्र और राज्य, दोनों स्वतंत्र रूप से उत्पादन और विक्रय की सभी अवस्थाओं पर GST वसूल कर सकेंगे। शराब को GST से बाहर रखा गया है। पेट्रोलियम उत्पाद, Alcohol और तम्बाकू के बारे में GST परिषद् निर्णय करेगी। प्रस्तावित GST, Destination based होगा, जिसका अर्थ है कि अंतरराज्य व्यापार में जिस राज्य में उस वस्तु का उपयोग होगा, SGST उसे ही प्राप्त होगा।

GST परिषद् एवं उसके कार्य –

अध्यक्ष – वित्त मंत्री

सदस्य – सभी राज्यों के वित्त मंत्री या अन्य मंत्री जो राज्य का प्रतिनिधित्व करें।

केन्द्र सरकार के पास कुल मताधिकार का 1/3 भाग, राज्यों के पास 2/9 भाग होगा, लेकिन सभी निर्णय मताधिकारों के 3/4 भाग से किए जाएंगे। इस स्थिति में आम सहमति बनना या 3/4 से निर्णय लेना बहुत ही मुश्किल कार्य होगा।

कार्य

GST की सीमा तय करना, आपूर्ति के मॉडल की सिफारिश करना, संबंधित वस्तुओं को GST के अधीन करना या उन पर छूट देने के लिए सिफारिश करना, आपदा के समय अतिरिक्त संसाधन जुटाने की रणनीति की सिफारिश करना।

KD Live

GST के लाभ :-

दायरे से बाहर रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि वस्तु एवं सेवा कर की व्यवस्था को यदि सही ढंग से लागू किया गया, तो कम समय में ही देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में बड़ी राशि शामिल होगी और भारतीय अर्थव्यवस्था 20 खरब डॉलर के आसपास पहुँच जाएगी। एक पक्ष यह भी है कि भारत की आर्थिक गतिविधियों का एक बड़ा हिस्सा आधिकारिक आंकलन (गणनों) से अछूता रहता है, लेकिन जीएसटी वस्तुओं एवं सेवाओं की पूरी मूल्य श्रृंखला का पता लगाएगा यानी उसे आधिकारिक गणना की सीमा के अंदर ले आएगा। इस दृष्टि से जीएसटी आर्थिक गतिविधियों का स्वाभाविक ट्रेकिंग उपकरण साबित होगा। इससे न केवल कर दक्षता व क्षमता बढ़ेगी बल्कि जीडीपी में भी उछाल आएगा (1-1.5%)।

बाजार में आएगी एकरूपता

जीएसटी सम्पूर्ण भारत में एक साझा बाजार निर्मित करेगा। इसका कारण यह है कि सभी राज्यों में कर की दर समान होगी, जिसके कारण देश के सभी राज्यों में वस्तुओं एवं सेवाओं के निर्बाध प्रवाह का अवसर प्राप्त हो जाएगा। जीएसटी का सबसे सीधा-सादा पक्ष यह है कि सम्पूर्ण देश में “एक वस्तु या एक सेवा और एक कर”। उदाहरण के तौर पर यदि आज एक व्यक्ति को कार खरीदना हो तो उसकी कीमत दिल्ली में अलग, लखनऊ में अलग या किसी अन्य शहर में अलग होगी। यदि मार्केट मैकेनिज्म के आधार पर निष्कर्ष निकालें तो कार की मांग वहाँ अधिक होती, जहाँ यह सस्ती होगी। समान मांग न होने के कारण प्रांतों को समान कर प्राप्तियाँ नहीं हो पातीं, जिससे असमान विकास की स्थिति उत्पन्न होती है। यही स्थिति चुंगी कर को लेकर होती है, जिससे परिवहन को बाधा पहुँचती है। इसकी विभिन्नता के कारण वस्तुओं और सेवाओं के साथ-साथ यात्रियों को भी गंतव्य तक पहुँचने में अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग समय लगता है। इससे अर्थव्यवस्था में प्रतियोगी पक्ष कमजोर होता है। चूँकि जीएसटी में शामिल करें का संग्रह इलेक्ट्रॉनिक तरीके से होगा, इसलिए काला धन पैदा होने की संभावनाएं कम होंगी। देश की अर्थव्यवस्था को यह सबसे बड़ा लाभ होगा।

मेक इन इंडिया में बनेगा सहयोगी

भारत में मैन्यूफैक्चरिंग को प्रभावित करने वाले दो प्रमुख कारक हैं। प्रथम, भारत के आंतरिक व्यापार में कर विषमता से आ रही दिक्कतें और द्वितीय, पूँजी की कमी। गौर से देखें तो भारत के मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर की तमाम कम्पनियों विशेषकर ऑटो पार्ट इंडस्ट्री भारत के दूसरे राज्यों को ही नहीं बल्कि दूसरे देशों को पार्ट का निर्यात करती हैं लेकिन दुनिया जब फ्री ट्रेड की बात कर रही थी, तब भारतीय राज्यों की सीमा पर टैक्स की अलग-अलग दरें कारोबार के लिए नकारात्मक वातावरण पैदा कर रही थीं। इसके कारण इन उद्योगों की घरेलू मांग कमजोर पड़ जाती है। इसके कई नुकसान होते हैं, दूसरा पूँजी आकर्षण कम हो जाता है, जिससे उत्पादन घटता है, फलतः घरेलू माँग को पूरा करने के लिए आयातों का मुँह ताकना पड़ता है और तीसरा नुकसान यह है कि भारतीय विनिर्माता प्रतियोगी नहीं बन पाते। ऐसे में यह जरूरी था कि भारत के अंदर समान कर व्यवस्था हो जिससे भारतीय विनिर्माण क्षेत्र को प्रतियोगी बनने के लिए ऊर्जा मिल सके।

व्यावसायिक वातावरण बनेगा

जीएसटी के लागू होने के बाद टैक्स भुगतान करना आसान और सुविधाजनक हो जाएगा, साथ ही इससे दो फायदे होंगे। पहला यह कि अपेक्षाकृत अधिक कारोबारी कर व्यवस्था से जुड़ने के लिए आगे बढ़ेंगे। दूसरा, कर चोरी रुकेगी, क्योंकि अब तक कारोबारी कर व्यवस्था में विद्यमान छिद्रों का लाभ उठाकर कर चोरी करने में सफल हो जाते थे। तीसरा, सरकार की आय बढ़ेगी, जिससे राजस्व घाटा शून्य की स्थिति अथवा अधिशेष की स्थिति में पहुँचेगा। चौथा, बिजनेस एथिक्स एवं ट्रांसपैरेंसी में वृद्धि होगी, जिससे निवेशक आकर्षित होंगे, क्योंकि अब कारोबारी और निवेश कर आतंक से भय खाने या कर की गणित में उलझने के बजाय निश्चित होकर अपना व्यवसाय कर सकेंगे। छोटे स्थानीय व्यापारियों एवं रिटेलर्स को सबसे ज्यादा फायदा होगा, जिन्हें प्रायः कर चोरी जैसे मामलों में सरकारी मशीनरी का शिकार होना पड़ता है।

जीएसटी पर केन्द्र और राज्य

वित्त मंत्री का मानना है कि जीएसटी केन्द्र व राज्य, दोनों के लिए फायदे का सौदा साबित होगा। राज्यों को दूसरे राज्य से आने वाली वस्तुओं के प्रवेश पर शुल्क के हटने से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए दो वर्ष तक एक प्रतिशत अतिरिक्त कर लगाने की छूट होगी। हालांकि जीएसटी को लेकर राज्य सरकारों में चिंता अभी तक बनी हुई है। उनका संशय टैक्स स्लैब को लेकर है और सवाल इससे होने वाले नुकसान की भरपाई को लेकर है। माना जा रहा है कि जीएसटी का सिस्टम पूरी तरह तैयार नहीं है। इसके अलावा राज्य और केन्द्र के बीच टैक्स बँटवारे को लेकर भी सवाल है। टैक्स बढ़ाने या घटाने संबंधी निर्णय कौन करेगा, इस पर भी चिंता है। राज्य अब तक अपनी मर्जी से कर, उपकर एवं अधिभार लगा सकते थे, लेकिन अब वह छूट समाप्त हो जाएगी। राज्य न केवल इसका हल निकालना चाहते हैं बल्कि भारी-भरकम मुआवजा भी चाहते हैं। यही नहीं, राज्य पेट्रोलियम और एंटी टैक्स की जीएसटी के दायरे से बाहर रखने की मांग भी कर रहे हैं। हालांकि केन्द्र सरकार ने इसे मानने से इन्कार कर दिया है, लेकिन केन्द्र सरकार इस नुकसान की भरपाई के लिए राजी हो गई है। बिल में प्रावधान किया गया है कि पहले तीन साल तक केन्द्र पूरे नुकसान की भरपाई करेगा। चौथे साल नुकसान के 75 प्रतिशत तो पाँचवें वर्ष में इसके 50 प्रतिशत का भुगतान केन्द्र द्वारा किया जाएगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि राज्यों को शराब पर लगाए जाने वाले टैक्स को सरेंडर करना भी कतई मंजूर नहीं है। इस मद में राज्य सरकारें सबसे ज्यादा पैसा कमाती हैं और कई राज्यों की तो अर्थव्यवस्था ही इस टैक्स की मद से होने वाली आय से चलती है। केन्द्र सरकार ने इसीलिए जीएसटी से शराब को बाहर रखने का फैसला किया है अर्थात् शराब पर राज्य सरकारें पहले की तरह

उपभोक्ताओं को होगा फायदा

जीएसटी का सबसे ज्यादा लाभ आम उपभोक्ता को होने की संभावना अधिक है। इसका एक कारण तो यह है कि जीएसटी लागू होने के बाद कोई भी वस्तु पूरे देश में एक ही मूल्य पर उपलब्ध होगी, इसलिए उसमें यह प्रवृत्ति विद्यमान नहीं रह जाएगी कि कोई वस्तु किस राज्य में सस्ती मिलती है या महंगी। चूंकि मैन्यूफैक्चरिंग के स्तर पर भी सारा टैक्स वसूल लिया जाएगा तो उसके बाद आपूर्तिकर्ता, दुकानदार या ग्राहक को अलग से टैक्स नहीं देना होगा। एक राज्य से दूसरे राज्य में माल जाने पर किसी तरह का कोई चुंगी टैक्स नहीं लगेगा।

कठिनाइयाँ :-

- i. राज्यों को राजस्व और स्वायत्ता के नुकसान का डर
- ii. संघीय वित्तीय संतुलन बिगड़ सकता है। राज्यों की तरफ से सबसे बड़ा विरोध पेट्रोलियम उत्पादों के शुल्क से है, क्योंकि राज्यों के आय का 50% इसी से आता है।
- iii. जीएसटी के Destination based होने से Manufacturing वाले राज्य कह रहे हैं कि Consumer State को GST से अधिक फायदा होगा।
- iv. सभी राज्यों में एक कर की दर होने से पिछड़े राज्यों के लोगों पर भार बढ़ेगा।
- v. GST लागू होने से अधिकतर कर अधिकार केन्द्र के पास होंगे।
- vi. राज्य GST की दर ऊँची रखने के लिए कह रहे हैं, ताकि उन्हें पिछली कर प्रणाली जितना कर मिलता रहे, जबकि केन्द्र ऊँची दर रखने के पक्ष में नहीं है।
- vii. दोनों सदनों में और आधी विधानसभाओं में पारित कराना बहुत लम्बी प्रक्रिया है।

सहमति :-

- i. राज्यों को राजस्व नुकसान की भरपाई के लिए वादा किया गया है।
- ii. राज्य पेट्रोलियम उत्पाद पर 3 साल तक कर वसूल सकेंगे।
- iii.

GAAR [General Anti-avoidance Rule]

- इसके जरिए भारतीय, NRIS और विदेशी निवेशकों पर नजर रखी जाएगी जो किसी संधि का गलत लाभ उठाकर Tax चोरी करते हैं।
- DTAA के तहत निवेश करने वाले निवेशक भी इसके दायरे में आएंगे जो विदेशी निवेशक मॉरीशस जैसे देश के माध्यम से कर संबंधी DTAA की छूट का फायदा उठाते हैं।
- भारत के बाहर भी नोटिस दिया जा सकता है।
- DTAA वाले देशों में भी नोटिस दिया जा सकता है।

चुनौतियाँ

- i. आयकर विभाग के अधिकारी इसका प्रयोग निवेशक को परेशान करने हेतु कर सकते हैं।
- ii. कर्मचारियों के प्रशिक्षण की कमी
- iii. निवेशकों द्वारा विरोध

सेस (Cess)

- i. किसी विशेष उद्देश्य के लिए ही लगाया जाता है।
- ii. सेवा कर पर दो तरह के उपकर लागू हैं, लेकिन अधिभार लागू नहीं है।
- iii. यह प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों पर लगाया जा सकता है।
- iv. उपकर का उद्देश्य उसी मद में राजस्व बढ़ाने हेतु किया जाता है, जहाँ से यह प्राप्त होता है अर्थात् उपकर की राशि एक निश्चित मद से जुड़ी होती है।

अधिभार (Surcharge)

- i. इसके लिए यह जरूरी नहीं है।
- ii. संसद सिर्फ अनु. 269, 270 से संबंधित करों पर ही अधिभार लगा सकती है।
- iii. आयकर तथा कुछ अन्य करों पर सरकार ने अधिभार लगाया हुआ है।
- iv. सामान्यतः अधिभार प्रत्यक्ष कर पर लगाया जाता है।
- v. अधिभार से प्राप्त राजस्व भारत की संचित निधि में चला जाता है।

दोनों संसद की विधियों द्वारा आरोपित होते हैं। दोनों की प्राप्ति में राज्यों का कोई हिस्सा नहीं होता। केन्द्रीय करों में अपने हिस्से को बढ़ाने के राज्यों के मांग का एक बड़ा आधार यह भी रहा है, क्योंकि 2012-13 में इनसे प्राप्त होने वाली आय का स्तर 12.5% रहा है।

Production Taxes :-

- Land Revenue
- Stamp Duties
- Registration Fees
- Tax on Professions

Production Taxes/Subsidies उत्पादन की मात्रा से स्वतंत्र होते हैं।

Tax Expenditure (T.E.) :- राजस्व जिसे छोड़ दिया गया है। विभिन्न प्रकार के करों को लगाते समय जो छूट एवं रियायतें दी जाती हैं, उनके अनुमानित मूल्य को Tax Expenditure कहते हैं।

FRBM Act के अनुसार, वित्त मंत्री को इस संदर्भ में संसद में एक वक्तव्य देना होता है। T.E. के कारण कर की Nominal Rate तथा Effective Rate में अंतर आ जाता है, जिससे पारदर्शिता में कमी आ जाती है। भारत में यह काफी ऊँचा पाया जाता है।

- सरकार ने सभी प्रकार की सेवाओं पर (सेवा कर – 14%) के अतिरिक्त 0.5% स्वच्छ भारत उपकर लागू कर दिया है। इस उपकर से आने वाले कर का उपयोग स्वच्छ भारत अभियान में होगा। इसके दायरे में केवल सर्विस, C.A., Career, Hotel, Mobile हवाई यात्रा महंगे हो जाएंगे।

14वाँ वित्त आयोग की रिपोर्ट (2015–20, अध्यक्ष— वाय.वी. रेड्डी)

- i. अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन किया गया।
- ii. सामान्यतः प्रत्येक 5 वर्षों पर इसका गठन किया जाता है।
- iii. सदस्यों की नियुक्ति हेतु योग्यता एवं कार्यकाल का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है।
- iv. सदस्य आयोग के कार्य —
 - करों के कुल प्राप्तियों का केन्द्र एवं राज्यों के बीच वितरण तथा राज्यों के हिस्से का आवंटन।
 - राज्यों को अनुदान की मात्रा का निर्धारण करना (अनुच्छेद 278)
 - राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों पर पंचायत एवं नगर पालिकाओं की संसाधन आपूर्ति हेतु राज्य संचित निधि की अभिवृद्धि हेतु उपाय सुझाना
 - (79, 74) संविधान संशोधन लागू होने के माध्यम से यह कार्य दिया गया है।
 - वित्तीय दृष्टि से हितकर कोई अन्य विषय जिसे राष्ट्रपति ने सौंपा हो।
- v. रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है जो सलाहकारी प्रवृत्ति की होती है, जिसे मानने हेतु सरकार बाध्य नहीं, लेकिन सरकार सामान्यतः इसे मान लेती है।
राष्ट्रपति रिपोर्ट पर की गई कार्यवाही का उल्लेख वाला ज्ञापन संसद के दोनों सदनों में रखवाता है।
- vi. सदस्यों के वेतन, भत्ते एवं अन्य सेवा शर्तें राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती हैं — संसद की अनुमति उपरांत।

1 अध्यक्ष + 4 सदस्य, जो पुनर्नियुक्ति के पात्र होते हैं।

10%
00%
47.5%
Fiscal Discipline – 17.5%
जनसंख्या – 25%

→ भारत की संघीय शासन व्यवस्था में केन्द्र-राज्यों के बीच राजकोषीय स्तर पर दो प्रकार के असंतुलन देखने को मिलते हैं —

- i. लम्बवत असंतुलन (Vertical Imbalance)
- ii. क्षैतिजीय असंतुलन (Horizontal Imbalance)

केन्द्र की राजकोषीय शक्ति राज्यों की तुलना में अधिक है — लम्बवत असंतुलन कहा जाता है। वित्त आयोग दोनों प्रकार की असंतुलन दूर करने की सिफारिशें देता है।

वित्त आयोग को अपने रिपोर्ट में यह भी बताना होता है कि राज्य सरकारें किस प्रकार अपनी वित्तीय संसाधनों को बढ़ाए ताकि वे पहले की तुलना में पंचायत, नगर पालिका आदि को अधिक संसाधन अपना सकें।

→ **मुख्य सिफारिशें :-**

- संघीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी बिना शर्त हस्तांतरण (32% से 42%) कर दी गई है। (जो अभी तक के सभी वित्त आयोग की सिफारिशों में सर्वाधिक है)
- क्षेत्र विशेष के लिए सिफारिश नहीं की है।

❖ **आधार —**

जनसंख्या	—	27.5%	→ 17.5% (1971)
क्षेत्रफल	—	15%	
वन क्षेत्र	—	7.5%	→ 10.1% (2011)
आय अंतरण	—	50%	

25% (1971) 0% (2011)

→ जम्मू-कश्मीर को सेवाकर में हिस्सेदारी नहीं मिलती।

ग्राम पंचायत	नगर पालिका
90%	80%
10%	20%

[क्रमशः मूल अनुदान एवं कार्य निष्पादन]

- जिस राज्य का क्षेत्रफल एवं वन क्षेत्र अधिक होगा, उसे उतना ही ही केन्द्र से अधिक हिस्सा मिलेगा (केन्द्र करों में)
- आय अंतरण के अंतर्गत उन राज्यों को प्राथमिकता मिली है, जिनकी प्रति व्यक्ति आय कम होती है। वित्त आयोग द्वारा हरियाणा राज्य के प्रति व्यक्ति आय को Reference के रूप में इस्तेमाल किया गया है। जो राज्य हरियाणा के प्रति व्यक्ति आय से जितना दूर होगा, उसे केन्द्रीय करों में उतना ही अधिक हिस्सा मिलेगा।

विश्लेषण :-

- अधिक कर हस्तांतरण से राज्यों को वित्तीयन में तथा अपनी आवश्यकता के अनुसार योजना बनाने में मदद मिलेगी।
- यह प्रक्रिया विशेष दर्जे वाले राज्य व अन्य राज्यों के भेद जो खत्म करेगी।
- एक नया आयाम – “सहयोगात्मक संवाद” – राज्यों के लिए अधिक संसाधन उपलब्धता से केन्द्र के साथ उनके संबंध ज्यादा बराबरी के स्तर पर होंगे। ऐसा इसलिए होगा, क्योंकि केन्द्र का हस्तक्षेप कम हो जाएगा।

KD LIVE

Balance of Payment (भुगतान संतुलन)

- एक देश के निवासियों द्वारा शेष दुनिया या अन्य देशों के निवासियों के साथ
- एक वर्ष के दौरान किया गया आर्थिक लेनदेन
- केन्द्रीय बैंक द्वारा पूरा विवरण डॉलर में लिखना होता है।

जो पैसा आया = Credit (+)

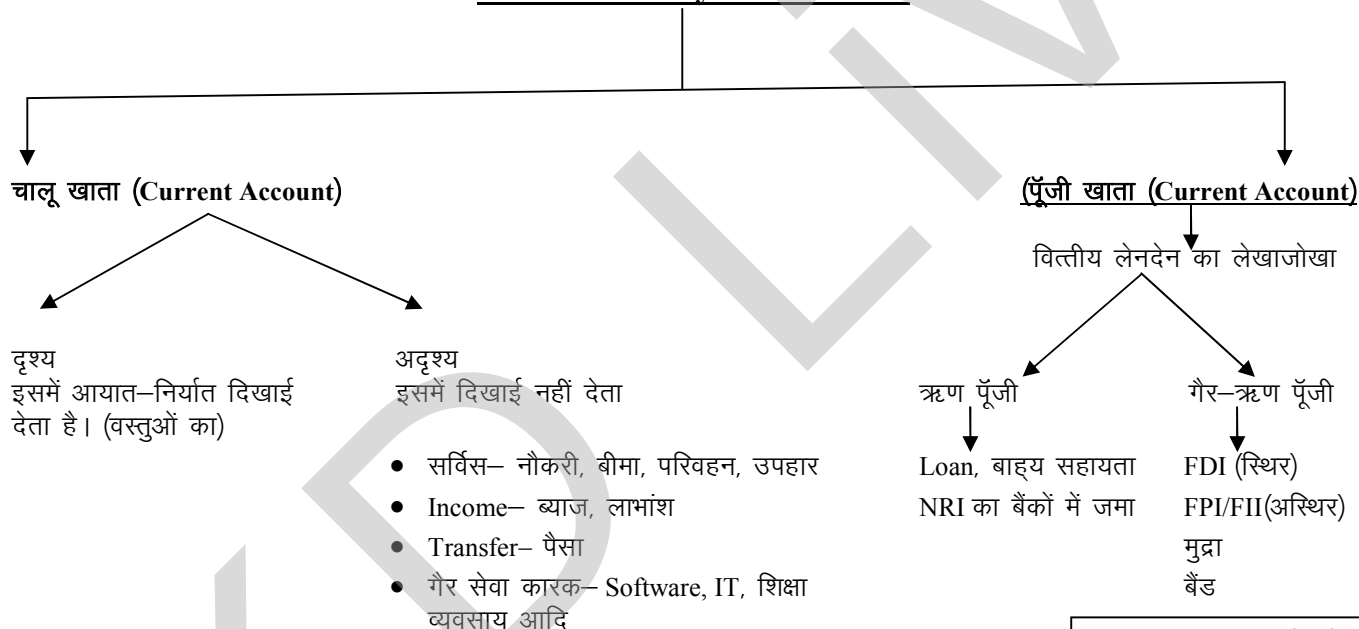
जो पैसा गया = Debit (-)

As per the Manual "BPM6"

- यह आयात-निर्यात का संतुलन है।
- यदि निर्यात, आयात से कम है तो व्यापार घाटा
- निर्यात, आयात से अधिक है तो अनुकूल व्यापार संतुलन। शेष
- आयात-निर्यात बराबर है तो व्यापार संतुलन कहा जाएगा।

भारत में व्यापार घाटा सिर्फ वस्तुओं में रहता है, सेवाओं में हम लाभ में रहते हैं। कुल निकालें तो व्यापार Minus (-) में रहता है।

Balance of Payment के प्रकार



भुगतान शेष में असंतुलन के कारण

- आर्थिक
- राजनीतिक
- सामाजिक

तीनों ही कारणों की वजह से निवेश थम जाता है तथा FDI भी नहीं आ पाता है।

विदेशी विनिमय कोष [Foreign Exchange Reserve]

भारत में उपलब्ध विदेशी मुद्रा भंडार को विदेशी विनिमय कोष कहते हैं।

इसमें —

- विदेशी मुद्रा 1
 - सोना 2
 - SDR (IMF) 3
 - RTP (IMF) 4
- (रिजर्व ट्रन्च पोजीशन)

Current Account /धारा

दृश्य-अदृश्य- (Minus) में हो तो इससे रुपया कमजोर होता है।
यह घाटा पूँजी खाता पूरी करता है।

भुगतान असंतुलन हो तो IMF के पास जाना पड़ता है, न कि विश्व बैंक के पास।

ये तो विकास के लिए Soft Loan देता है

स्थिर— अधिक समय तक देश में रहेगा।

अस्थिर— इसे कमी भी निकाल सकते हैं।

CRF Contingency Reserve Fund

- Brics सदस्यों द्वारा स्थापित कोष
- उद्देश्य – BOP संकट से निपटने हेतु ऋण प्रदान करना
- गैर-सदस्यों को भी ऋण दे सकता है।
- इसे Mini IMF की संज्ञा दी गई है।
- IMF केवल सदस्य राष्ट्रों को ऋण देता है।

विनिमय दर (Exchange Rate)

दूसरे देश की मुद्रा के रूप में प्रथम देश की मुद्रा की कीमत,
जैसे – 1 डॉलर = 65 रुपए

विनिमय दर में बदलाव होने से विदेशी निवेश, व्यापार राष्ट्रीय आय एवं रोजगार पर प्रभाव पड़ता है।

इसके प्रकार –

- स्थिर विनिमय दर –**
 - केन्द्रीय बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा की विनिमय दर को प्रशासनिक द्वारा किसी निश्चित स्तर पर स्थिर कर दिया जाता है।
 - इसमें बार-बार बदलाव नहीं होने से विदेशी व्यापार आदि को स्थिर आर्थिक वातावरण मिलता है।
 - इसके लिए अधिक मात्रा में विदेशी मुद्रा भंडार की आवश्यकता होती है (चीन इसका प्रयोग करता है)
- लचीली विनिमय दर –**
 - विनिमय दर का निर्धारण बाजार की माँग एवं पूर्ति द्वारा होता है।
 - प्रशासनिक हस्तक्षेप की अनुमति नहीं।
- प्रबंधन विनिमय दर –**
 - विनिमय दर का निर्धारण बाजार शक्तियों द्वारा होता है, लेकिन इसके प्रबंधन की दिशा में प्रशासन निकाय भी कार्य करे तो प्रबंधन विनिमय दर कहते हैं।
 - इस प्रणाली में विनिमय दर को एक दायरे में लचीला रखा जाता है, लेकिन दायरा टूटे तो केन्द्रीय बैंक हस्तक्षेप करता है।
 - विश्व में मान्यता प्राप्त प्रणाली।
 - भारत में भी यह लागू है।
 - RBI द्वारा विभिन्न प्रकार के हस्तक्षेप किए जाते रहे हैं –
 - MSF दर को बढ़ाना
 - अमेरिकन डॉलर को बेचना
 - NRI से जुड़ी योजनाओं को अधिक आकर्षक बनाना।
 - भारत द्वारा विदेशों में किए जाने वाले FDI (Outward FDI) की सीमा को कम करना।

Depreciation और Devaluation
के प्रभाव एक समान होते हैं।

विनिमय दर में परिवर्तन –
→ विदेशी विनिमय बाजार – जहाँ करेंसियों का व्यापार होता है।
→ विदेशी मुद्राओं के लेन-देन पर लगने वाला कर।

- विनिमय दर में वृद्धि –** जब बाजार के आधार पर विनिमय दर में वृद्धि होती है या मुद्रा का मूल्य बढ़ता है। (Appreciation) (लचीली विनिमय दर)।
- प्रशासनिक निर्णय द्वारा की गई वृद्धि जिसे अधिमूल्यन कहते हैं।** → स्थिर विनिमय प्रणाली में (अवमूल्यन के विपरीत)
- विनिमय दर में गिरावट –** ① बाजार के आधार पर विनिमय दर में गिरावट या मुद्रा के मूल्य में गिरावट (Depreciation)
① प्रशासनिक निर्णय द्वारा विनिमय दर में कटौती या मूल्य को कम करना – अवमूल्यन कहलाता है।

अवमूल्यन (Devaluation)

जब स्थिर विनिमय दर प्रणाली के अंतर्गत केन्द्रीय बैंक द्वारा अपनी मुद्रा के मूल्य को विदेशी मुद्रा के सामने पहले की तुलना में कम कर दिया जाता है तो अवमूल्यन कहा जाता है। इसमें आंतरिक मूल्य पर प्रभाव नहीं पड़ता, सिर्फ बाहरी मूल्य कम कर दिया जाता है। भारत में आजादी के बाद 4 बार रुपए का अवमूल्यन किया गया है –

सितम्बर 1949

जून 1966

1 जुलाई 1991

3 जुलाई 1991

- अवमूल्यन से अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव
 - उद्देश्यपरक होता है
 - आयात महंगे हो जाते हैं, जिससे आयात कम हो सकता है, क्योंकि लोग आयातित वस्तुओं को कम खरीदेंगे।
 - निर्यात सस्ता हो जाने से निर्यात में वृद्धि होती है तथा लाभ बढ़ता है।
 - व्यापार घाटा कम होता है जिससे व्यापार संतुलन पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है।
 - घरेलू वस्तुएं सस्ती हो जाती हैं।
 - निवेश की मात्रा में वृद्धि होती है।
 - FDI, FPI निवेश की मात्रा में वृद्धि होती है।

भारत में विनिमय दर बाजार द्वारा तय होती है लेकिन RBI अपने क्रय-विक्रय (हस्तक्षेप) द्वारा बाजार में स्थिति को विनियमित रखता है, ताकि एक हद से ज्यादा मुद्रा के मूल्य में असंतुलन न हो और बाजार में Volatility बनाई रखी जा सके।

विनिमय दर निर्धारण (12th NCERT)

- 1) बाजार मॉग व पूर्ति द्वारा (आयात-निर्यात)
 - 2) सट्टेबाजी (मूल्य बढ़ने की अपेक्षा से। जैसे- डॉलर का मूल्य बढ़ने की संभावना है तो डॉलर अपने पास रखेगा)
 - 3) ब्याज दर विभेदक (अर्थात् देशों के बीच ब्याज दरों में अंतर), ऊँची ब्याज प्राप्त करने के लिए मुद्रा का संचलन पूरे विश्व में होता है।
 - 4) क्रय क्षमता सिद्धांत (दीर्घकाल)
- सामान्यतः भारत में बैंक विनिमय दर को प्रभावित करने वाला कोई काम नहीं करता, लेकिन सरकार अवमूल्यन के द्वारा विनिमय दर में परिवर्तन करती है।

प्रभावी विनिमय दर (Effective Exchange Rate) – यह किसी राष्ट्र के मुख्य व्यापारिक साझेदार राष्ट्र मुद्राओं का भारित औसत है।



NEER

[National Effective Exchange Rate]



REER

[Real Effective Exchange Rate]

NEER – चालू कीमतों पर देशी मुद्रा के बदले प्राप्त विदेशी मुद्रा की औसत मात्रा।

REER – स्थिर कीमतों पर

NEER के मामले में किसी राष्ट्र एवं उसके साझेदार (व्यापारिक) राष्ट्रों के बीच में पाए जाने वाले कीमत स्तर को ध्यान में नहीं रखा जाता, जबकि REER के मामले में इन अंतरों को ध्यान में नहीं रखा जाता है – इसलिए REER को NEER की तुलना में श्रेष्ठ माना जाता है।

RBI अपने आंतरिक नीतिगत विश्लेषण के लिए NEER और REER का प्रयोग करता है और RBI (2014) द्वारा इसकी गणना के लिए REER CPI - New Series प्रयोग करेगा।

मुद्रा की परिवर्तनीयता/परिवर्तनशीलता



→ उदारीकरण से जुड़ी एक अवधारणा है।

→ इसमें मुद्राओं के प्रयोग से संबंधित प्रतिबंधों में छूट दी गई है, ताकि लोग भुगतान संतुलन से जुड़े लेन-देन के लिए स्वदेशी मुद्रा को विदेशी मुद्रा में और विदेशी मुद्रा को स्वदेशी मुद्रा में स्वतंत्रतापूर्वक बदल सकें।

भारतीय रुपए की परिवर्तनीयता –

1994 से Current A/c में रुपए को पूर्ण रूप से परिवर्तनीय बना दिया गया है।

→ भारत में Full Capital A/c Convertibility नहीं है, सिर्फ Partial है।

ऐसा माना जाता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति Capital A/c में पूर्णतः परिवर्तनीयता के अनुकूल नहीं है।

→ Capital A/c में परिवर्तनीयता के लिए तारापोर समिति का गठन किया गया था (प्रथम 1996, द्वितीय 2006)
[इसमें स्वदेशी-विदेशी संपत्तियों के आपस में बदलने की छूट]

→ Current A/c परिवर्तनीयता का असर अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों पर सकारात्मक रहा है। Capital A/c परिवर्तनीयता को लागू करने में विभिन्न चुनौतियाँ –

- 1) यूरो जोन का आर्थिक संकट
- 2) अमेरिका की अस्पष्ट मौद्रिक नीति
- 3) भारतीय बैंकों का बढ़ता NPA और
- 4) चीन की अर्थव्यवस्था

पूँजी खाते में परिवर्तनीयता के लाभ

- पूँजी खाते में पूर्ण परिवर्तनीयता का प्राथमिक रूप से मिलने वाला सबसे बड़ा लाभ घरेलू परियोजनाओं में पूँजी का तीव्र गति से होने वाला प्रवाह है।
- फॉर्मों के लिए उधार लेने की लागत कम हो जाएगी।
- विविध प्रकार की मुद्राओं की उपलब्धता उद्योगपतियों और निवेशकों के लिए लाभकारी रहेगी।

पूँजीखाते में परिवर्तनीयता के नकारात्मक प्रभाव

- बड़ी मात्रा में पूँजी के देश से बाहर निकल जाने पर अर्थव्यवस्था में अस्थिरता आ सकती है।
- पूँजी खाते में परिवर्तनीयता पर प्रतिबंध के कारण ही सन् 2008-09 के वित्तीय संकट का भारत पर न्यूनतम प्रभाव पड़ा था।

Foreign Exchange Management Act [FEMA] तारापोर समिति की सिफारिश पर

- विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) का विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम (FERA)के स्थान पर लागू किया गया है।
- फेरा की तुलना में फेमा में कई तरह के उदारीकृत प्रावधान किए गए हैं।
- फेमा के उल्लंघनकर्ताओं को अब केवल मौद्रिक दंड का ही भुगतान करना होगा जो कि संबद्ध राशि का अधिकतम तीन गुना तक होगा।
- फेमा के तहत यदि कोई दंडित व्यक्ति अर्थदंड चुकाने में असफल रहता है तो उसे जेल भेजने की भी कार्रवाई की जा सकेगी। इस दशा में भी जेल में उसकी स्थिति एक सिविल अपराधी की होगी।
- फेमा के अंतर्गत दोषसिद्धि का दायित्व प्रवर्तन एजेंसी पर होगा जबकि फेमा के अंतर्गत यह दायित्व व्यक्ति पर था।

FDI

- i. किसी कम्पनी में 10% से अधिक निवेश
- ii. Long-term होता है (स्थिर)
- iii. निदेशक मंडल (कम्पनी) में प्रत्यक्ष भागीदारी कर सकता है जिससे उसे नियंत्रणकारी शक्ति प्राप्त हो सकती है।
- iv. विदेशी मुद्रा भंडार, तकनीकी, बेहतर ज्ञान-प्रबंधन, अनुसंधान एवं विकास लेकर आते हैं।
- v. Government Security ट्रेजरी बिल में लागू नहीं है।
- vi. RBI (FEMA)
- vii. Foreign Investor Promotor Board (FIPB) – मंजूरी देना
- viii. DPIIP द्वारा नीति निर्धारण

FPI/FII

- i. 10% से कम
- ii. Short-term होता है (अस्थिर)
- iii. नहीं हितों का जुड़ाव नहीं हो पाता।
- iv. नहीं
- v. ट्रेजरी बिल में नहीं है, लेकिन Government Security 30 बिलियन बांड खरीद सकते हैं।
- vi. SEBI
- vii. वित्त बाजारों के अंतर्गत प्रवेश करता है।

FDI के प्रकार

Green Field FDI

नई कम्पनी की स्थापना के समय किया जाने वाला FDI

- Green Field FDI भारत में अधिक उपयोगी
- भारत में FDI से ज्यादा पैसा FPI के माध्यम से आता है।

3000 करोड़ तक के स्थान पर 5,000 करोड़ तक के FDI की अनुमति FIPB देगी। इसके बाद प्रस्ताव पर अंतिम फैसला प्रधानमंत्री की अगुवाई वाली CCEA लेगी।

49% (रक्षा) पर FIPB फैसला करेगा और इसके बाद सुरक्षा पर फैसला Cabinet Committee on Security (Head- Prime Minister) करेगा।

Brown Field FDI

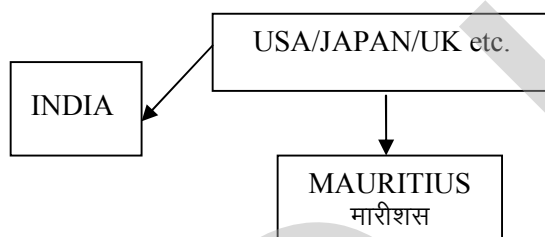
पहले से चल रही कम्पनी की 10% या उससे ज्यादा की हिस्सेदारी खरीदना।

बंद अर्थव्यवस्था – अन्य देश के साथ व्यापार बहुत ही कम

Round Tripping – (पुनः लौटना)

जब कोई भी विदेशी निवेशक भारत में अन्य राष्ट्रों के मार्ग से FDI करता है तो Round Tripping कहलाता है। ऐसा मार्ग प्रदान करने वाले राष्ट्र को Tax Haven (मॉरिशस)

Round Tripping का कारण दोहरे कराधान से बचने से जुड़े समझौते का लाभ उठाना होता है।



खुली अर्थव्यवस्था – अन्य देशों के साथ व्यापार हेतु खुलापन

वित्त मंत्रालय के तहत वित्त सचिव की अध्यक्षता में अंतर-मंत्रालय समूह

→ भारत में उत्पन्न कालेधन को पुनः विदेशी निवेश के जरिये लौटा दिया जाए

→ विदेशी निवेश के संदर्भ में अब OCI, PIO और NRI द्वारा किए गए निवेश को घरेलू निवेश माना जाएगा।

भारत का FDI सेवा क्षेत्र आधारित है (सेवा क्षेत्र में FDI अधिक आता है, जबकि चीन का FDI विनिर्माण क्षेत्र आधारित है। इसलिए चीन में भारत की तुलना में FDI से अधिक रोजगार पैदा होते हैं।

दूसरी तरफ विनिर्माण क्षेत्र का कारोबार सेवा क्षेत्र के कारोबार क्षेत्र से अधिक होता है। इसलिए चीन के विनिर्माण क्षेत्र के FDI का आकार भी भारत के FDI से अधिक है।

जिन क्षेत्रों में FDI नहीं –

- परमाणु ऊर्जा (बुनियादी सुविधाओं को छोड़कर)
- रेल्वे (बुनियादी सुविधाओं को छोड़कर)
- लॉटरी, सट्टेबाजी
- चिटफंड, निधि कम्पनी
- तम्बाकू उत्पाद
- कृषि (बागवानी, पशु पालन को छोड़कर)
- आवास व रियल इस्टेट

अनुमति वाले क्षेत्र

- रक्षा, बीमा — 49%
- एकल ब्रांड — 100%
- मल्टी ब्रांड — 51%

राज्य की Permission असर न हो)

30% सामान्य (छोटे कारोबारियों पर स्थानीय विक्रेताओं से खरीदना

भारत में निर्माण क्षेत्र में कम FDI के कारण —

- i. विश्व स्तरीय आधारित संरचना की कमी
- ii. श्रम सुधारों से संबंधित समस्याएं

इसी कारण भारत प्राथमिक क्षेत्र से सीधा सेवा क्षेत्र की ओर चला गया।

भारत में FDI किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है ?

- i. आधारभूत संरचना का विकास
- ii. श्रम सुधार को लागू करना
- iii. भूमि अधिग्रहण से संबंधित मुद्दों को सुलझाना
- iv. विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देना
- v. Single Window Clearance System को लागू करना
- vi. Ease of doing business में Ranking सुधारना
- vii. केन्द्र-राज्य समन्वय

विभिन्न कदम जो वैश्विक निवेश के लिए भारत को आकर्षक बना सकते हैं।

- कराधान व्यवस्था में स्थिरता। वोडाफोन, केयर्न और शैल जैसे कर विवाद फिर से न हों।
- भारत में व्यापार करना सरल बनाना (विश्व बैंक के व्यापार करने की आसानी के सूचकांक में 189 देशों की सूची में भारत 142वें स्थान पर है)
- सरकार कराधान, श्रम, भूमि, कौशल विकास और बिजली क्षेत्र सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई सुधार लाई है।
- बैंकिंग क्षेत्र में सुधार लाना, प्राकृतिक संसाधनों का पारदर्शी और निष्पक्ष आवंटन करना, जल्द से जल्द जीएसटी लागू करना और बिजली वितरण क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करना।
- देश के अवसंरचना क्षेत्र में भारी निवेश की जरूरत है और इसके लिए विदेशी निवेश अच्छे संसाधन साबित हो सकते हैं।
- डिजिटल भारत और मेक इन इंडिया जैसी योजनाओं मुख्यतः उत्पादन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए लाई गई हैं। इस क्षेत्र में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला, बाजार और व्यापार के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था के बेहतर एकीकरण की आवश्यकता होगी।
- बौद्धिक सम्पदा अधिकारों का सुदृढ़ीकरण – नवाचार और निवेश आकर्षित करने के लिए।
- प्रस्तावित राष्ट्रीय निवेश और इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड (NIIF) निवेश को आकर्षित करने के लिए एक बड़ा कदम साबित होगा।

भारत के लिए FDI, FPI की प्रासंगिकता—

- i. FDI से भारत के वित्त बाजार में तरलता बढ़ती है।
- ii. भारतीय वित्तीय परिसंपत्तियों के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मूल्यांकन में मदद मिलती है।
- iii. Current A/c घाटा के वित्तीयन में मदद करता है।
- iv. GDP की दर और आकार बढ़ता है।

→ निवेश निर्भर करता है —

- i. ब्याज दर पर
- ii. अर्थव्यवस्था की स्थिति
- iii. सब्सिडी

Angel Investors

कम से कम 2 करोड़ की विशुद्ध संपत्ति हो।

किसी व्यवसाय को चलाने का 20 वर्ष का अनुभव हो।

SEBI द्वारा लागू की गई इस अवधारणा में ऐसे निवेशक होते हैं जो **Start-up** में निवेश करते हैं।

↓

ऐसी कम्पनियाँ जो पहली बार किसी व्यवसाय को शुरू करती हैं।

अमेरिका की तरह भारत में समावेशी विकास के लिए विशेषकर तकनीकी ज्ञान के क्षेत्र में Start-up पर जोर दिया जा रहा है।

विकसित राष्ट्रों की मौद्रिक नीति और Currency Depreciation —

हाल के वर्षों में Growth Rate को बढ़ावा देने के लिए ब्याज दर वाली मौद्रिक नीति का प्रयोग कर रहे हैं। इसके कारण भारत जैसी उभरती हुई अर्थव्यवस्था की ओर विकसित राष्ट्रों से Capital Inflow से बढ़ रहे हैं।

प्रभाव

विकसित राष्ट्रों की मुद्राओं का भारत जैसे राष्ट्रों में हो Depreciation रहा है।

भारत जैसे विकासशील देशों के निर्यातों पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है

↓
विकसित राष्ट्रों के निर्यात को बढ़ावा मिल रहा है।

आयोजन के प्रकार

आयोजन क्या है ?

राज्य के नेतृत्व में राष्ट्र के संसाधनों का कुशलतम एवं अनुकूलतम राष्ट्र हित में उपयोग सुनिश्चित करना, ताकि विकास के माध्यम से कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को मजबूत किया जा सके।

भारत में आयोजन क्यों जरूरी है ?

व्यापक गरीबी, बेरोजगारी, निम्न उपभोग स्तर, कौशल एवं वित्त का अभाव आदि के कारण।

आयोजन का वर्गीकरण –

आदेशात्मक आयोजन (Imperative Planning)

- i. केन्द्रीय अवधारणा है
- ii. राज्य एवं सरकारी संस्थाओं का व्यापक तथा प्रत्यक्ष नियंत्रण होता है।
- iii. समाजवादी देश, रूस, चीन
- iv. प्रशासनिक ढाँचे को सक्रिय रखने के लिए दंड विधि का प्रयोग किया जाता है।
- v. वितरण प्रणाली में प्रशासन की प्रत्यक्ष भूमिका होने के कारण प्रशासित कीमत

निदेशात्मक आयोजन (Indicative Planning)

- i. विकेन्द्रीकृत व्यवस्था
- ii. राज्य एवं संस्थाओं का सांकेतिक हस्तक्षेप
- iii. निजी क्षेत्र की व्यापक भागीदारी
- iv. सरकार केवल नीतियों बनाने तक ही अपने आपको सीमित रखती है।
- v. बाजार क्रियाविधि का प्रयोग किया जाता है।

1980 के दशक से पूरी दुनिया के देशों में निदेशात्मक आयोजन की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। भारत में 1991 से पहले लगभग आदेशात्मक आयोजन की स्थिति थी, लेकिन 1991 के आर्थिक सुधार के बाद हम निवेशात्मक के ज्यादा करीब हैं। हमारी आयोजन व्यवस्था में समाजवादी तथा पूँजीवादी, सार्वजनिक तथा निजी दोनों ही क्षेत्रों की महत्वपूर्ण भूमिका के कारण मिश्रित अर्थव्यवस्था हो गई है।

अर्थव्यवस्था की केन्द्रीय समस्याएं

- i. क्या उत्पाद किया जाए
- ii. कैसे उत्पादन किया जाए
- iii. श्रम से या मशीन से

आर्थिक संकट –

जो आर्थिक निर्णय लेते हैं। उपभोक्ता, उत्पादक, बैंक, निगम सरकार आदि हो सकते हैं।

अंतिम वस्तुएं –

जिसका अंतिम उपयोग होता है, अर्थात् उन्हें उत्पादन प्रक्रम के किसी चरण से गुजरना नहीं पड़ता। चायपत्ती अंतिम वस्तु है। कोई वस्तु प्रकृति के कारण नहीं उपयोग की आर्थिक प्रकृति से अंतिम वस्तु मानी जाती है। केवल अंतिम वस्तु की मूल्य की गणना की जाती है, क्योंकि इसमें मध्यवर्ती वस्तु का मूल्य भी शामिल होता है।

सामान्य वस्तुएं –

- i. जिनका उपयोग अधिकतर उपभोक्ता करता है।
- ii. आय बढ़ेगी तो वस्तु की मात्रा बढ़ेगी।
- iii. आय कम होगी तो वस्तु की मात्रा कम होगी।

निम्न स्तरीय वस्तुएं –

- i. ये उपभोक्ता आय के विपरीत है।
- ii. आय बढ़ी तो मांग घटी। खाद्य पदार्थ
- iii. आय घटी तो मांग बढ़ेगी। मोटे अनाज

पंचवर्षीय योजनाएं

प्रथम — (1951–56)

- हेरॉल्ड जोमर संवृद्धि मॉडल पर आधारित भूमि सुधार तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम के माध्यम से खाद्य संकट का समाधान और कृषि क्षेत्र का विकास करना।

दूसरी — (1956–61)

- महालनोबिस मॉडल और उद्योगों को प्राथमिकता

तीसरी — (1961–66)

- खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना/उद्योग एवं निर्यात की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कृषि के उत्पादन को बढ़ावा देना।

योजना अवकाश — (1966–69)

- चीन तथा पाकिस्तान से युद्ध होने के कारण देश की वित्तीय स्थिति कमजोर हुई, जिसके कारण 1 वर्षीय योजनाएं बनाई गईं।

चौथी — (1969–74)

- कुछ खास नहीं, लेकिन परिवार नियोजन के कार्यक्रम को लागू करना।

पाँचवीं — (1974–79)

- गरीबी उन्मूलन का नाश

अनवरत् योजना (Rolling Plan)

- जनता पार्टी की सरकार ने 5th PYP 1 वर्ष पूर्व 1978 में ही समाप्त कर दिया और 1983 तक अनवरत् योजना बनाई गई, लेकिन नई सरकार ने 1980 में ही इसे समाप्त कर दिया।

छठी — (1985–90)

सातवीं (1985–90)

नई आर्थिक नीति — (1990–91)

अपनाने के कारण —

- भुगतान संतुलन
- राजकोषीय घाटे में वृद्धि
- विदेशी विनिमय कोष में कमी
- सार्वजनिक संकट के कारण पेट्रोल के दाम में वृद्धि
- खाड़ी संकट के कारण पेट्रोल के दाम में वृद्धि

किए गए कार्य

- उदारीकरण — उद्योग एवं व्यापार के लिए उधार नीति
- निजीकरण
- वैश्वीकरण — आयात एवं निर्यात को मान्यता प्रदान करना।

पहली पीढ़ी के सुधार — (1991–96)

- 6 उद्योगों (शराब, सिगरेट, औषधि, रक्षा उपकरण, विस्फोट एवं खतरनाक रसायन) को छोड़कर सभी उद्योगों में की Licence की समाप्ति।
- FTI को अनुमति
- कर प्रणाली को सरल बनाया गया।
- निर्यात को बढ़ावा देने के लिए रुपये का अवमूल्यन

आठवीं – (1992–97)

1990–92 तक राजनीतिक अस्थिरता व आर्थिक संकट के कारण 2 एक वर्षीय योजनाएं बनाई गईं। इसलिए 1992 से 8वीं FYP की शुरुआत हुई।

9वीं – (1997–2002)

10वीं – (2002–07)

11वीं – (2007–12) → राष्ट्रीय कृषि विकास नीति, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, राष्ट्रीय बागवानी मिशन, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना तथा किसानों के लिए ऋण माफी योजना की शुरुआत की गई।

12वीं FYP

- i. तीव्र धारणीय एवं अधिक समावेशी विकास का लक्ष्य प्राप्त करते हुए 8% विकास दर प्राप्त करना निर्धारित किया गया है।
- ii. कृषि क्षेत्र में 4% एवं विनिर्माण क्षेत्र में 10% औसत वार्षिक वृद्धि का लक्ष्य।
- iii. लिंग समानता एवं महिला सशक्तिकरण पर बल

बाजार अर्थव्यवस्था का दूसरा दौर : बाजार अर्थव्यवस्था को लेकर एक बेहतर नजरिया भी अपनाया जा सकता है। ऊँची वृद्धि दर जरूरी है, पर केवल इसी से गरीबी, वंचना, अवसरों की कमी और भेदभाव जैसी पुरानी समस्याओं से नहीं निपटा जा सकता। वृद्धि अभिमुखी नीतियों के साथ-साथ ऐसे कदम उठाने भी जरूरी हैं, जो समावेशी विकास, पूरी आबादी की न्यूनतम जरूरतों की पूर्ति और सामाजिक न्याय को सुनिश्चित कर सकें।

1991 के बाद हुए प्रमुख सुधार

- **विदेश व्यापार की नई नीति** : जुलाई 1991 से मार्च 1992 के बीच कई कदम उठाए गए। आयात और निर्यात से संबंधित तमाम निषेधों, अवांछित निर्देशों, शंकाओं और अस्पष्टताओं को दूर किया गया। आयात और निर्यात को नियंत्रित करने वाला कार्यालय बंद कर दिया गया। वस्तुओं के मुक्त आयात-निर्यात की घोषणा की गई।
- **औद्योगिक लायसेंस की समाप्ति** : इससे उद्योगों की क्षमता, तकनीक और कीमत पर नियंत्रण से मुक्ति मिल गई और प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन मिला।
- जुलाई 1991 में निश्चित विनिमय दर से हटने और बाजार द्वारा निर्धारित विनिमय दर की तरफ बढ़ने की शुरुआत हुई। “फेस” कानून रद्द किया गया और “फेमा” कानून ने उसकी जगह ली, जो “नियंत्रण” से “नियमन” की तरफ बढ़ने का संकेत था।
- भारत के पूँजी बाजार ने आकार लेना शुरू किया। कैपिटल इश्यूज के नियंत्रक का कार्यालय बंद कर दिया गया और सेबी (भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड) का गठन किया गया।
- एकाधिकार एवं प्रतिबंधक व्यापार व्यवहार अधिनियम (Monopolies and Restrictive Trade Practices Act MRTP Act) के प्रमुख प्रावधान रद्द कर दिए गए। प्रतिस्पर्धा आयोग अधिनियम, 2002 लागू, दूसरी पीढ़ी के सुधार (1996 से)
- दूसरी पीढ़ी के सुधारों के अंतर्गत कृषि सुधार, बुनियादी ढाँचा सुधार, जिसमें आर्थिक बुनियादी ढाँचे के अंतर्गत सिंचाई एवं जल निकास, परिवहन, संचार, विद्युत आपूर्ति, वित्तीय ढाँचे के विस्तार पर बल दिया गया।
- सामाजिक बुनियादी ढाँचे के तहत निवास ढाँचा, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, स्वच्छता, मनोरंजन के विकास पर बल दिया गया।
- स्थानीय स्वशासन को सुदृढ़ बनाया गया।
- व्यवहारपरक विदेश नीति अपनाई गई।
- अवसर की समानता तथा हितों की रक्षा के लिए अल्पसंख्यक आयोग, अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग, महिला आयोग तथा मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई।

बेरोजगारी

जब एक व्यक्ति रोजगार की तलाश करता है, लेकिन वह काम पाने में सफल नहीं हो पाता – इस अवस्था को बेरोजगारी कहा जाता है। सामान्यतः 15–59 वर्ष आयु वर्ग को आर्थिक रूप से सक्रिय माना जाता है। यदि इनके पास काम नहीं है तो इन्हें ही बेरोजगार माना जाता है।

भारत में बेरोजगारी के संबंध में क्षेत्रीय असंतुलन भी देखने को मिलता है। कुछ क्षेत्रों में अधिक रोजगार हैं, जबकि कुछ क्षेत्रों में कम, जिससे अत्यधिक अंतर राज्य श्रमिक प्रवसन होता है।

बेरोजगारी को बढ़ाने वाले कारक –

- बढ़ती हुई Technology
- मंदी
- मुद्रास्फीति
- कार्यस्थल पर भेदभाव आदि

बेरोजगारी के कारण –

- बढ़ती जनसंख्या
- सीमित भूमि संसाधन
- कृषि की मौसमी बेरोजगारी
- दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली – शिक्षित बेरोजगारी
- विनिर्माण का पिछड़ापन

बेरोजगारी के प्रकार –

वार्षिक रोजगार आकलन

- i. पूर्ण एवं अर्द्ध बेरोजगारी –
95 से कम दिन रोजगार है तो – पूर्ण बेरोजगारी
85 से 135 दिन से कम रोजगार है तो अर्द्ध बेरोजगारी
135 से अधिक दिन रोजगार है तो पूर्ण रोजगार
- ii. प्रच्छन्न बेरोजगारी
किसी काम को जरूरत से ज्यादा लोगों द्वारा करना, जबकि उतने लोगों की जरूरत नहीं होती। इसमें श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। इस प्रकार की बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में देखने को मिलती है।

इसके कारण –

- बढ़ती जनसंख्या
- गैर-कृषि रोजगारों की कमी
- iii. संरचनात्मक बेरोजगारी –
इस बेरोजगारी का संबंध अर्थव्यवस्था के आपूर्ति पक्ष से होता है। देश की उत्पादक संस्थाओं की संख्या में कमी के कारण अवसर सीमित रह जाते हैं। दूसरी तरफ जनसंख्या बढ़ती रहती है। इसके कारण –
 - औद्योगिकीकरण का प्रभाव
 - कुशलता विकास की कमी

भारत जैसे देश में इस प्रकार की बेरोजगारी देखने को मिलती है। बचत, निवेश, कुशलता को बढ़ाकर इससे निपटा जा सकता है।

iv. यह बेरोजगारी अर्थव्यवस्था/बाजार परिवेश में परिवर्तन के दौरान होने वाले उतार-चढ़ाव के कारण उत्पन्न होती है। यह मुख्य रूप से पूँजीवादी/विकसित देशों में देखने को मिलती है, जो मॉग में कमी के कारण उत्पन्न होती है। यह बेरोजगारी अल्पविकसित होती है, इसलिए इसे मौखिक और राजकोषीय नीतियों द्वारा मॉग को बढ़ाकर सुलझाया जा सकता है।

v. अनैच्छिक बेरोजगारी –
प्रचलित दर पर काम करने की इच्छा होते हुए भी काम की उपलब्धता न होना।

vi. मौसमी बेरोजगारी –
→ कृषि में देखने को मिलती है
→ फसल उगाना, निराई, कटाई के समय काम मिलता है।
→ ये काम खत्म होने पर कामगार बेरोजगार हो जाते हैं।

vii. अस्थायी बेरोजगारी –
जब श्रमिक एक उत्पादन प्रक्रिया से दूसरी प्रक्रिया की ओर चले जाते हैं। नियोक्ता कामगारों की खोज में रहते हैं। जब तक यह दोनों नहीं मिलते, तब तक बेरोजगारी बनी रहती है। सूचना का अभाव तथा भौगोलिक दूरी इस स्थिति की ओर भी जटिल बना देती है।

भारत में बेरोजगारी की स्थिति (NSSO)

→ भारत में रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं, लेकिन उनके बढ़ने की दर श्रम बल बढ़ने की दर से कम है। इसी संदर्भ में यह कहा जाता है कि भारत में Jobless Growth है। भारत में रोजगार की लोच लगातार गिरती जा रही है। कार्यबल का व्यावसायिक वितरण निम्न प्रकार पाया गया –

- a) कृषि – 49%
- b) उद्योग – 24%
- c) सेवाएं – 27%

स्पष्ट है कि भारत में लोगों का व्यावसायिक बदलाव ठीक से नहीं हुआ है। कार्यशील जनसंख्या का एक बड़ा भाग कृषि पर निर्भर है और यह निर्भरता ऐसी स्थिति में है जब राष्ट्रीय आय में कृषि की भूमिका कम है।

भारत में GDP की त्वरित वृद्धि दर को सुनिश्चित करना और उन क्षेत्रों में विशेष ध्यान देना जो रोजगार के अच्छे अवसर उत्पन्न करते हैं। कुशलता विकास पर ध्यान देना तथा निर्धनों, अशिक्षित लोगों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण को सुनिश्चित करना, ताकि उनकी रोजगार प्राप्त करने की क्षमता बढ़े।

इससे संवृद्धि की प्रक्रिया को भी उच्च गुणवत्ता युक्त रोजगार देने में आसानी होगी। भारत के श्रम कानूनों में इस प्रकार से बदलाव करना कि वे श्रम के अवशोषण को बढ़ावा दें, न कि श्रम के बहिष्कार को।

गरीबी

वह सामाजिक और आर्थिक स्थिति जिसके अंतर्गत जब लोगों द्वारा अपनी मूलभूत आवश्यकताओं जैसे— रोटी, कपड़ा और मकान की भी पूर्ति नहीं हो पाती, उसे गरीबी कहते हैं।

गरीबी अवसरों एवं विकल्पों से वंचित रहना है जो कि स्वस्थ, स्वतंत्र, गरिमापूर्ण, आत्म सम्मान जीवन जीने के लिए आवश्यक है।

गरीबी के प्रकार

निरपेक्ष गरीबी

इसमें मनुष्य की बुनियादी आवश्यकताएं— जैसे भोजन, पेयजल, स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा, सूचना का अभाव होता है।

विकासशील देशों में पाई जाती है।

सापेक्ष गरीबी

समाज के औसत व्यक्ति की तुलना में किसी व्यक्ति के उपभोग, आय और संपत्ति का अभाव, जिसके कारण संबंधित लोगों की आय या जीवन स्तर सामान्य लोगों से निम्न होता है।

→ गरीबी केवल धन का अभाव ही नहीं, बल्कि एक मानसिक दशा भी है। मानसिक रूप से कमजोर होने के कारण व्यक्ति अपनी आर्थिक बेहतरी और राष्ट्र कल्याण हेतु भी नहीं सोच पाता।

गरीबी रेखा निर्धारण – (NSSO द्वारा)

भारत में गरीबी मापने के लिए उपभोग अथवा खर्च विधि का प्रयोग किया जाता है, लेकिन ऐसा तर्क दिया जाता है कि गरीबी को मापने के लिए आय को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

विश्व बैंक का भारतीय गरीबी पर अनुमान –

रिपोर्ट के अनुसार किसी भी देश की तुलना में भारत में सबसे ज्यादा गरीबी है। विश्व बैंक द्वारा 1.9 अमेरिकी डॉलर आय को एक मानक के रूप में प्रयोग किया गया है जो पहले 1.25\$ (2005) था।

MPI (Multi-Dimensional Poverty Index) – 2010

1. Education
कौशल में कमी

2. Health
कुपोषण

3. Living Standard
आवासीय सुविधा का अभाव और सामाजिक भेदभाव

गरीबी के कारण :-

- i. कृषि पर निर्भरता – अधिकांश विकासशील देश में लोग कृषि पर निर्भर हैं और वर्तमान में कृषि अलाभकारी होती जा रही है।
- ii. रोजगार के अवसरों का अभाव –
- iii. अपर्याप्त बुनियादी ढाँचा – शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं के अभाव में गरीबी और बढ़ती है।
- iv. औपनिवेशिक प्रशासन – पारंपरिक हस्तशिल्प कार्य नष्ट हुई।
- v. भूमि सुधार की असफलता
- vi. बढ़ती जनसंख्या और आय के कम स्रोत।

गरीबों की संख्या अधिक होने से उनकी मजदूरी दर कम हो जाती है, क्योंकि मात्र की तुलना में आपूर्ति दर कम हो जाती है। मजदूरी दर कम होने से आय कम हो जाती है। इस वजह से परिवार के बच्चे श्रम कार्य में लगाए जाते हैं – इससे बाल श्रम की समस्या भी उत्पन्न होती है। इस प्रकार गरीबों की अगली पीढ़ी भी गरीबी और मजबूरी में रह जाती है।

गरीबी कम करने के सुझाव/उपाय

- i. जनसंख्या नियंत्रण
- ii. कृषि की उत्पादकता को बढ़ाना
कृषि आधारभूत ढाँचे का विकास जैसे सिंचाई आदि।
MSP
तकनीक को बढ़ावा देना
- iii. रोजगार के अवसरों का सृजन –
निर्माण, विनिर्माण – श्रम सुधार
प्रशासनिक भार को कम करना, बाजार की स्थितियों को दूर करना, कुशलता विकास।
- iv. मूलभूत सेवाओं जैसे– शिक्षा, स्वास्थ्य पेयजल में सार्वजनिक खर्च को बढ़ाना।

Trickle – down और गरीबी –

इसके अंतर्गत

↓

- i. ब्याज दरों में कटौतियों की जाती हैं।
- ii. तरलता का विस्तार किया जाता है।
- iii. करों में छूट दी जाती है।
- iv. विभिन्न प्रकार की सब्सिडियाँ दी जाती हैं, ताकि औद्योगिकीकरण, सेवा क्षेत्र आदि को बढ़ावा मिल सके।

नवीनतम अनुसंधान में Trickle – down आय की विषमताओं को बढ़ा रहे हैं और गरीबी को कम करने में इसकी कोई विशेष भूमिका नहीं है। कॉरपोरेट क्षेत्र द्वारा इन छूटों का लाभ उठाया जा रहा है।

भारत के वर्तमान राष्ट्रपति द्वारा Trickle – down को निष्प्रभावी बताया गया जिसके निम्न कारण हैं –

- i. उदारीकरण की नीतियों में कृषिक क्षेत्र की अपेक्षा करना।
- ii. गैर-कृषि गतिविधियों के विकास पर ध्यान नहीं देना।
- iii. MSMEs क्षेत्र की उपेक्षा करना।
- iv. कुशलता विकास पर ध्यान नहीं देना।

मनरेगा

- ग्रामीण विकास मंत्रालय
- 2005 में संसद द्वारा पारित कानूनी अधिकार
- 2 फरवरी 2006 से आंध्र प्रदेश से लागू
- काम के पहले अनाज + सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार को मिलाकर बनाया
- 2009 में नरेगा से मनरेगा
- प्रत्येक ग्रामीण परिवार के एक वयस्क को जो अकुशल श्रम के लिए तैयार हो – 100 दिनों के रोजगार की गारंटी (1 वर्ष में)
- 33% महिलाओं को आरक्षण
- रोजगार पाने वाले को आवेदन के 15 दिनों के अंदर रोजगार दिया जाएगा (5 किमी. के अंदर) वरना बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा।
- रोजगार गारंटी कोष बनाया गया है।
- क्रियान्वयन ग्राम पंचायत द्वारा
- वित्त → केन्द्र : राज्य :: 90 : 10
- ग्रामीण अवसंरचना के विकास से संबंधित क्षेत्र, जैसे जल संरक्षण, सड़क निर्माण, सिंचाई, हॉस्पिटल इत्यादि में रोजगार प्रदान किया जाता है।
- राज्य सरकार द्वारा किसी क्षेत्र को सूखा घोषित करते ही रोजगार दिवसों की संख्या 100 से 150 दिन हो जाती है।
- स्वच्छता अभियान से जोड़ा गया है।?
- देय मजदूरी को DBT Scheme से जोड़ा गया है।

मनरेगा से लाभ

↓

- गरीबी कम की है।
- न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित जिससे क्रय शक्ति क्षमता बढ़ी है।

↓

जिससे माँग बढ़ी एवं ग्रामीण खपत ने भारतीय अर्थव्यवस्था को मंदी की चपेट में

- वित्तीय समावेशन जिससे साहूकारों पर निर्भरता कम हुई।
- महिला सशक्तिकरण
- रहन-सहन के स्तर में सुधार
- प्राकृतिक संसाधनों में वृद्धि एवं संरक्षण

जनसंख्या

- 121 करोड़ (2011)
- चीन के बाद दूसरा स्थान
- विश्व की जनसंख्या पर 17.5%
- विश्व के कुल भूभाग का 2.4%
- 2001-2011 औसत वार्षिक वृद्धि 1.77%
- शहरी जनसंख्या 31.16% और ग्रामीण 68.84%
- जनसंख्या घनत्व 2001-324 या और 2011-382 (प्रति वर्ग किलोमीटर)
- **अशोधित जन्म दर** — प्रति हजार जनसंख्या पर किसी विशेष वर्ष में जन्में पंजीकृत कुल बच्चों की संख्या।
- **अशोधित मृत्यु दर** — इसका उल्टा है (मृत्यु दर)
- **जनसंख्या की वृद्धि दर** — किसी एक वर्ष में अशोधित जन्म दर तथा अशोधित मृत्यु दर में अंतर इसमें निवल Migration दर को जोड़ दिया जाए तो इसे जनसंख्या की वृद्धि दर कहा जाता है।
- **मातृत्व मृत्यु दर** — प्रति 1 लाख जीवित जन्म पर प्रसव के दौरान या गर्भ नष्ट होने के 42 दिनों में मरने वाली महिलाओं की संख्या 1 (174)
- **लिंगानुपात** — प्रति हजार पुरुषों की संख्या के अनुपात में स्त्रियों की संख्या 1 (940)
- **शिशु मृत्यु दर** — प्रति हजार जीवित जन्में शिशुओं के अनुपात में 1 वर्ष से कम आयु के मृत शिशुओं की संख्या।
- **बाल मृत्यु दर** — 1000 जन्में जीवित बच्चों की संख्या के अनुपात में 5 वर्ष तक के मृत बच्चों की संख्या।
- **सम्पूर्ण प्रजनन दर** — किसी स्त्री के सम्पूर्ण प्रजनन काल 15-49 में पैदा हुए बच्चों की संख्या।
- **शिशु लिंग अनुपात** — 6 वर्ष तक के आयु समूह में प्रति हजार बालकों के समूह में बालिकाओं की संख्या 1 (914)

पहली जनगणना — 1872
विधिवत जनगणन — 1881
अभी 2011 — 14वीं थी :
1911 से 1921 को
महान विभाजक वर्ष कहा जाता है,
क्योंकि इसमें भारत की जनसंख्या में
कमी हुई थी।

जनसंख्या नीति — 2000 — इस नीति के अनुसार भारत 2045 तक जनसंख्या में स्थिरता प्राप्त कर लेगा, लेकिन अब इस लक्ष्य को 2070 कर दिया गया गया है।

सम्पूर्ण प्रजनन दर को 2% पर लाना।

आशा :-

- जननी सुरक्षा योजना से संबंधित ग्रामीण कार्यकर्ता।
 - राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन से जुड़ी है।
 - आशा द्वारा प्रसव पूर्व देखभाल की जाती है तथा गर्भावस्था के दौरान पोषण तथा स्वास्थ्य के विषय में सलाह देती है। इनका कार्य प्रसव कराना नहीं है।
 - सी.पी. ब्लेकर द्वारा जनसंख्या में परिवर्तन की 5 अवस्थाओं का वर्णन किया गया है, जो इस प्रकार है —
1. **प्रथम अवस्था** : इसमें जन्म दर तथा मृत्यु दर दोनों ही ऊँची होंगी। जनसंख्या वृद्धि का आकार स्थिर या बहुत धीमा होगा।
 2. **द्वितीय अवस्था** : यह अवस्था विकास की ओर अग्रसर देशों में पाई जाएगी। इसके अंतर्गत जन्म दर में तेजी परंतु मृत्यु दर में कमी होगी, जनसंख्या विस्फोट की स्थिति बनेगी।
 3. **तीसरी अवस्था** : औद्योगिक तथा कृषि विकास के चरण में प्रवेश करने वाले देशों में जनसंख्या की अइस अवस्था की स्थिति होगी, जिसके अंतर्गत जन्म दर में कमी होगी, परंतु मृत्यु दर उससे अधिक तेजी से घटेगी। जनसंख्या की वृद्धि दर में कमी होगी, परंतु जनसंख्या की भयावह स्थिति बनी रहेगी।
 4. **चौथी अवस्था** : यह उच्च विकास के दौर में पहुँचे हुए विकसित देशों में होगी, जिसमें जन्म दर नियंत्रित तथा नीची, साथ ही मृत्यु दर भी नियंत्रित तथा नीची ही होगी। इस स्थिति में जनसंख्या तेजी से गिरती है।
 5. **पाँचवीं अवस्था** : पूर्ण विकास की दर को प्राप्त किए हुए विकसित राष्ट्रों में ऐसी अवस्था पाई जाती है। इसमें जन्म दर अत्यंत नीची तथा मृत्यु दर से भी कम होती है। साथ ही मृत्यु दर भी नीची होती है।

भारत में जन्म दर में संतोषजनक कमी न आने के कारण

- कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था
- गरीबी
- शिक्षा का निम्न विकास स्तर
- कम उम्र में विवाह होना
- सामाजिक अंधविश्वास – पुत्र की प्रधानता
- नगरीकरण की धीमी प्रक्रिया

भारत में मृत्यु दर में कमी लाने के लिए सहायक कारक

- स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार
- अकाल की समाप्ति
- हैजा, प्लेग, चेचक आदि महामारियों की समाप्ति
- शुद्ध पेयजल उपलब्धता, प्रसव के दौरान अच्छी चिकित्सा सुविधा आदि।

जनसंख्या वृद्धि को रोकने के उपाय

- शिक्षा
- विवाह की न्यूनतम निर्धारित आयु सीमा
- औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देना
- सामाजिक मानसिकता में बदलाव
- आय में वृद्धि
- 1992 राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम बनाया गया था। (विश्व का पहला)

लिंगानुपात :-

- हरियाणा— 877, केरल— 1084
- जम्मू एवं कश्मीर – 889
- तमिलनाडू – 996

IMF (अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष)

- संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यू हैम्पसायर के ब्रेटन वुड्स में जुलाई 1944 में आयोजित 44 देशों के सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (आई.बी.आर.डी.) के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) की स्थापना की गई।
- वर्तमान में 188 राष्ट्र आई.एम.एफ. के सदस्य हैं।
- भारत आई.एम.एफ. का संस्थापक सदस्य है।
- अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का उद्देश्य अग्रलिखित है: वृहद आर्थिक विकास को सुनिश्चित करना, गरीबी कम करना, आर्थिक स्थिरता बनाए रखना, विकासशील देशों के लिए नीतिगत सलाह और वित्त पोषण, मौद्रिक प्रणाली में सहयोग के लिए मंच प्रदान करना, विनिमय दर स्थिरता तथा अंतर्राष्ट्रीय भुगतान प्रणाली को बढ़ावा देना।
- 1993 के बाद भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से कोई वित्तीय सहायता नहीं लिया है। आई.एम.एफ. से लिए गए सभी ऋणों का भुगतान 31 मई 2000 को कर दिया गया।
- आई.एम.एफ. एक बहुपक्षीय ऋण एजेंसी के रूप में कार्य करती है। इसका मुख्यालय अमेरिका के वाशिंगटन डी.सी. में अवस्थित है। यह विकसित व दूसरे समर्थ सदस्य देशों से वित्तीय सहायता लेता है और जरूरत पड़ने पर विकासशील एवं गरीब सदस्य देशों को वित्तीय सहायता मुहैया कराता है। इस कम में प्रत्येक सदस्य देश का कोटा, तीन मापदंडों —
 1. विश्व व्यापार में भागीदारी
 2. प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय और
 3. आर्थिक विकास को दृष्टिगत रखते हुए निर्धारित किया जाता है। “कोटा प्रतिशत” के आधार पर संबंधित देश को आईएमएफ में मताधिकार दिया जाता है।उल्लेखनीय है कि आर्थिक रूप से शक्तिशाली चुनिंदा विकसित देश हमेशा से इस संगठन के दिशा-निर्देशों को प्रभावित करते आ रहे हैं।

विश्व अर्थव्यवस्था में आईएमएफ की प्रासंगिकता

मौजूदा समय में विश्व अर्थव्यवस्था में आईएमएफ की भूमिका को सिरे से खारिज नहीं किया जा सकता है। अगर यह अपनी आंतरिक खामियों को दूर करते हुए एक लोकतांत्रिक एवं पारदर्शी व्यवस्था लागू करने में सफल रहता है तो निश्चित रूप से विश्व से गरीबी के उन्मूलन एवं समावेशी विकास को सुनिश्चित किया जा सकेगा।

कोटा प्रणाली में विकासशील देशों की स्थिति

आईएमएफ के सदस्य देशों में विकासशील देशों की संख्या बहुलता में है, लेकिन संस्था के दिशा-निर्देशों को तय करने में उनकी भूमिका न्यून है। ऐसी स्थिति निश्चित रूप से इस संस्था के लिए घातक है, क्योंकि यह सहभागिता का लोकतांत्रिक या तार्किक प्रक्रिया नहीं है। फिलहाल, इस संगठन में कोटा प्रतिशत की समीक्षा प्रत्येक पाँच साल में की जाती है, लेकिन संगठन का “बोर्ड ऑफ गवर्नर्स” कभी भी विकासशील देशों का कोटा प्रतिशत नहीं बढ़ाता है। इसके लिए आमतौर पर यह तर्क दिया जाता है कि चूंकि विकासशील देश आईएमएफ से ऋण तो लेते हैं, लेकिन “रिवॉल्विंग फंड” में उनका अंशदान न्यून या न के बराबर होता है। लिहाजा, उनके कोटा प्रतिशत में इजाफा करना किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है।

- स्थापना 27 अक्टूबर, 1945
- BOP संकट से निपटने के लिए सदस्य देशों को ऋण देना।
- अल्पकालीन वर्ल्ड बैंक सदस्यों, देशों को दीर्घकालीन ऋण सहायता।
- IMF अपने सदस्य देशों के कोटा प्रतिशत या अधिकारों (SDR) की प्रत्येक 5 साल में समीक्षा करता है।

व्यावहारिक स्तर पर आईएमएफ एक लोकतांत्रिक संगठन नहीं है

जहाँ सभी सदस्य देशों का मताधिकार समान रूप से हासिल देश हमेशा से आईएमएफ में किसी भी मुद्दे पर मताधिकार, नीति-निर्माण, दिशा-निर्देश आदि को शुरू से ही प्रभावित करते आए हैं। यही देश तब यह कहते हैं कि किस सदस्य देश को ऋण दिया जाए और उसकी शर्तें क्या हों? बीते सालों में आईएमएफ के शक्तिशाली सदस्य देशों द्वारा कर्जदार देशों के आंतरिक मामलों में दखल देने के मामले भी देखने में आए हैं।

आईएमएफ में व्याप्त खामियाँ

आईएमएफ की कार्यप्रणाली के स्तर पर विकसित देशों की दादागिरी पर नियंत्रण करना आईएमएफ के समक्ष एक बहुत बड़ी चुनौती है, जिसमें सफलता हासिल करना आसान नहीं है। दूसरी तरफ, 1973 के विश्वव्यापी तेल संकट (Oil Crisis) के बाद ऐसा महसूस किया जा रहा है कि आईएमएफ विकासशील देशों की वित्तीय जरूरतों का सही आकलन नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण विकासशील देश ऋण का सही उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। इस परिप्रेक्ष्य में आईएमएफ विकासशील देशों को तार्किक ढंग से तकनीकी सहायता भी उपलब्ध नहीं करा पा रहा है। ऐसा भी देखने में आया है कि आईएमएफ की नीतियों के दोषपूर्ण होने के कारण विकासशील देश ऋण का दुरुपयोग कर रहे हैं, जिसके कारण भ्रष्टाचार एवं अन्य समस्याएं पनप रही हैं।

आईएमएफ की नीतियों का भोजन एवं स्वास्थ्य पर प्रभाव

देखा गया है कि आईएमएफ की नीतियों से विकासशील देशों में दो वक्त के भोजन की उपलब्धता एवं कृषि गतिविधियों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। दरअसल, आईएमएफ द्वारा ऋण की शर्तों या प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष तरीकों से विकासशील देशों की नीतियों को प्रभाव करने के कारण संबंधित देश की कृषि गतिविधियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जिससे फसलों की उत्पादकता में कमी आती है। इस बात की पुष्टि भूतपूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने वर्ष 2008 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में दिए गए अपने भाषण में की थी।² कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय द्वारा किए गए एक अध्ययन में भी पाया गया कि आईएमएफ ने जिन 21 विकासशील देशों को ऋण दिया था, वहाँ विकास होने की बजाय, टीबी से हुई मौतों में 16.6 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। वर्ष 2009 में ही प्रसिद्ध लेखक “रिक रोडेन” ने अपनी किताब “द डैडली आइडियाज ऑफ नियोलिबरिज्म” में लिखा था कि आईएमएफ विकासशील देशों में अपनी आर्थिक नीतियों जैसे, निम्न मुद्रा स्फीति और निम्न बजट घाटा आदि के माध्यम से स्वास्थ्य एवं एड्स के विरुद्ध जारी लड़ाई को कमजोर करने का काम कर रहा है।

निष्कर्ष

कहा जा सकता है कि भले ही आईएमएफ एक लम्बे समय से अस्तित्व में है, लेकिन अपने उद्देश्य को पूरा करने में यह पूरी तरह से नाकाम रहा है। वस्तुतः इसका मुख्य मकसद था – सदस्य देशों को आर्थिक रूप से सबल बनाना, गरीबी उन्मूलन करना, विकास को गति देना, रोजगार सृजन में सहायता करना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सरल व सुगम बनाना आदि, लेकिन यह ऐसा करने में असफल रहा है। आईएमएफ के अंदर लोकतंत्र का अभाव है। किसी भी कार्य को पारदर्शी तरीके से अंजाम नहीं दिया जाता है, विकसित और विकासशील देश नदी के दो छोर बन गए हैं। देखने में यह भी आया है कि आईएमएफ की आड़ में विकसित देश, विकासशील देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहे हैं। वे विकासशील देशों को एक बड़े बाजार और प्रयोगशाला के रूप में देख व इस्तेमाल कर रहे हैं। स्पष्ट है कि सभी देशों को बराबर मताधिकार देने से ही विकसित देशों की आईएमएफ में चल रही दादागिरी को खत्म एवं इसकी सार्थकता को बरकरार रखा जा सकता है।

सुधार संबंधी विवाद :-

- i. आईएमएफ की कार्यप्रणाली को लोकतांत्रिक नहीं माना गया है। विकासशील देश आईएमएफ में कोटा और मताधिकार बढ़ाने की माँग कर रही है। इसका वितरण असंतुलित ढंग से विस्तृत राष्ट्रों के पक्ष में है। अमेरिका के पास 16.5% भाग के साथ वीटो पॉवर है।
- ii. आईएमएफ के Executive Board की संरचना भी प्रजातांत्रिक नहीं मानी गई है। इसमें कुल 24 सदस्य होते हैं। जहाँ अमेरिका जैसे राष्ट्र अकेले एक सदस्य को भेजते हैं, वहाँ भारत, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश मिलकर एक सदस्य को भेजते हैं।
- iii. भारत का यह भी कहना है कि भारत के प्रबंध निदेशक की नियुक्ति योग्यता के आधार पर हो, क्योंकि अमेरिका और यूरोपियन राष्ट्रों के बीच एक सहमति बनी हुई है कि आईएमएफ का प्रबंध निदेशक कोई यूरोपियन होगा, जबकि विश्व बैंक का अध्यक्ष कोई अमेरिकन होगा।

❖ हाल के सुधार : जनवरी 2016

- अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के गवर्नेंस संरचना में उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के प्रभाव में अधिक वृद्धि हुई है।
- इन सुधारों के फलस्वरूप संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय देशों के हिस्से से 6 प्रतिशत से अधिक कोटा उभरते और विकासशील देशों को प्राप्त होंगे।
- नए प्रावधानों के तहत भारत का मताधिकार वर्तमान 2.3 प्रतिशत से बढ़कर 2.6 प्रतिशत और चीन का 3.8 प्रतिशत से बढ़कर 6 प्रतिशत हो गया है।
- रूस और ब्राजील भी इन सुधारों से लाभान्वित हुए हैं।
- इन सुधारों के कारण यू.एस., जापान, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन, चीन और रूस के साथ ब्राजील भी शामिल हो गए हैं।
- इस सुधार प्रक्रिया के कारण कनाडा और सऊदी शीर्ष दस देशों की सूची से बाहर हो गए हैं।
- BRICS समूह की चार उभरती अर्थव्यवस्थाओं – ब्राजील, चीन, भारत और रूस प्रथम बार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के 10 सबसे बड़े सदस्य देशों के समूह में शामिल होगी।

आई.एम.एफ. की वित्तीय ताकत में वृद्धि :

- इन सुधारों ने आई.एम.एफ. के स्थायी पूँजी संसाधनों को दुगना कर इसे 477 बिलियन एस.डी.आर. (विशेष आहरण अधिकार) (659 बिलियन डॉलर) कर दिया है, जिससे इसकी वित्तीय ताकत में भी वृद्धि हुई है।

आई.एम.एफ. कार्यकारी बोर्ड

- इन सुधारों का एक पहलू यह भी है कि आई.एम.एफ. के कार्यकारी बोर्ड के लिए कुछ कार्यकारी निदेशकों की नियुक्ति (एपॉइंटमेंट) के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है। अब आई.एम.एफ. का कार्यकारी बोर्ड पूरी तरह के निर्वाचित.....
- आई.एम.एफ. के 14वें जनरल कोटा रिव्यू के प्रभावी होने के बाद अब मुख्य ध्यान 15वें जनरल कोटा रिव्यू पर कार्य करने की दिशा में मुद्रित होगा। पुनः एक नया कोटा फॉर्मूला पर कार्य करने के अतिरिक्त सर्वसम्मति के व्यापक सिद्धांत को हासिल करने पर भी काम किया जाएगा।
- ये सुधार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की विश्वसनीयता, प्रभावशीलता और वैधता को सुदृढ़ करेगा।

भारत को लाभ –

अधिक वोटिंग अधिकार और उधारी क्षमता। निर्णय निर्माण में भारत का ज्यादा दखल।

SDR (Special Drawing Right) – अंतर्राष्ट्रीय रिजर्व सम्पत्ति

Global Liquidity को बढ़ाने के लिए 1969 में IMF द्वारा SDR को शुरू किया गया। इसे "Paper of Gold" भी कहते हैं। इसमें

• डॉलर	यूएसए	41%
• यूरो	यूरोपियन यूनियन	31%
• पाउंड	यू.के.	8.09%
• येन	जापान	8.5%
• युआन	[(रेनमिनबी) –2016]	चीन – 10.9%

SDR के माध्यम से सदस्य बिना किसी भौतिक हस्तांतरण के परस्पर भुगतान के लिए स्वीकार की जाती है। निजी व्यापारिक व्यवहारों के लिए नहीं किया जाता।

SDR में सम्मिलित होने की अनिवार्यता

- संबंधित राष्ट्र में पूर्ण Capital A/c. Convertibility हो।
 - मुद्रा की विनिमय दर लोचशील हो, लेकिन इनमें से चीन में कोई नहीं है, लेकिन हाल ही में चीन के द्वारा युआन की आपूर्ति बढ़ाने के लिए BRICS Bank में सर्वाधिक योगदान, AIIB की स्थापना, अनेक देशों के साथ Currency Swap जैसे समझौते किए गए थे।
- SDR में भारत कुछ रु के रूप में जमा करवा सकता है। SDR में जमाकर्ता देश को ब्याज मिलता है, लेकिन BOP के लिए अधिक ब्याज देना पड़ता है। कौटे का 25% SDR के रूप में रखना अनिवार्य है।
- Federal Reserve Bank of America डॉलर का निर्माण नहीं करता। डॉलर का निर्माण United State Department of the Treasury करता है।

(सदस्य – 57)

AIIB – बीजिंग [Asian Infrastructure Investment Bank]

- अधिकृत पूँजी 100 अरब डॉलर और प्रदत्त पूँजी 50 अरब डॉलर
 - एशियाई देश कुल पूँजी का 75% योगदान करेंगे।
 - प्रत्येक देश को उसके शेयर का कोटा उसके आर्थिक आकार के आधार पर दिया जाएगा।
- | | | |
|------|-----|------|
| देश | मत | कोटा |
| चीन | 26% | 80% |
| भारत | 7% | 8% |
| रूस | 5% | 6% |
- ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस, यू.के. इसमें शामिल हैं।

अमेरिका, जापान इसके सदस्य नहीं हैं।

AIIB अवसंरचना क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए फंडिंग देगा। इसलिए इसे विश्व बैंक और एशियन विकास बैंक के प्रतिद्वंद्वी की तरह देखा जा रहा है।
चीन को वीटो का अधिकार.....

ADB –

एशियाई विकास बैंक (एडीबी)

- एशियाई विकास बैंक एक क्षेत्रीय विकास बैंक है, जिसकी स्थापना 22 अगस्त 1966 को एशिया के आर्थिक विकास में सहायक होने के लिए की गई थी। फिलीपींस के मनीला में इसका मुख्यालय है।
- एडीबी को विश्व बैंक के मॉडल पर बनाया गया है। इसकी मतदान प्रणाली भी समान है, जहाँ मताधिकार सदस्यों के पूँजी अंशदान के अनुपात में वितरित किए गए हैं।
- वर्तमान में जापान 15.67% के साथ सबसे बड़ा अंशधारक है। संयुक्त राज्य अमेरिका की अंशधारिता 15.56%, चीन की 6.47%, भारत की 6.36% और ऑस्ट्रेलिया की 5.8% है।

उद्देश्य :

एशिया के देशों के आर्थिक विकास में सुविधाप्रदता की भूमिका निभाना है। साथ ही, इसका लक्ष्य एशिया और प्रशांत क्षेत्र को गरीबी से मुक्त कराना है।

सदस्य: वर्तमान में इसमें 67 सदस्य देश हैं, जिनमें से 48 एशिया प्रशांत क्षेत्र से हैं और 19 बाहर से हैं।

बोर्ड ऑफ गवर्नर्स

- इसमें प्रत्येक सदस्य देश से एक प्रतिनिधि होता है। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बैंक के प्रतिनिधि का चुनाव भी करता है, जो कि निदेशकों के बोर्ड का चेयरमैन होता है और एडीबी का प्रबंधन करता है।
- **ऋण :** यह पाँच मुख्य क्षेत्रों पर फोकस करते हुए कठार तथा उदार ऋण दोनों उपलब्ध कराता है। ये क्षेत्र हैं – अवसंरचना, जलवायु परिवर्तन सहित पर्यावरण, क्षेत्रीय सहयोग एवं एकीकरण, वित्तीय विकास और शिक्षा।

मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान

- वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों को द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में अमेरिकी नेतृत्व में बनाया गया था।
- अमेरिका, यूरोप और जापान अपनी अर्थव्यवस्थाओं के गिरावट के बावजूद, इन संस्थानों में अपना प्रभाव बनाए हुए था। उदाहरण के लिए, अमेरिका के पास अभी भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक द्वारा लिए गए प्रमुख निर्णयों पर वीटो का अधिकार है।

विश्व बैंक (World Bank)

- विश्व बैंक समूह में पाँच संगठन शामिल हैं –
 - i. अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ (International Development Association- IDA)
- इसकी स्थापना 1960 में हुई।
- आईडीए को विश्व बैंक की रियायती खिड़की (Soft Loan Window) भी कहा जाता है।
- आईडीए द्वारा निम्न प्रति व्यक्ति आय वाले देशों को ऋण दिया जाता है। (Long term)
- ii. आईबीआरडी (International Bank for Reconsstruction and Development)
- इसकी स्थापना वर्ष 1944 में हुई।
- इसके द्वारा गरीब तथा अल्पविकसित देशों को विभिन्न कल्याण कार्यक्रमों जैसे – गरीबी निवारण, अवसंरचना विकास आदि के लिये ऋण प्रदान किया जाता है। (Long term)
- iii. अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (International Finance Corporation- IFC)
- इसकी स्थापना वर्ष 1956 में की गई थी।
- IFC विकासशील देशों में निजी क्षेत्र के उद्यमों के लिए पूँजी जुटाने की व्यवस्था करता है।
- 1961 में यह संयुक्त राष्ट्र संघ का अभिकरण बना।
- iv. बहुपक्षीय निवेश गारंटी संस्था (MIGA)
- मिगा की स्थापना वर्ष 1988 में हुई थी।

इसका मुख्य कार्य सदस्य राष्ट्रों में होने वाले निवेश को Political Risk के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है। इसमें आतंकवादी हमले, गृह युद्ध, राष्ट्रीयकरण आदि के कारण होने वाली हानियों को सम्मिलित किया गया है। यह कमर्शियल Based होने वाली हानि को सुरक्षित नहीं करता।

- इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य था – गैर व्यापारिक अवरोधों को कम करके समता निवेश (Equity Investment) तथा अन्य प्रत्यक्ष निवेशों को प्रोत्साहित करना।
- v. आईसीएसआईडी (International Centre for Settlement of Investment Disputes - ICSID) इसकी स्थापना 1966 ई. में की गई थी।
- इसका मुख्य कार्य विदेशी निवेश से जुड़े अनुबंधों से संबंधित विवादों के लिए समाधान करना है। भारत इसका सदस्य नहीं है।
- विश्व बैंक से अभिप्राय सामान्यतः IBRD तथा IDA से है। उपर्युक्त पाँचों संस्थाओं को मिलाकर विश्व बैंक समूह कहा जाता है। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन में है।

BRICS क्या है ?

ब्राजील, रूस, भारत और चीन के वैश्विक अर्थव्यवस्था में बढ़ते प्रभाव को देखते हुए वर्ष 2001 में गोल्डमैन सैक समूह के अर्थशास्त्री जिसको नील के द्वारा "बिक्र" शब्द का प्रयोग इन देशों के लिए संयुक्त रूप से किया गया।

- ब्रिक्स देशों ने वर्ष 2009 में पहली बैठक की। इस समूह में दक्षिण अफ्रीका बाद में शामिल हुआ। अतः ब्रिक्स अब ब्रिक्स (BRICS) का रूप ले चुका है।
- ब्रिक्स देशों में ब्रिक्स की कुल जनसंख्या की 40 प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। इन देशों की संयुक्त अर्थव्यवस्था 16 ट्रिलियन डॉलर की हो चुकी है। यद्यपि यह संयुक्त रूप से विश्व की अर्थव्यवस्था का 1/5वां भाग है, किंतु उन्हें (IMF) में 11 प्रतिशत मत ही प्राप्त हैं, जबकि अमेरिका, जापान, जर्मनी, इंग्लैंड तथा फ्रांस 40 प्रतिशत मतदान शक्ति का प्रयोग करते हैं।
- ब्रिक्स बैंक में संस्थापक सदस्यों का बराबर मताधिकार होगा।

ब्रिक्स (BRICS) बैंक क्या है ?

- जुलाई 2014 में ब्रिक्स देश एक ऐसे विकासशील देश की स्थापना पर सहमत हुए, जिसका न सिर्फ ब्रिक्स देशों बल्कि अब विकासशील देशों में भी आधारभूत ढाँचे और सतत विकास संबंधी संसाधनों को गतिशील करना है। बैंक यह कार्य सार्वजनिक और निजी परियोजनाओं में ऋण, गारंटी और इक्विटी के माध्यम से वित्त उपलब्ध करना चाहता है।
- बैंक 50 बिलियन डॉलर की अभिवृद्ध पूँजी से प्रारंभ होगा। यह पाँच संस्थापक सदस्यों में बराबर-बराबर बाँटा जाएगा, जिससे ये देश 10 बिलियन डॉलर अगले सात वर्षों में नगद के रूप में तथा 40 बिलियन डॉलर गारंटी के रूप में मुद्रा विनिमय भंडार स्थापित करने पर भी सहमत हुए हैं। इसका उपयोग सदस्य देशों के द्वारा भुगतान संतुलन संबंधी समस्याओं से निपटने में किया जाएगा।
- इन सभी देशों में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार वाला देश चीन, मुद्रा भंडार में सबसे ज्यादा योगदान करेगा। ब्राजील भारत, रूस में से प्रत्येक देश 18 बिलियन डॉलर का योगदान करेगा, जबकि दक्षिण अफ्रीका 5 बिलियन डॉलर का योगदान करेगा।

यूरोपीय संघ

- वर्ष 1958 में स्थापित यूरोपीय आर्थिक समुदाय (EEC) को ही बाद में यूरोपीय संघ का नाम दे दिया गया।
- इसमें 28 सदस्य देश हैं।
- यूरोपीय संघ ने सदस्य देशों पर लागू होने वाले मानकों के द्वारा एकल बाजार का विकास किया है।
- यह कॉमन मार्केट का उदाहरण है।
- इसकी अपनी मुद्रा यूरो है, जिसे 10 सदस्य देशों द्वारा स्वीकार किया गया है।
- नार्वे तथा स्विट्जरलैंड EU के सदस्य राष्ट्र नहीं हैं।

विश्व व्यापार संगठन (World Trade Organisation - WTO)

- विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी, 1995 को प्रशुल्क एवं व्यापार संबंधी सामान्य समझौते (General Agreement on Tariff and Trade-G) में स्थान पर हुई थी।
- WTO का गठन उरुग्वे दौर की वार्ता (1986-93) के सफलतापूर्वक होने के बाद लागू किया गया था।

विश्व व्यापार संगठन के प्रमुख कार्य

- आयात प्रशुल्क तथा अन्य व्यापार बाधाओं को समाप्त करने या उनमें कमी लाने हेतु वार्ता करना।
- अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को संचालित करने वाले नियमों पर सहमति बनाना।
- वस्तु एवं सेवा व्यापार संबंधी बौद्धिक सम्पदा अधिकारों से संबंधित विश्व व्यापार संगठन के सहमति प्राप्त नियमों को लागू करने संबंधी निगरानी एवं प्रशासन करना।
- विश्व व्यापार संगठन की अन्य प्रमुख गतिविधियों हेतु आवश्यक आर्थिक अनुसंधान करना तथा संग्रह एवं प्रसार करना।

- विश्व व्यापार संगठन (WTO) स्वतंत्र, स्वायत्त तथा वैधानिक अधिकार प्राप्त संस्था है। संयुक्त राष्ट्र संघ का भाग या अभिकरण नहीं है।
- गैट (GATT) समझौता, जो वस्तुओं के व्यापार से संबंधित था, के साथ-जुड़े में नए समझौते जोड़े दिए गए हैं।
- सेवाओं से संबंधित व्यापार के संबंध में सामान्य समझौता (General Agreement on Trade in Services-GATS)
- जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड लिमिटेड एसपेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी (TRIPS) (ट्रिप्स) (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights)

बौद्धिक सम्पदा अधिकार विचारों, आविष्कारों तथा सृजनात्मक अभिव्यक्तियों तथा उनकी सम्पत्ति का दर्जा दिए जाने के संबंध में जनता की सहमति तथा उसके स्वामित्वधारी को अधिकार दिए जाने से संबंधित है।

- ट्रिप्स के अंतर्गत प्रदान किए जाने वाले बौद्धिक सम्पदा अधिकार हैं।
- कॉपीराइट एवं इससे संबंधित अधिकार
- ट्रेडमार्क
- भौगोलिक संकेतक
- औद्योगिक रूपरेखा
- पेटेंट
- इंटीग्रेटेड सर्किट रूपरेखा
- व्यापार संबंधी गुप्त सूचना

TRIMS (Trade Related Investment Measures) – 1994

- सदस्य राष्ट्रों में विदेशी निवेश को राष्ट्रीय दर्जा देना तथा QRS (Quantitative Restrictions) मात्रात्मक प्रतिबंध हटाने को अनिवार्य करता है।
- विदेशी निवेशकों पर स्थानीय कच्चे माल, स्थानीय ग्राम और आयात-निर्यात के संदर्भ में विभिन्न प्रकार के प्रतिबंधों को वर्जित करता है।

SSM (विशेष सुरक्षा उपाय) –

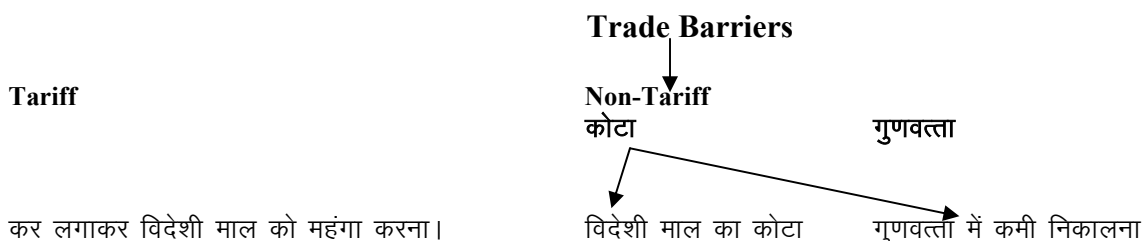
आयात में अप्रत्याशित वृद्धि या कीमतों में गिरावट की स्थिति में यह तंत्र विकासशील देशों में कृषि उत्पादों पर आयात शुल्क को अस्थायी रूप से बढ़ाने की अनुमति देता है।

दोहा सम्मेलन

- दोहा की वार्ता को दोहा विकास दौर कहा गया।
- दोहा दौर की वार्ता में कृषि, गैर कृषि बाजार पहुँच (NAMA), सेवाएं नियम, बौद्धिक सम्पदा एवं इससे जुड़े भौगोलिक संकेतक एवं जैव विविधता, व्यापार एवं पर्यावरण, एंटी डम्पिंग आदि मुद्दे शामिल हैं।
- दोहा दौर की वार्ताएं मुख्यतया गतिरोध में ही चलती रहीं। इसमें विकसित तथा विकासशील देशों जैसे— भारत, चीन, ब्राजील आदि के बीच मुख्यतया कृषि संबंधी मुद्दे, व्यापार सुधार आदि को लेकर संशय की स्थिति बनी रही।
- कृषि पर दी जाने वाली सब्सिडी दोहा मुद्दे का मुख्य विषय रहा है।
- कृषि सब्सिडी के समर्थक यानी विकासशील देश कृषि सब्सिडी को विश्व व्यापार संगठन के नियमों में बांधने के पक्ष में नहीं हैं।
- दोहा मुद्दे में व्यापार सरलीकरण ऐसा मुद्दा है जिस पर काफी प्रगति हुई है। 2013 की बाली बैठक में WTO के अंतर्गत व्यापार सरलीकरण हेतु समझौता हो गया है।

गैर कृषि बाजार पहुँच (Non-Agricultural Market access - NAMA)

- नामा संबंधी वार्ता को वर्ष 2001 में दोहा दौर की वार्ता में शामिल किया गया था।



ताकि विदेशी माल कम हो।

सब्सिडी से घरेलू माल करना, ताकि विदेशी माल... सके।

इनको हटाना उदारीकरण कहलाता है।

नई विदेश व्यापार नीति [2015-20]

- निर्यात को 450 बिलियन डॉलर (2013–14) से बढ़ाकर 2019–20 तक 900 बिलियन डॉलर करना।
- विश्व निर्यात में भारत के योगदान को 2% से बढ़ाकर 3.5% करना।
- पहले से निर्यात को प्रोत्साहित करने वाली चल रही योजनाओं के स्थान पर भारत से वस्तु निर्यात योजना MEIS और भारत से सेवा निर्यात SEIS की शुरुआत की है।
- Duty Credit Slip को हस्तांतरणीय (किसी को भी बेचना) बनाना है।